खण्ड-404, अंक-2
मंगलवार, 20 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(10 मार्च, 1992 ई0)

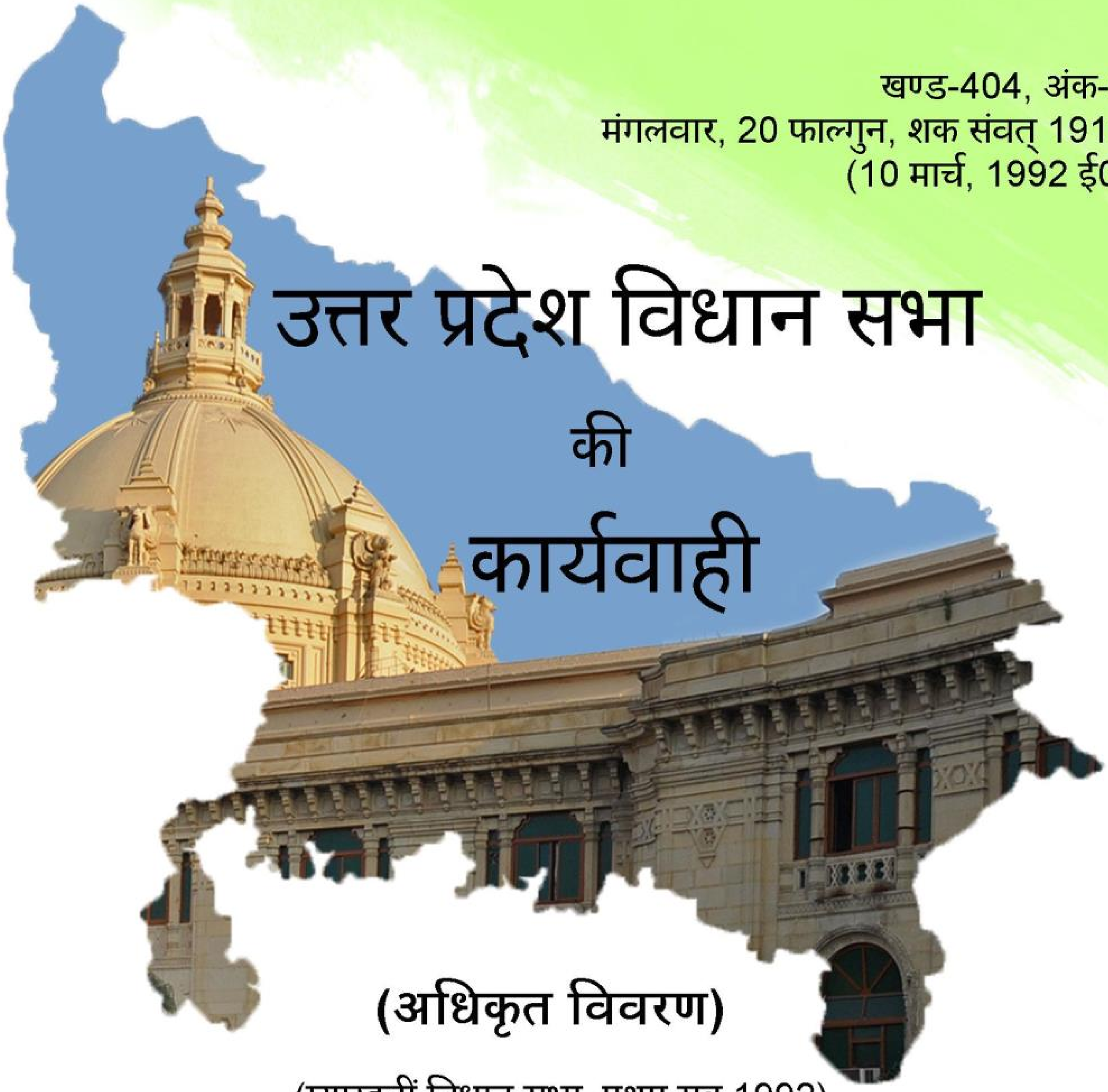

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
जनपद देवरिया के पथरदेवा में हुए बलात्कार के सम्बन्ध नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	1–7
प्रश्नोत्तर	7–94
गढ़वाल जनपद के लैंसडौन (लथहरी खाल) डिग्री कालेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	94
जनपद मैनपुरी में प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94–95
जनपद बांदा के बबेरू कोतवाली के उपनिरीक्षक द्वारा धाधली करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	95
श्री बाबू खां, निवासी ग्राम बुद्धा पुरवा, जनपद लखीमपुर खीरी के घर में लगी आग की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ..	95
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भरे हुए गन्दे पानी की निकासी कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	96
ग्राम घरीकला जनपद गाजीपुर के रघुवर पुत्र बन्नी की निर्मम हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	96
जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में 132 के० बी० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	96–97
जनपद देवरिया के पथरदेवा में हुये बलात्कार के संबंध में नियम 311 के अंतर्गत दी गयी सूचना	97–106
दुधवा नेशनल पार्क के पेड़ों को अवैध रूप से काटकर बेचे जाने के संबंध नियम 311 के अंतर्गत दी गयी सूचना.	106–107
सदस्यों द्वारा नियम 311 तथा 300 के अंतर्गत दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	107–108
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	108–111
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	111
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992 (पारित) ..	111–121
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992 (पारित) ..	121–133
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992(पारित) ..	133–154
नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में मिट्टी के तेल एवं डीजल की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य	154–156
जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गतिरोध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत केवल वक्तव्य का स्थगन	156
जनपद गाजीपुर में नन्दगंज सिरोही शुगर कारपोरेशन चीनी मिल लिमिटेड नन्दगंज में गन्ना कृषकों के साथ की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत गन्ना विकास राज्यमंत्री का केवल वक्तव्य	156–157
आटो ट्रैक्टर लि० प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन	157
नत्थियां	158–166

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1992

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	भरत सिंह, श्री	बलिया
अमर सिंह, श्री	बिजनौर	भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अर्जुन सिंह, श्री	सुल्तानपुर	मदन भैया, श्री	मेरठ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मायाशंकर पाठक, श्री	वाराणसी
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर	मारकण्डेय, श्री	बलिया
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
उमानाथ, श्री	जौनपुर	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती	रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा	राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
घुरहू, श्री	बलिया	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
ठाकुर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद	राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
दीना नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी	राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर देहात
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	रुदेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	बहराइच
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
धर्मपाल यादव,		विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
उर्फ डी० पी० यादव, श्री	बुलन्दशहर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा	शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
फागू, श्री	मऊ	हरद्वार दूबे, श्री	आगरा
बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर	हरनारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बृजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री	प्रतापगढ़	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

जनपद देवरिया के पथरदेवा में हुए बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि 311 में हम लागों ने पथरदेवा काण्ड के बारे में सभी सम्मानित नेताओं ने लिख कर दिया है और हम चाहेंगे कि प्रश्न काल निलम्बित कर उसे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, कल इस विषय में काफी विचार व्यक्त हो चुके हैं । प्रश्न काल के बाद जब नियम 301 की सूचनायें हो जायं उसके बाद आपकी इस प्रार्थना पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम लखन वर्मा–

मेरा निवेदन है कि जो 311 की सूचना दी है ..

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल के बाद विचार करेंगे ।

मद संख्या 1–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी (क)

* श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, कल जब सदन स्थगित हुआ था उस समय एक गम्भीर मामला यहां पर आया था उस पर सरकार की तरफ से जो उत्तर आये वह संतोषजनक नहीं थे । आपकी नेता विरोधी दल से हमें पता नहीं क्या बात हुई, हम उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं । इतने गम्भीर प्रश्न पर सरकार की तरफ से लापरवाही बरतना और उसे गैरजिम्मेदारी से लिया जाना हमारे लिये चिन्ता का विषय है । हम चाहते हैं माननीय नेता विरोधी दल से भी कि इस विषय को इतनी आसानी से न टालें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, प्रश्न काल के उपरान्त नियम 301 की सूचनाओं के बाद इस पर विचार करेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमारे अधिकारों की रक्षा करें । महिलाओं के साथ जो दुव्यर्वहार हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, राष्ट्रीय नेता वहां पर पहुंच गये और यह सरकार कमिश्नर से जांच का आश्वासन दे । इससे हम समझते हैं कि सरकार इस मसले को बहुत ही हल्केपन से ले रही है । आपसे निवेदन है कि आप निर्देश दें ।

---

* वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रश्न काल के बाद नियम 301 की सूचना के बाद आपके इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान हम लोगों ने सुना माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बयान हम लोगों ने सुना उसमें इस मामले को बहुत हल्के रूप में लिया गया । यह एक गम्भीर मामला है और प्रदेश की महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसके बाद उसमें कमिश्नर की जांच की बात यहां कही जाय ....

श्री अध्यक्ष–

मैंने भाषण देने की अनुमति नहीं दी है ।(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

जब तक इस पर न्याय नहीं दिलायेंगे तब तक प्रश्न काल के चलने का कोई औचित्य नहीं है । हम लोग जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनके हितों की रक्षा के लिये यहां बैठे हैं, यहां हम उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिये बैठे हैं । जब तक इसमें न्याय नहीं दिलायेंगे ....

श्री अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है कि नियम 301 के बाद इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा–

कल भी इस पूरे काण्ड पर चर्चा हुई, प्रदेश का यह सबसे बड़ा काण्ड है । कल जब सदन में मुख्य मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना इन सब लोगों की तरफ से यह कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी से, कमिश्नर से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है । यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मसला है । इस पर सरकार का दृष्टिकोण साफ हो जाय कि न्यायिक जांच करायेंगे कि नहीं ताकि प्रदेश की जनता को इनका दृष्टिकोण मालूम हो जाय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें नियम 301 के बाद इस पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय गृह राज्य मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच की बात कही । इसका कोई औचित्य नहीं है । हमारी स्पष्ट दो मांगें हैं या तो हाउस की कमेटी से जांच कराई जाय या न्यायिक जांच कराई जाय । प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह बहुत ही गम्भीर मामला है महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और आप कह रहे हैं क्वैश्चन आवर के बाद लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर प्रश्न काल के बाद सुनेंगें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, पूरा विपक्ष इसमें एक मत है । जब पूरा विपक्ष एक मत हो और ऐसा सवाल हो और जिसका एक जगह की घटना के बारे में न हो । पूरे प्रदेश की आज कानून व्यवस्था लुंज-पुंज हो गयी है और इसी कारण आज महिलाओं की अस्मिता खतरे में है .....। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल को निलम्बित कर दें और जब तक सरकार की तरफ से संतोषजनक उत्तर नहीं आता है तब तक सदन की कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल हो जाने दें । बाद मे आपकी बात पर विचार करूंगा ।(व्यवधान) आप लोग बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

(व्यवधान) आपके कक्ष में मान्यवर, कल न्यायिक जांच की बात हुई थी । इसमें राज्य गृह मंत्री का संदर्भ आया है । मुख्य मंत्री कल आये थे तो उन्होंने कमिश्नर से इंक्वायरी के लिये कहा था । (व्यवधान) इसमें शासन के एक मंत्री का हाथ है । एक परिवार की मर्यादा को नष्ट किया गया है, इसलिये कमिश्नर की इंक्वायरी से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

न्यायिक जांच के लिये आप बाध्य नहीं कर सकते हैं । (व्यवधान) पहले प्रश्नकाल हो जाने दें उसके बाद नियम 301 की सूचनाओं पर विचार होगा और तब नियम 311 लिया जायेगा । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मेरा निवेदन है यह बड़ा ही गम्भीर मामला है । कल देवरिया का मामला सामने आया है और बांदा में तो 20 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है । आपके कक्ष में न्यायिक जांच की बात हो चुकी है, तो प्रश्नकाल होना चाहिये सहमत हूं, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और महामहिम राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव के दिन मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि नारी के सम्मान और स्वाभिमान की हम रक्षा करेंगे किन्तु आज नारियों का अपमान हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है तो इससे और क्या महत्व का सवाल हो सकता है, इसलिये इस पर आप चर्चा करायें और शासन न्यायिक जांच इस काण्ड की करवाये । (व्यवधान)

*श्री ऊदल–

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल और सभी दल के नेताओं ने आपसे आग्रह किया है कि यह मामला बहुत ही गम्भीर है, तो आप नियम के अनुसार प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद इस पर फिर से सुन लें और सरकार का वर्जन भी सुन लें, यही मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही व्यवस्था दे दिया है कि प्रश्नकाल पहले होगा । फिर नियम 301 की सूचनाओं का निस्तारण होगा और उसके बाद नियम 311 की सूचनाओं पर विचार किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

(व्यवधान के मध्य) इस काण्ड से गम्भीर दूसरा प्रश्न नहीं है और इसके सामने प्रश्नकाल का कोई औचित्य नहीं है ।(व्यवधान) कल जिस मा० सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था उनको आज राज्य गृह मंत्री ने मारने की धमकी दिया है ।(व्यवधान)

(राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर व्यवधान)

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मेरी बात सुन ली जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब इस पर आपको विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता हूं । प्रश्नकाल के बाद इस पर कहें ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

क्या महिलाओं की आवाज आप नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात सुनी जायेगी लेकिन व्यवस्था के अन्तर्गत ।

* श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, यह बी० जे० पी० की सरकार राम के नाम पर बनी है । हिन्दू धर्म में क्या है ? स्त्रियों के कोई अधिकार नहीं हैं ? मान्यवर, इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, जिस गम्भीर बात की ओर हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं ।....

श्री नरेश अग्रवाल–

सदस्यगण या नेतागण ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सदस्यों में नेता भी आ जाते हैं । मान्यवर, मैं अपने वाक्य को संशोधित कर लेता हूं और यह कांग्रेस दल के नेता की अनुपस्थिति में स्वयं को नेता समझ रहे हैं । इस गम्भीर विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन इतना कहूंगा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुक्त से जांच कराने की बात कही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

आयुक्त कौन होता है ? मंत्री की जांच करने वाला । मंत्री जांच नहीं करेंगे । आयुक्त जांच करेगा । यह क्या बात हुई ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या कह रहे हैं । आप सुन तो लें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र–

आयुक्त से जांच करवायेंगे । .....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मानयवर, मैं यह कह रहा था कि आपकी सहमति असहमति अपनी जगह है लेकिन हमारी बात आप सुन लें । आयुक्त से जांच कराने की बात कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी और उस विषय का अन्त हो गया था लेकिन आज मामला फिर उठ रहा है । माननीय ऊदल जी ने भी बड़ी गम्भीर बात कही है । हम किसी तथ्य को छिपाना नहीं चाहते । नारी के सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रश्नकाल चले उसके बाद आप इस पर सुन लेते । कल यह विषय समाप्त हो गया था और आज फिर उठा है । अगर इसमें कल से आज तक में कुछ परिवर्तन हमारे सामने आ गया हो तो मैं समझता हूं कदाचित चर्चा की अनुमति दें अन्यथा जैसी आपकी अनुमति होगी हमें शिरोधार्य होगी । मैं बस इतना चाहता हूं कि प्रश्नकाल चले, सदन नियमों व परम्पराओं के अनुसार चले ।

(श्री प्रमोद तिवारी एवं श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, माननीय राणा जी मैंने माननीय सदस्यों व माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं से अनुरोध किया था कि पहले प्रश्नकाल हो जाये और 301 की सूचनाओं का निस्तारण हो जाय उसके बाद विचार करके आपकी बात सुन ली जायेगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस विषय पर अपने विचार देकर उस पर चर्चा की । उनके बोलने के बाद इस पर परिचर्चा शुरू हो गई है । मान्यवर, कल इस गम्भीर विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि इसकी आयुक्त से जांच कराई जायेगी । मंत्रि-परिषद के लोग, संगठन के लोग अखबारों में यह बयान दे रहे हैं कि वहां पर इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है । मंत्रि-परिषद के लोग, संगठन के लोग जो यहां बैठे हैं, सारे के सारे यह घोषणा कर दें कि वहां कोई घटना नहीं हुई है तो जांच की क्या बात है । महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है । बयान बदलवाये जा रहे हैं तो एक नया बिन्दु उजागर हो गया और इस पर परिचर्चा होनी चाहिये ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

परिचर्चा न करायें । माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने एक बात कह दी कि कोई नयी बात हुई हो तो चर्चा हो सकती है । तो मान्यवर, जो आपका निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा ।

(व्यवधान)

मैं इनको बात बताना चाहता हूं । मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं इन महिलाओं पर सरकार की तरफ से कल जबर्दस्ती दबाव डाला गया कि वह बयान बदलें । सरकार यह कोशिश कर रही है बलात्कारी महिलाओं के बयान बदले जाएं ।

(व्यवधान)

जांच को प्रभावित करने के लिये सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है । चार महिलाओं की इज्जत लूटी गई उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला ।

(व्यवधान)

इस तथ्य की जांच कराई जाए । उन महिलाओं को अपहृत करने की योजना बनाई जा रही है । मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि महिलाओं के बयान को बदला जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिये ।

(घोर व्यवधान)

(श्री लालजी वर्मा, श्री श्याद अली, श्री पूरन प्रकाश, श्री जागेश्वर, श्री विश्वनाथ, श्री मोहम्मद आजम खां तथा कई विपक्ष के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये एवं नारे लगाने लगे [xxx] सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, [xxx] को बर्खास्त करो)

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री कैलाश सिंह यादव–

महिलाओं को यहां बुला कर बयान दिलवाया जाय । गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिये । (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर वास जाएं ।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आप अपने कक्ष में बुला कर उन महिलाओं का बयान लीजिये । न्यायिक जांच से नीचे कोई बात हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे । गृह राज्य मंत्री जी के सामने आयुक्त की क्या कीमत है कि वह जांच करेगा । आप मान्यवर, स्वयं अपने कक्ष में बुला कर महिलाओं का बयान ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यादव जी, मैं आप की बात नहीं सुन पा रहा हूं । आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर जाने की कृपा करें । ([xxx] आदि नारे विपक्षी सदस्यों द्वारा लगाये जाते रहने पर व्यवधान ।)

मैं 12 बजे तक के लिये सदन को स्थगित कर रहा हूं ।

(इसके बाद 11 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित कर दी । 12 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर +

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उ० प्र० में विधायकों हेतु शासकीय व्यय पर अंगरक्षक दिया जाना

**1–श्री अरविन्द प्रताप सिंह

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में विधायकों की सुरक्षा के संबंध में सरकार के पास कितने विधायकों के इस आशय के अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उ० प्र० विधान मण्डल समाजवादी जनता पार्टी के मुख्य सचेतक हृदय नारायण के द्वारा सुरक्षा हेतु व्यवस्था कराये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री से मिलकर माह जुलाई व अगस्त 91 में प्रेषित पत्रों व इसी विषय पर सजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सत्य प्रकाश मालवीय एम० पी० के मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र 29-9-91 पर क्या कार्यवाही की गयी ?

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

+ प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अंतर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अब तक कुल 337 मा० विधायकगण से सुरक्षा के सम्बन्ध में अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ।

शासन द्वारा विषयगत पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त माननीय सदस्य को शासन के आदेश दिनांक 27-8-91 द्वारा एक अंगरक्षक शासकीय व्यय पर सुरक्षार्थ दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

उ० प्र० सचिवालय कर्मियों हेतु शिशु सदन चालू किया जाना

** 2–श्री जैदान सिंह यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि "शिशु सदन" नामक एक चिल्ड्रेन होम सचिवालय कर्मियों हेतु इससे पूर्व की सरकार द्वारा चालू किये जाने की स्वीकृति दी गयी थी एवं इस संबंध में कुछ नियुक्तियां तथा स्थान का चयन भी हो चुका था ? यदि हां, तो किन कारण ? वश उक्त शिशु सदन अब तक चालू नहीं हो सका है ? इसे कब तक पूर्णरूपेण चालू कर दिया जायेगा ? इसका प्रारूप क्या होगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । नियुक्तियों हेतु चयन आदि की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, किन्तु औपचारिक रूप से नियुक्तियां नहीं की गई हैं । स्थान का भी चयन किया जा चुका है ।

उक्त शिशु सदन में बच्चों के प्रवेश के लिये 9 अक्टूबर, 1991 को एक कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया था, किन्तु पर्याप्त संख्या में बच्चे उपलब्ध न हो पाने के कारण शिशु सदन चालू नहीं किया जा सका था ।

बच्चे के प्रवेश के लिये पुनः सचिवालय कर्मियों से दिनांक 28-1-92 को ज़ारी परिपत्र द्वारा 15-2-92 तक आवेदन पत्र मांगे गये हैं । उक्त तिथि तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर विचारोपरान्त शिशु सदन को चालू किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

शिशु सदन का संचालन सचिवालय की महिला कर्मचारियों के मध्य से चुने हुये सदस्यों तथा अन्य से गठित एक प्रबन्ध कमेटी के माध्यम से किया जायेगा ।

शिशु सदन को प्राप्त होने वाली आय का लेखा-जोखा चुने हुये अधिकारियों के बीच से एक कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा । इसका लेखा किसी शेड्यूल बैंक में रहेगा, जिसका लेन-देन कोषाध्यक्ष तथा सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा नामित किसी एक शासकीय अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद के अयोध्या में दिनांक 30 अक्टूबर व 2 नवम्बर, 1990 को मारे गये मृतकों के नाम व पते सदन के पटल पर रखने की मांग

*1–श्री हृदय नारायण दीक्षित तथा श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 व 2 नवम्बर, 1990 को पुलिस फायरिंग से कुछ ऐसे लोगों की मृत्यु हुई, जो विवादित ढांचे को क्षति पहुंचा रहे थे ? यदि हां, तो उक्त दिन व प्रकरण तथा स्थल पर पुलिस फायरिंग से कितने लोग मारे गये ? क्या इसका पूर्ण विवरण नाम, पते सहित सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नोल्लिखित विषय अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के अधीन गठित एक संसदीय न्यायिक जांच आयोग की परिधि में आता है ।

* 2-श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

दसवीं विधान सभा के भंग होने तथा ग्यारहवीं विधान सभा के गठन के मध्य मंत्रि परिषद के सदस्यों आदि पर व्यय धनराशि का विवरण

* 3–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 10वीं विधान सभा के भंग होने तथा नयी ११वीं विधान सभा के गठन के मध्य उत्तर प्रदेश मंत्रि परिषद के सदस्यों एवं उनके निजी स्टाफ तथा बैठकों में कितना रुपया जलपान आदि में व्यय हुआ है ? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? क्या यह सही है कि उस अवधि में मंत्रि परिषद के सदस्यों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विरुद्ध सरकारी वाहनों तथा निजी स्टाफ का प्रयोग किया है ? क्या सरकार इसके लिये जांच आयोग गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विगत 10वीं विधान सभा के भंग होने तथा नयी ११वीं विधान सभा के गठन के मध्य उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद के सदस्यों एवं उनके निजी स्टाफ पर रु० 94,13,574.59 का व्यय एवं बैठकों में जलपान पर रु० 6,12,898.55 का व्यय हुआ है । व्यय का विवरण संलग्न है ।

उक्त अवधि में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों द्वारा निजी स्टाफ एवं सरकारी वाहनों का प्रयोग शासकीय कार्य हेतु जनहित में किया गया है । अतः जांच आयोग गठित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 158 पर)

[मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

* 1–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

अक्टूबर व नवम्बर, 1990 में अयोध्या में विवादित स्थल पर मारे गये मृतकों के 8 आश्रितों को राहत दिया जाना

*2–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर व नवम्बर, 1990 में अयोध्या विवाद में विवादित स्थल पर मारे गये कितने लोगों के आश्रितों को उ० प्र० शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी गयी है ? क्या यह सच है कि अधिकांश मृतक आश्रितों को यह सहायता नहीं मिल पायी है ?

श्री कल्याण सिंह–

अक्टूबर-नवम्बर, 1990 में राम जन्म भूमि प्रकरण से संबंधित घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राहत दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था । अयोध्या में विवादित स्थल पर मारे गये व्यक्तियों में से इसका लाभ मात्र 8 मृतकों के आश्रितों को मिला ।

जी हां ।

जनपद जालौन के व्यस्त बाजार बैठगंज से आतिशबाजी की दुकानों को हटाने की मांग

*3–श्री श्रीराम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर जालैन के व्यस्त बाजार बैठगंज में अवैधानिक रूप से लगायी गयी आतिशबाजी विक्रय की दुकानों को तत्काल हटवाये जाने हेतु व्यापार मंडल जालौन के सदस्यों ने परगना मजिस्ट्रेट जालौन को दिनांक 23-9-91 को लिखित शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ? परगना मजिस्ट्रेट जालौन द्वारा व्यस्त बाजार में आतिशबाजी की दुकानों को न हटवाये जाने का क्या कारण है ? .

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

चूंकि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया इसलिये कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

यह बाजार व्यस्त नहीं है बल्कि त्योहारों के कारण अन्य बाजारों की तरह यहां भी कुछ व्यस्तता बढ़ जाती है दुकानदार सामान्य रूप से पिछले कई वर्षों से यहां दुकानें लगाते आ रहे हैं और कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी इसलिये पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी उनकी दुकानों को हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी ।

साम्प्रदायिक दंगों में आतंकवादियों अथवा डाकुओं द्वारा मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिये जाने संबंधी शासन की नीति

* 4–श्री भारत सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों, आतंकवादियों अथवा डाकुओं द्वारा मारे जाने पर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने के संबंध में शासन की क्या नीति है ?

श्री कल्याण सिंह–

आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई मानक/नीति निर्धारित नहीं है । कुछ मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आर्थिक सहायता दी गयी है ।

साम्प्रदायिक दंगों में मृत व्यक्तियों के आश्रितों व घायलों आदि को राहत की धनराशि का वितरण शासनादेश दिनांक 22-6-84 में निर्धारित मानकों/नीति के अनुसार किया जाता है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

डाकुओं से मुठभेड़ में मारे गये गैर सरकारी व्यक्तियों के आश्रितों को असाधारण पारिवारिक पेंशन स्वीकृति किये जाने का प्राविधान संलग्न† शासनादेश दिनांक 6 फरवरी 1986 में है ।

---

† छापी नहीं गयी ।

शिल्प कला के विकास हेतु शिल्प कलाओं से जुड़े बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने का कार्यक्रम

* 5_श्री शिव चरण प्रजापति–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त से विलीन होती शिल्प कला के विकास के लिये कोई कार्यक्रम सरकार के पास है ? क्या इन कलाओं से जुड़े समाज के बेरोजगारों को रोजी देने का सरकार के पास कोई विकल्प है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

शिल्प कलाओं के विकास के लिये अनेक कार्यक्रम संचालित है । इन कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण, सहायता, पुरस्कार तथा उत्पादन और सुविधा केन्द्र उपलब्ध हैं जिसके द्वारा विभिन्न कलाओं से जुड़े समाज के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होता है ।

आवास विकास परिषद् /विकास प्राधिकरणों की योजना चलाते समय सीलिंग परमीशन की दोहरी नीति को समाप्त करने की मांग

*6–श्री बच्चा पाठक–

क्या सरकार को जानकारी है कि आवास एवं विकास परिषद् /विकास प्राधिकरणों की योजना चलाते समय जो भूमि अधिग्रहीत की जाती है, उसका सीलिंग परमीशन पहले ही ले लिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं में आवंटित भवनों/भूखण्डों की रजिस्ट्री कराते समय अध्यासियों द्वारा पुनः सीलिंग परमीशन लेने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस दोहरी नीति को समाप्त करने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

जी नहीं ।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, १९७६ की धारा–१९ (१) के प्राविधानानुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधि के अन्तर्गत गठित स्थानीय अथारिटी, निगमों आदि पर अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं ।

जी नहीं, वस्तु स्थिति यह है कि उक्त अभिकरणों द्वारा भवन अथवा भूमि को विक्रय करते समय कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है किन्तु प्रश्नगत अध्यासी द्वारा १९(१) के अन्तर्गत सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों से मुक्त नहीं है, अतः अध्यासियों द्वारा अन्तरण करने की दशा में उन्हें उक्त अधिनियम की धारा–२६/२७ के अन्तर्गत नोटिस देना अनुज्ञा प्राप्त करना प्राविधानित है । इस प्रकार कोई दोहरी नीति प्रचलित नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद में मन्दिरों को तोड़े जाने संबंधी शिकायती पत्र, जिलाधिकारी को, कार्यवाही हेतु प्रेषित

*7–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–फैजाबाद स्थित अयोध्या में अक्टूबर, ९१ माह में कतिपय मन्दिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है? क्या इस संबंध में उन अराजक तत्वों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ? क्या मन्दिरों को तोड़ने के विरुद्ध शासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

शिकायती-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी फैजाबाद को भेजे गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास विकास परिषद् द्वारा सेवानिवृत्त लोगों को ग्रेच्युटी का भुगतान

*8–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० आवास विकास परिषद् ने अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी सुविधा देने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की एक योजना को सन् 1988 से लागू कराने के बजाय सन् 1972 से लागू कराया और इसके सारे पिछले प्रीमियम के रूप में (अस्सी) 80 लाख रुपये का भुगतान कर दिया ? इस प्रकरण में किये गये भुगतान से क्या पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट का उल्लंघन हुआ है ? क्या इसके बाद के प्रीमियम भी जमा किये गये और परिषद् के सेवा निवृत्त लोगों को जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ने भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक ग्रेच्युटी बीमा योजना 1-4-1988 से लागू की है । इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की पूर्व सेवाओं के संबंध में भी प्रीमियम देय है । तद्नुसार इस हेतु रु० 40,10,000 की प्रीमियम राशि का भुगतान परिषद् ने किया । पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । यह अवश्य है कि पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट में उल्लिखित लाभ से अधिक लाभ परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त योजना के माध्यम से दिया गया है । वर्ष 1988-89, 89-90 व 90-91 का प्रीमियम भी परिषद् द्वारा जमा किया गया है तथा उक्त तिथि अर्थात् 1-4-88 के पश्चात् सेवा निवृत्त लोगों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है ।

परिषद् ने इस सुविधा को सभी कर्मचारियों अधिकारियों को अनुमन्य किया है जबकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 2500 रु० प्रतिमाह पाने वाले ही पात्र हैं । अतः शासन ने परिषद् को निर्देश दिये हैं कि वे पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के प्राविधान के अन्तर्गत ही परिषद् में ग्रेच्युटी की सुविधा अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था करें । इस प्रकरण में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

सुजात नगर, थाना–टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद में जाटव समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्तों को जेल भेजा जाना

*9–श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अ० भा० अम्बेडकर विचार मंच उ० प्र० आगरा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह क्रान्ति सचिव एवं सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी फिरोजाबाद को दिनांक 28-6-91 को

एक ज्ञापन देकर सुजात नगर, थाना–टूण्डला, फिरोजाबाद में दिनांक 14-5-91 को जाटव समुदाय के व्यक्ति की हत्या की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस द्वारा न लिखने एस० पी० द्वारा हस्तक्षेप कर रिपोर्ट लिखवाये जाने, पुलिस द्वारा मुल्जिमानों को सहयोग दिए जाने उन्हें बचाये जाने आदि तथ्यों का उल्लेख करते हुये मुकदमें की जांच सी०आई०डी० द्वारा कराये जाने तथा जाटव समुदाय की सुरक्षा की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सी०आई०डी० जांच करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्रस्तुत ज्ञापन में अभियुक्तों को जेल भेजने एवं उनके परिवारजनों की सुरक्षा करने की मांग की गयी थी । दिनांक 14-5-91 को वादी की सूचना पर अपराध संख्या–267/91 धारा 302 भा०द०वि० बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा 24 घंटे के अन्दर अभियुक्त हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर दिनांक 15-5-91 को जेल भेजा गया । विवेचना पूर्ण कर लेने के उपरान्त दिनांक 12-6-91 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराने का औचित्य नहीं प्रतीत होता । स्थानिय पुलिस द्वारा मृतकों के परिवारजनों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र गार्द तैनात की गयी ।

जनपद लखनऊ के शकूर मार्केट, बुलाकी अड्डा तथा अमीनाबाद झंडे वाला पार्क में अवैध कब्जे के विरुद्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना

*10–श्री हरिशंकर तिवारी तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में लखनऊ में अवैध कब्जे के रिकार्ड में शकूर मार्केट बुलाकी अड्डा तथा अमीनाबाद झंडे वाला पार्क तथा ऐशबाग इन्डस्ट्रीयल एरिया आता है ? यदि हां, तो क्या इसमें उत्तर प्रदेश नगर आवास योजना एवं विकास अधिनियम, 73 की उपधारा 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी ? अब तक इनके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के लिये, प्राधिकरण के सचिव कहां तक जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

शकूर मार्केट, बुलाकी अड्डा तथा अमीनाबाद के नाका वार्ड व ऐशबाग इन्डस्ट्रीयल एरिया लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में आता है ।

उत्तर प्रदेश नगर आवास योजना एवं विकास अधिनियम में धारा 73 की उपधारा 16 नहीं है, परन्तु इस प्रकार के प्रकरण के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 (2) की सहपठित धारा 16 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है, जिसका वाद मुंसिफ हवाली के न्यायालय में दायर किया जाता है । न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

[16वें शुक्र में ता०प्र०सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरांय आकिल में हुये साम्प्रदायिक दंगे में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा एवं कार्यवाही

*12–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर –

ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–12 के उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या मजिस्ट्रेरियल जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार जांच के आधार पर कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मजिस्ट्रीरियल जांच से यह पाया गया कि दिनांक 21-5-91 को कस्बा सरांय आकिल में हुआ साम्प्रदायिक दंगा राजनैतिक वैमनस्यता तथा चुनाव के कारण पुलिस बल की अनुपलब्धता का परिणाम था ।

दंगे के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा कार्यवाही हो रही है ।

डायमण्ड डेरी आवासीय योजना में आवास संख्या 49 से 60 तक के आवासों का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जाने की मांग

*13–श्री दौलत राम तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा डायमण्ड डेरी आवासीय योजना में कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी और कितनी भूमि का मुआवजा भूस्वामी को दिया गया ? क्या परिषद् द्वारा दिए गये मुआवजे की सम्पूर्ण भूमि आवास विकास परिषद् के कब्जे में प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के अनुसार आवास संख्या 49 से 60 तक अभी नहीं बनवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शेष आवासों का निर्माण कराकर योजना पूंरी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा डायमण्ड डेरी आवासीय योजना लखनऊ में कुल 3.73 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी और उक्त समस्त भूमि तथा बने निर्माणों का कुल मुआवजा रु० 5,84,547.58 विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से भू-स्वामियों को वितरित किया जा चुका है ।

जी हां । परिषद् द्वारा दिये गये मुआवजे की संपूर्ण 3.73 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 21-8-72 को तथा उस पर बने निर्माणों का अधिकार दिनांक 28-1-74, 22-9-75 व 2-6-77 को परिषद् प्राप्त हो गया है ।

जी हां । उक्त योजना के अनुसार आवास संख्या 49 से 60 अभी नहीं बनवाये गये हैं । प्रश्नगत स्थल पर योजना को प्रारम्भ करने के लिए वहां पर बसे निवासियों के लिए अस्थाई रूप से ट्रांजिट कैम्प की व्यवस्था की गई थी । इनके निवासियों को परिषद् की लखनऊ स्थित अन्य योजनाओं में विस्थापित

के रूप में भवन आफर किये गये थे परन्तु किसी भी व्यक्ति ने अन्य योजनाओं में भवन नहीं लिया तथा वे अब भी कैम्पों में रह हरे है । प्रश्नगत ट्रांजिट कैम्प खाली कराने का प्रयास किया गया परन्तु जन प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप एवं इनमें निवास कर रहे व्यक्तियों के आक्रोश के कारण इन्हें खाली कराकर अब तक हटाया नहीं जा सका है । जब ट्रांजिट कैम्प खाली हो जायेगा तभी शेष भवन निर्मित किए जा सकेंगे । योजना के अन्य भवन निर्माण एवं विकास कार्य पूर्ण हैं तथा सेवायें रख रखाव हेतु स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

श्री शिव कुमार पटेल जिला पंचायत राज अधिकारी, गोण्डा द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारियों की अनियमित रूप से की गयी नियुक्ति की शिकायत

* 14–श्री घन श्याम शुक्ला–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव कुमार पटेल जिला पंचायत राज अधिकारी जब गोण्डा में कार्यरत थे इन्होंने अपने कार्यकाल में नियुक्तियों का प्रतिबंध होने के बाद भी ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्तियां थीं ? यदि हां, तो नियुक्ति का आधार क्या था ? क्या शासन से अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो कि आधार पर नियुक्ति आदेश दिये गये थे ? यदि नियुक्तियों में शासन के प्रतिबन्ध को ध्यान में नहीं रखा गया और नियुक्तियां अवैध है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नही, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

जी हां ।

नियुक्तियां अनियमित रूप से की गयी थी ।

जी नहीं । जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अनियमित रूप से नियुक्ति के आदेश दिये गये थे, जिसके लिए उनकी चरित्र पंजिका में एक प्रतिकूल भर्त्सनात्मक प्रविष्ट अंक्ति की गयी है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना में भूखण्डों का लीज प्लान तैयार जाना

* 15–श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के सेक्टर एच में कितने डी-टाईप के भूखण्ड हैं ? क्या उक्त भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या आवंटित भूखण्डों का मौके पर डिमारकेशन करके लीज प्लान तैयार कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या -क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकी पुरम योजना के सेक्टर एच में डी-टाइप के कुल 32 भूखण्ड हैं ।

जी हां ।

28 भूखण्डों का लीज प्लान तैयार कर लिया गया है । ४ कार्नर के भूखण्डों का लीज प्लान बनाना शेष है ।

मौके पर विकास कार्य पूर्ण होने के बाद ही कार्नर भूखण्डों का लीज प्लान का कार्य किया जाना सम्भव होगा । अतएव किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बढ़ते हुए आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस पर लगी रोक हटाने की मांग

*16–डा० दिनेश जौहरी तथा श्री रामचन्द्र चौधरी–

क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ते हुए आतंकवाद को देखते हुए आग्नेय शस्त्रों के लाइसेंस पर लगी रोक हटाने की कोई तिथि घोषित की है ? यदि हाँ, तो यह रोक कब तक हटायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं समझी गई ।

अयोध्या में विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंगदल द्वारा खरीदी गयी भूमि का विवरण सदन के पटल पर रखने की मांग

* 17–कुंवर रेवती रमण सिंह –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण हेतु विवादित भूमि के अतिरिक्त अगल-बगल की भूमि जिसमें मंदिर भी थे, को विश्व हिन्दू परिषद तथा बजरंग दल ने खरीद लिया है तथा खरीदी गई भूमि के साथ ही अन्य जमीनों पर इस समय कब्जा करके मंदिरों के गिराने का काम किया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

*18 श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय जनपद शाहजहांपुर में विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निस्तारण के कितने प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं और उक्त प्रार्थना पत्र किस आधार पर लम्बित पड़े हैं ? जारी किये जा रहे लाइसेंसों का मापदण्ड क्या है ? सरकार लम्बित पड़े शस्त्रों के लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर कब तक विचार करेगी ? क्या विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस के निस्तारण हेतु सरकार कोई आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 296 प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार आवेदकों की पात्रता की आवश्यक जांच की जा रही है ।

आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत मृतक लाइसेंसी के उत्तराधिकारियों की पात्रता की जांचोंपरान्त उनकी आवश्यकता एवं गुणावगुण के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लिया जाता है । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में जनशान्ति आदि के आधार पर जांच करके लाइसेंस स्वीकृत किये जाते हैं अतः समय निर्धारण करना संभव नहीं है । समस्त कार्यवाही जिला स्तर पर होनी है अतः शासन स्तर पर विचार का प्रश्न नहीं उठता । शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को नियमानुसार शीघ्र निस्तारण के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं है ।

क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने की शिकायत एवं सीधी भर्ती किये जाने की मांग

* 19–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायत राज एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पी० पी० एम० सेल में कर्मचारियों/अधिकारियों की सभी रिक्तियां प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी गयी हैं ? यदि नहीं, तो लिपिकीय वर्ग के पदों पर विगत कई वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती किये जाने में क्या कठिनाई है ? सरकार इस संबंध में कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं । पी० पी० एम० (डी० पी० ए० पी०) सेल में 16 स्वीकृत पदों के विरुद्ध दस पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं । शेष ६ पद रिक्त हैं ।

सेल के स्थापना संबंधी शासनादेश सं०-59 जी/38-2-76 दिनांक मार्च 12, 1976 द्वारा प्राप्त प्राविधानों के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति संबंधित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर की जायेगी व सभी पद पूर्णरूपेण अस्थाई है तथा भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने तक ही चलाये जायेंगे । अतएव रिक्त पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की सीधी भर्ती का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा काउण्टर मैगनेट नगर के रूप में बरेली नगर का चयन

*20–श्री नन्द राम एवं श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि उ० प्र० सरकार से केन्द्रीय सरकार द्वारा काउण्टर मैगनेट सिटी बनाने के लिये एक उपयुक्त नगर का नाम मांगा गया था व सरकार ने बरेली के नाम की संस्तुति भी की थी ? यदि हां, तो उस पर आगे क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा बरेली नगर को काउण्टर मैगनेट नगर के रूप में चयनित किया जा चुका है । इस संबंध में विकास परियोजनाओं की संरचना तथा उनके कार्यान्वयन व वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने हेतु एक परियोजना समिति भी शासन द्वारा गठित की गयी है ।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस निरीक्षक मेरठ श्री परमेश्वर राय के लखनऊ में निर्माणाधीन भवन के संदर्भ में सतर्कता विभाग से जांच की मांग

1–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत भवन की वास्तविक लागत ज्ञात कर ली गयी है ? उक्त जांच रिपोर्ट शासन को कब तक मिल जाने की संभावना है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि संबंधित पुलिस निरीक्षक को जांच की निष्पक्षता हेतु अब तक निलंबित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उसे तत्काल निलंबित करके जांच पूरी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य मंत्रित्व काल में प्रश्नगत आवास के मरम्मत हेतु व्यय धनराशि का विवरण

2–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री के लिये स्थायी निवास होने के बावजूद आवास नम्बर 5, विक्रमादित्य मार्ग पर मकान मरम्मत हेतु श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य मंत्री काल में कुल कितना धन शासन द्वारा व्यय किया गया ? उक्त धन किन-किन विभागों द्वारा वहन किया गया तथा साधारणतया एक भवन पर सरकार मरम्मत हेतु कुल कितना व्यय अधिकतम करती है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्य मंत्रित्व काल में प्रश्नगत आवास में मरम्मती कार्य पर कुल 4,15,900 रुपया की धनराशि व्यय की गयी ।

शासन के मा० सदस्यों के उपयोगार्थ राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा भवन उपलब्ध कराये जाते हैं । अतएव तद्नुसार व्यय वहन किये जाते हैं । भवन की दशा एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में मरम्मती कार्य कराये जाते हैं ।

श्री बृजनरायन मल्ल, सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता, जिला परिषद् आजमगढ़ को जुलाई, 1987 से पेंशन दिये जाने का निर्देश

3–अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजनरायन मल्ल अवर अभियन्ता, जिला परिषद् आजमगढ़ कब सेवा निवृत्त हुए ? क्या उन्हें सेवा निवृत्त होने के बाद पेंशन मिल रही है ? क्या प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ सेवा निवृत्त अवर अभियन्ता का पत्र दिनांक 16-3-90 तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या आदेश पारित किये गये ? उन्हें कब से पेंशन दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

श्री बृजनारायन मल्ल, अवर अभियंता जिला परिषद्, आजमगढ़, दिनांक 7-7-1987 को सेवा निवृत्त हुए ।

जी हां ।

श्री मल्ल का पत्र दिनांक 6-3-90 श्री जगदीश लाल, सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 6-3-90 के साथ प्राप्त हुआ था ।

श्री मल्ल के उक्त पत्र के क्रम में जिला परिषद, आजमगढ़ को इस संबंध में निर्देश दिये जा चुके थे ।

जुलाई, 1987 से पेंशन दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

4–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया।]

जनपद बांदा की तहसील कर्वी में उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी का कार्यालय नजूल भूमि पर बनाने का कथित आरोप

5–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत तहसील कर्वी में उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी का कार्यालय नजूल भूमि पर बना है ? यदि हां, तो क्या नजूल भूमि के स्वत्व संबंधी स्थानान्तरण की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गयी ? यदि हां, तो कब और किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उप क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी का प्रस्तावित कार्यालय चित्रकूट विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो क्या नक्शे की पूर्व स्वीकृति ले ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों क्या इसके निर्माण के संबंध में अपर जिला अधिकारी-कर्वी/जिला अधिकारी बांदा ने स्थगन आदेश पारित किया है ? यदि हां, तो क्या उसका उल्लंघन करते हुए निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये पुलिस विभाग के कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

उ० प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार राजकीय निर्माणों के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

निर्माण की अवधि में कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

6–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 169 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के हिलौली विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख को अंगरक्षक दिये जाने की मांग

7–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें उन्नाव जिले के हिलौली विकास खण्ड के ब्लाक प्रमुख श्री इजहार अहमद का उनकी हत्या किये जाने का प्रयास संबंधी प्रकरण एवं सुरक्षा की मांग विषयक प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग सहित दिनांक 18-7-91 या उसके बाद उन्हें मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि इसी आशय के पत्रों पर एस० पी० उन्नाव ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए श्री इजहार अहमद अंसारी को स्थानीय स्तर पर दो बार सुरक्षा देने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि श्री अंसारी प्रमुख की हत्या की कोशिशों के आरोप भारतीय जनता पार्टी के इसी चुनाव के पराजित प्रत्याशी भगोले महराज पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि भगोले महराज को मात्र चेयरमैन होने और उनका आपराधिक इतिहास होने के बावजूद गनर दिये जाने तथा ब्लाक प्रमुख की असुरक्षा की परिस्थितियों के तमाम तथ्य व प्रमाण होने के बावजूद अंगरक्षक न दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार श्री इजहार अहमद द्वारा दिनांक 15-6-91 को थाना मौरांवा जनपद उन्नाव में मुकदमा अपराध संख्या–142/91 धारा–147, 148, 149, 307, भा० दं० वि० अंकित कराया गया । नामांकित व्यक्तियों में श्री भगोले महराज का नाम नहीं है और न ही उनके विरुद्ध प्रथम सूचना अंकित करायी गयी । अतः प्रश्नगत आरोप निराधार है । शासन स्तर से श्री भगोले महराज की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक/गनर देने के आदेश नहीं हुए हैं । जिला प्रशासन द्वारा अपने स्तर से श्री भगोले महराज पर पूर्व में हुए हमलों व उनके तत्कालिक जीवनभय को देखते हुए गनर नियुक्त किया गया है व शासन को संस्तुति की गई है । शासन स्तर पर मामला विचाराधीन है ।

लखनऊ मण्डलीय विकास निगम में कार्यरत तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

8–श्री विजय पाल सिंह तोमर–

क्या क्षेत्री विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मण्डलीय विकास निगम में मई, 1980 में विभागीय परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ था और उक्त परीक्षा एवं साक्षात्कार में निगम के संदर्भ कर्मचारी जो विभाग में कार्यरत थे, सम्मिलित हुये थे ? यदि हां, तो उक्त परीक्षा एवं साक्षात्कार में चयनित तदर्थ कर्मचारी 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नियमित क्यों नहीं किये गये हैं ? इन्हें कब तक नियमित किया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरुप वैश्य–

जी हां ।

लखनऊ मंडलीय विकास निगम में मई, 1980 में पांच रिक्त पदों को भरने के लिये परीक्षा एवं साक्षात्कार हुआ था और उस परीक्षा एवं साक्षात्कार में बाहरी अभ्यर्थियों के अतिरिक्त निगम में कार्यरत चार तदर्थ कर्मचारी भी सम्मिलित हुए थे । इनमें से केवल एक अभ्यर्थी श्री विष्णु स्वरूप मिश्रा ही लेखाकार के पद के लिये सफल हुए, परन्तु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 3-6-80 को श्री मिश्रा के नियुक्ति आदेश को लम्बित रखने के आदेश पारित किये । अतः श्री मिश्रा के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये । दिनांक 5-9-80 को लेखाकार के पद को डाउन ग्रेड कर के सहायक लेखाकार के पद में परिवर्तित कर दिया गया । श्री मिश्रा लिपिक-सहआंकिक के पद पर पूर्ववत् तदर्थ रूप से कार्य करते रहे, एवं इनके लेखाकार के पद पर नियुक्ति का प्रकरण समाप्त हो गया ।

जनपद उन्नाव के ग्राम दयालपुर में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन प्राइमरी विद्यालय भवन का धन ग्राम प्रधान द्वारा अपने भवन निर्माण में प्रयुक्त करने की शिकायत

9—श्री बिशुन दयाल—

दशम् विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के पहले सोमवार के अता० प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में आहरित की गयी रु० 66,200.00 की धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा अप्रैल, 1990 तक अपने पास रखी गयी है और ग्राम सभा के खाते में न जमा करके अवैधानिक कार्य किया गया है ? क्या सरकार आहरित करने की तिथि से माह अप्रैल, 1990 तक अवैध रूप से धनराशि रखने के लिये ग्राम प्रधान से बैंक की दरों पर ब्याज की वसूली करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10—श्री राम औतार शाक्य—

[दिनांक 24-2-90 को अता० प्र० सं० 195 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती सतगुरु देई पत्नी श्री नन्हें पासी निवासी महुरा खुर्द द्वारा थाना गोसाईगंज, लखनऊ में रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् कार्यवाही न किये जाने की शिकायत

11—श्री शिवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सतगुरु देई, पत्नी श्री नन्हें पासी, निवासी ग्राम महुरा खुर्द थाना गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ ने थाना गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में दुलारे, राम सिंह, किशुन, राम सेवक, शिवनाथ, देवऊ के विरुद्ध जबरियन कब्जा करके खेत जोत-बो लिये जाने व मना करने पर लाठियों से मारने आदि के विषय में प्रथम एफ० आई० आर० 323/504 दिनांक 18-5-1991 को दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार करके जेल न भेजे जाने का क्या कारण है ? अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कब तक जेल भेज दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18-5-91 को श्रीमती सतगुर, देई पत्नी श्री नन्हें पासी निवासी महुरा खुर्द थाना गोसाईगंज ने राम सिंह व देव के विरुद्ध थाना गोसाईगंज पर अहस्तक्षेपीय अपराध

अन्तर्गत धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत कराया उक्त अपराध अहस्तक्षेपीय होने की दशा में स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

श्री कल्लू पुत्र श्री रामरंग, निवासी ग्राम-भरहा, थाना ललिया जनपद गोण्डा द्वारा पुलिस को सूचना दिये बिना फरार

12–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कल्लू पुत्र श्री रामरंग निवासी ग्राम-भरहा, थाना-ललिया जनपद-गोण्डा का प्रार्थना-पत्र जो फर्जी हिस्ट्रीशीटर ललिया थाने में दर्ज किये जाने के संबंध में था श्री बिन्दु लाल सदस्य विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 14-10-1991 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? श्री कल्लू का नाम हिस्ट्रीशीटर लिस्ट से अब तक न काटे जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह–

कल्लू नहीं वरन् उसके पिता श्री रामरंग का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

जांच से ज्ञात हुआ कि आवेदक का पुत्र कल्लू मु० अप० सं० 7/86 अंतर्गत धारा 394 भा० दं० वि० में प्रकाश में आया था, परन्तु शिनाख्त न होने के कारण रिहा हो गया था उसकी हिस्ट्रीशीट सं० 4 ए जारी की गयी थी । उक्त घटना के बाद कल्लू फरार हो गया है ।

कल्लू बिना पुलिस को सूचना दिये फरार है । ऐसी स्थिति में उसकी दुराचारी संदग्धिता को दृष्टिगत रखते हुये कल्लू की हिस्ट्रीशीट को बन्द करना जनहित में उचित नहीं है ।

जनपद सोनभद्र विकास खण्ड धोरावल स्थित मुक्खा फाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की मांग

13–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र विकास खण्ड धोरावल स्थित मुक्खा फाल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में सरकार उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्री (श्री केदार सिंह फोनिया)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पत्र स्थगित]

ग्राम भरपुर पिछवार, ब्लाक तरवां, जिला आजमगढ़ के विकास हेतु दिये गये धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत पर कार्यवाही

15–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90. एवं 1990-91 में ग्राम भरपुर पिछवार, ब्लाक तरवां, जिला-आजमगढ़ के विकास हेतु दिये गये धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा दिये गये दि० 30-7-91 के शिकायती पत्र जो उप मंत्री (पंचायत) को संबंधित था, के संदर्भ में आवश्यक जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 30-7-91 मा० उप मंत्री (पंचायत) के कार्यालय में प्राप्त हुआ था और उसे वहां से जांच हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, आजमगढ़ को सीधे भेज दिया गया था किन्तु उक्त पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

जनपद फिरोजाबाद के सुजात नगर में हुए जाटव हत्याकांड के अभियुक्त श्री हरपाल सिंह को जेल भेजा जाना

16–श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 14-5-91 को सुजात नगर में जाटव हत्याकांड से संबंधित मु० अ० सं० 38 धारा 302 दर्ज कराया गया ? यदि हां, तो उनमें किन-किन मुल्जिमान को नामजद किया गया ? क्या उनकी गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई ? यदि नहीं, तो पूरे प्रकरण की जांच सी० आई० डी० द्वारा करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

(क) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अभियुक्त को नामजद नहीं किया गया था ।

(ख) विवेचना से अभियुक्त हरपाल सिंह निवासी सुजात नगर प्रकाश में आया जिसे दिनांक 16-5-91 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा दिनांक 12-6-91 को उसके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरता जाना नहीं पाया गया । प्रश्नगत प्रकरण में सी० आई० डी० द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

17–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दयालपुर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत पर कार्यवाही

18–श्री जैदान सिंह यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान, ग्राम सभा दयालपुर, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के दुरुपयोग करने के संबंध में श्री राजेन्द्र सिंह, विधायक, बिजनौर का कोई शिकायती पत्र माह अक्टूबर, 1991 में राज्य मंत्री, पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मा० मंत्री द्वारा उस पत्र पर क्या आदेश पारित किये गये हैं एवं शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

जांच कराकर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं ।

निदेशक, पंचायत राज उ० प्र० को जांच कराकर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

श्री मुस्तफा हुसैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, गोपन अनुभाग–5 के असामयिक निधन होने पर आश्रित को सेवा में लिये जाने का प्रकरण

19–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोपन अनुभाग–5 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुस्तफा हुसैन जिनकी मौत दि० 3-7-91 को हुई थी, के आश्रित को सरकारी सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । गोपन अनुभाग–5 में कार्यरत श्री मुस्तफा हुसैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का असामयिक निधन दिनांक 3-7-1991 को हुआ था, परन्तु उनके आश्रित को अभी सरकारी सेवा में नहीं लिया गया है क्योंकि श्री मुस्तफा हुसैन के दो पत्नियां हैं और उनकी दोनों पत्नियों ने सरकारी सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र शासन को दिया है । अतः दोनों पत्नियों से सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है । उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने पर स्व० श्री मुस्तफा हुसैन के वास्तविक उत्तराधिकारी को नियमानुसार सेवा में लिये जाने की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत थाना बनकटा, खामपार, बनकटा तथा भाटपाररानी में दि० 25-6-91 से 25-10-91 तक लिखी रिपोटों का विवरण

20–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत थाना बनकटा, खामपार, बनकटा तथा भाटपाररानी में कितनी रिपोर्टें विभिन्न धाराओं में दि० 25-6-91 से दि० 25-10-91 तक लिखी गयी ? कितने मामलों में चार्जशीट लगी तथा कितनों मे फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ? फाइनल रिपोर्ट लगाने के कारण क्या हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 25-6-91 से 25-10-91 तक की अवधि में जनपद देवरिया के प्रश्न मे उल्लिखित थानों पर पंजीकृत/चार्जशीट लगे/ अन्तिम रिपोर्ट लगे अभियोगों का विवरण निम्नानुसार है :–

थाना का नाम	अभियोग की संख्या		
	पंजीकृत अपराध	जिन में चार्जशीट भेजी गई	अंतिम रिपोर्ट लगाई गई
बनकटा	27	15	11
खामपार	64	40	13
भाटपाररानी	47	34	09

माल, मुल्जिम का पता न चलने, जुर्म प्रमाणित न होने आदि के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

21–श्री हाजी मोहम्मद वसीम–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 189 द्वारा उत्तरित]

दिनांक 15-6-91 को हुई घटना के संबंध में थाना मौरावां जनपद उन्नाव में विवेचना के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी को दोषी न पाया जाना

22–हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ० प्र० शासन को भेजे गये पत्र सं० सी०एम०(वि० को०) एम-1 एल- 14-215/91, दिनांक 2-8-91 के संदर्भ में सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मा० विधायक द्वारा शासन को प्रेषित पत्र दिनांक 2-8-91 का न होकर दिनांक 5-8-91 का है जो विधायक कोष्ठक पंजीयन सं० सी०एम०(वि०को०) एम-9-एल-13_146/91 पर अंकित है। इसकी जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई । दिनांक 15-6-91 की हुई घटना के संबंध मे थाना मौरावां जनपद उन्नाव पर मु०अ०सं० 142/91 धारा 147/148/149/307 भा०दं०वि० विरुद्ध असगर अली इमाम, पप्पू, तुफेल, नफीस, शफीक, असलम शामिन बेग, वसीम, अकील अतीक खां तथा सिद्दीक के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । नामजद अभियुक्त अली इमाम दि० 27-8-91 को गिरफ्तार हुआ तथा शेष अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हुए इस अभियोग में आरोप पत्र सं० 29 दिनांक 4-10-91 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है । विवेचना के दौरान कोई भी पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया इस लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का औचित्य नहीं बनता है ।

जनपद इलाहाबाद में थाना घूरपुर में तैनात कान्सटेबिलों को शराब व्यवसायी संबंधी शिकायतों के कारण स्थानान्तरित किया जाना

23—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के थाना घूरपुर में तैनात कान्सटेबिल राम शिरोमणि उपाध्याय तथा सूर्यमणि मिश्रा को स्थानीय शराब व्यवसायी सम्बन्धी शिकायतों की जांच तथा अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु अशोक सिंह, विधायक, रायबरेली ने जुलाई, 91 में पत्र लिखकर अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

उक्त दोनों पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरित करके शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

श्री रामराज सिंह निवासी सेखवापुर, पोस्ट महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के हत्यारों को जेल भेजा जाना

24—श्री राम लखन वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 10/11 अगस्त, 1991 की रात्रि में श्री राम राज सिंह निवासी ग्राम सेखवापुर, पोस्ट-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर की जघन्य हत्या कर दी गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट भी उसी तिथि की प्रातः 3 बजे संबंधित थाने में नामजद कर दी गई थी ? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मृतक के परिवार को स्थायी सुरक्षा प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुल्जिमान की गिरफ्तारी कब तक करा ली जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

श्री राम राज सिंह की हत्या के संबंध में दिनांक 11-8-91 को प्रातः 6-30 बजे नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना महमूदाबाद में अंकित करायी गयी । नामजद चारों अभियुक्तो को गिरफ्तार करने के लिये स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयास किये गये, किन्तु अभियुक्त गण गिरफ्तार न हो सके, तदोपरान्त 17-8-91 को न्यायालय से आदेश धारा 82/83 जा० फौ० प्राप्त कर अभियुक्तों की चल-सम्पत्ति कुर्क की गयी । नामजद चारों अभियुक्तों ने दिनांक 16-9-91 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया एवं जेल भेजे गये ।

घटना के बाद से ही मृतक के परिवारजनों की सुरक्षा हेतु स्थायी रूप से 2 सशस्त्र आरक्षी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

श्री मो० सिद्दीक खां ग्राम पूरे गुमान सिंह, ब्लाक बजार शुक्ल, जिला सुल्तानपुर के बारे में निःशुल्क बोरिंग हेतु श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी विधायक के पत्र पर कार्यवाही

25—श्री बच्चा पाठक—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मो० सिद्दीक खां, ग्राम पूरे गुमान सिंह, ब्लाक बजार शुक्ल, जिला सुल्तानपुर के बारे में निःशुल्क बोरिंग हेतु श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, विधायक का पत्र दिनांक 28-8-91 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में क्या शिकायतें थीं तथा उन शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में निःशुल्क बोरिंग इंजन क्रय करने में गड़बड़ी करने, उसी गांव के गुरुदीन हरिजन को अनुदान पर चारा मशीन उपलब्ध न कराने तथा उर्वरक क्रय करने हेतु परमिट न देने जैसे मामलों में भ्रष्टाचार करने की शिकायत की गयी है । आरोपों की जांच कराई गई जिसमें सभी शिकायतें निराधार पायी गईं ।

जुलाई, 91 से अक्टूबर, 91 तक मंत्रियों को आंवटित सरकारी आवासों में खर्च धनराशि का विवरण

26–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 91 से लेकर अक्टूबर, 91 तक मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों के नवीनीकरण, साज-सज्जा व सुधार पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? इसका मंत्रीवार व आवासवार ब्योरा क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत अवधि में माननीय मंत्रियों को आवंटित सरकारी आवासों के नवीनीकरण, सुधार व साज-सज्जा पर क्रमशः रु० 4,56,420 व 3,91,225 तथा रुपया 33,38,925 की धनराशि व्यय की गई, जिसका मंत्रीवार व आवासवार ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 159–161 पर)

रागनी श्रीवास्तव, मोहनलालगंज, लखनऊ द्वारा टेलीफोन आपरेटर की अनियमित नियुक्ति के संबंध में सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्रेषित शिकायती पत्र पर कार्यवाही

27–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रागनी श्रीवास्तव पुत्री श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, मोहनलालगंज, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा टेलीफोन आपरेटर पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में की गई अनियमितताओं के संबंध में राज्य मंत्री, राजस्व के उपरिपत्र सं०-61/एस० एम० (आर०)/9/वी० आई० पी० दिनांक 7-1-91 सचिव सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई, जांच में क्या-क्या बिन्दु सामने आयें हैं तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, संदर्भगत पत्र प्राप्त हुआ था, किन्तु प्रश्नगत प्रकरण पर किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि प्रश्नगत चयन को लेकर मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ के समक्ष दायर की गयी रिट याचिका संख्या–926/एस० एस०/91 कृष्ण मोहन मिश्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के संदर्भ में तथा न्याय विभाग के परामर्श के अनुसार उक्त चयन को ही शासन द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1991 को निरस्त कर दिया गया ।

चूंकि प्रश्नगत चयन निरस्त किया जा चुका है, अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम मिलन वर्मा, बस स्टाप, गोसाईगंज, लखनऊ के अंगरक्षक श्री परमेश्वर पाण्डेय का ड्यूटी से गायब होने के प्रकरण में कृत कार्यवाही

28–श्री संतबख्श रावत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम मिलन वर्मा, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ को शासन द्वारा स्वीकृत अंगरक्षक श्री परमेश्वर पाण्डेय 17 मई, 91 को ड्यूटी से गायब हो गये और अपना सर्विस रिवाल्वर श्री वर्मा के आवास पर ही छोड़ गये जिसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को 29 मई, 1991 को दी गई है ? यदि हां, तो क्या 8 जुलाई, 1991 को पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को अंगरक्षक भेजने तथा रिवाल्वर वापस भेजने के बारे में प्रश्नकर्ता द्वारा टेलीफोन से सूचना देने पर 8 जुलाई, 1991 को लगभग 9 बजे रात्रि थानाध्यक्ष, गोसाईगंज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार रिवाल्वर वापस ले गये ? ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के लिये संबंधित अंगरक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा श्री वर्मा को अब तक अंगरक्षक न दिये जाने का क्या कारण है ? उन्हें कब तक अंगरक्षक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अंगरक्षक द्वारा की गयी लापरवाही के प्रकरण में जांच कराकर दिनांक 17-5-91 से 7-6-91 तथा 27-6-91 से 12-7-91 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करके तथा उ० प्र० अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के प्रस्तर–4 (ख)/चार के अन्तर्गत पर निन्दालेख अंकित किये जाने के प्रति वांछित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री वर्मा को शासनादेश संख्या 277एम/6-1-91 दिनांक 2-2-91 द्वारा केवल तीन माह के लिये अंगरक्षक दिये जाने के आदेश निर्गत हुए थे और दिनांक 6-3-91 से 3 माह के लिये श्री वर्मा की सुरक्षा में अंगरक्षक नियुक्त कर दिया गया था जिसकी अवधि दिनांक ५-६-९१ को समाप्त हो गयी ।

उक्त श्री वर्मा की सुरक्षा हेतु अंगरक्षक प्रदान करने के संबंध में शासन स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित कोई अनुरोध पत्र नही प्राप्त हुआ है । अतः उन्हें अंगरक्षक प्रदान किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में पंचायत उद्योग, सरोजनीनगर द्वारा बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय को की गई आपूर्ति की सतर्कता विभाग द्वारा जांच किया जाना

29–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री महराज सिंह यादव तथा श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर)–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि पंचायत उद्योग, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा वर्ष 1985-86 में बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय को जो-जो सामग्री आपूर्ति की गयी थी, उसमें भारी धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उसमें तिबारा जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछले पांच साल में आपूर्ति की गयी सामग्रियों की शुद्धता की जांच कराने पर भी विचार करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस उद्योग द्वारा कौन-कौन सी सामग्री बनायी एवं आपूर्ति की जाती है तथा इस समय इस पंचायत उद्योग द्वारा किन-किन विभागों को क्या सामग्री आपूर्ति की जा रही है या आपूर्ति आदेश मिला है ? क्या सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि इस पंचायत उद्योग द्वारा स्वतः कुछ भी नहीं बनाया जाता है बल्कि निजी संस्थाओं

द्वारा खरीद कर सामान आपूर्ति कर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग को शासकीय आदेश संख्या-5038(1)-रा-33/3-371-74, दि० 1976 से मुक्त रखने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां । पंचायत उद्योग, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा वर्ष 1985-86 में लखनऊ जनपद की बाल विकास परियोजनाओं के लिये 1800 कन्टेनर्स की आपूर्ति की गयी थी, जिसमें गड़बड़ी का मामला प्रकाश में आया था । प्रारम्भिक जांच समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव से करायी गयी थी । जांच में अधिकारियों/कर्मचारियों के दोषी पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही हेतु विशेष सचिव समाज कल्याण से जांच करायी गयी यह मामला विधान सभा में उठाये जाने के कारण प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दिया गया था । उक्त समिति विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुई एवं पुनः जांच कराये जाने की आवश्यकता पर बल दिया, अतः अब सम्पूर्ण जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है । विगत पांच वर्षों में आपूर्ति की गयी सामग्रियों की शुद्धता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतएवं जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

इस उद्योग द्वारा लकड़ी के फर्नीचर, टाट-पट्टी, शौचालय सेट का निर्माण एवं आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है । पंचायत उद्योग द्वारा शिक्षा विभाग को फर्नीचर एवं टाट-पट्टी, मण्डी समिति, लखनऊ को फर्नीचर एवं विकास खण्ड में शौचालय सेटों की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है और इन्हीं वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य पंचायत उद्योग को मिला है । इसके अतिरिक्त पंचायत उद्योग में स्वचलित प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया गया है, जिसमें छपाई का कार्य निम्न विभागों का हुआ है :–

(1) निदेशक राष्ट्रीय बचत, लखनऊ (आय-कर पुस्तिका) ।

(2) मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ (वायोगैस फार्म) ।

(3) जिला ग्राम विकास अभिकरण, लखनऊ (ग्राम बन्धु रजिस्टर) ।

(4) जिला अल्प बचत अधिकारी, लखनऊ (प्रचार सामग्री) ।

(5) जिला आवास विकास अधिकारी, लखनऊ (निर्बल वर्ग आवास के फार्म) ।

(6) खण्ड विकास अधिकारी, सरोजनी नगर, लखनऊ (प्रचार सामग्री) ।

(7) निदेशक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (पंचायत दर्शन पत्रिका) ।

(8) लखनऊ पब्लिक स्कूल, लखनऊ (स्कूल लैटर पैड) ।

पंचायत उद्योग को जिन सामानों की आपूर्ति का आदेश संबंधित विभागों से प्राप्त हुआ है उन वस्तुओं का स्वयं निर्माण कर आपूर्ति की है । मात्र बाल विकास परियोजना में तालों की आपूर्ति बाजार से क्रय करके की गई है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मथुरा वृन्दावन क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध कालोनियों के निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग

30.—श्री संत बख्श रावत—

क्या सरकार को जानकारी है कि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में अनेक अवैध कालोनियों का निर्माण जारी है ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और क्यों ? ग्राम सभा अब्दुलनबीपुर, लोहवन, रायपुरमई, गोसनासहायपुर एवं तैयापुर में अवैध कालोनियों के अवैध निर्माण को कब तक रोक दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोलोनाइजर्स ने उक्त ग्राम सभाओं में हरिजनों की भूमि के भी करार (एग्रीमेन्ट) कर लिये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? क्या सरकार इस अवैध धन्धे को शीघ्र रोकने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत कालोनियों के निर्माण की जानकारी होने पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधान के अनुसार कार्यवाही की गई है। अनाधिकृत रूप से निर्मित कालोनियों की संख्या-54 है।

इन ग्राम सभाओं में अवैध कालोनियों के निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

इस प्रकार की कोई जानकारी प्रकाश में नहीं आयी है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की गई।

मथुरा, वृन्दावन, गोकुल एवं गोवर्धन धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कार्यवाही का विवरण

31.—श्री संत बख्श रावत—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उन्होंने वृन्दावन एवं नगला चन्द्रभान (मथुरा) के दौरे के समय मथुरा वृन्दावन, गोकुल एवं गोवर्धन धार्मिक स्थलों के विकास हेतु कुछ योजनाओं की घोषणायें की थीं? यदि हां, तो उन घोषित योजनाओं के नाम क्या हैं ? उन पर कितना व्यय भार आयेगा तथा वे कब तक पूरी कर दी जावेगी।

श्री केदार सिंह फोनिया—

जी हां।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने वृन्दावन एवं नगला चन्द्रभान के दौरे के समय निम्न योजनाओं की घोषणायें की थीं :—

(1) श्री कृष्ण जन्म स्थल को राष्ट्रीय मार्ग-2 में सीधे जोड़ने की योजना।

(2) मथुरा परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण।

(3) यात्री निवास गृह एवं वाहनों के लिये पार्किंग व्यवस्था का विकास एवं तीन सुलभ शौचालयों का निर्माण।

(4) बृन्दावन में सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था।

(5) बृन्दावन परिक्रमा मार्ग का पुनरोद्धार।

(6) वृन्दावन में प्रमुख ऐतिहासिक एवं पौराणिक कुण्डों-ब्रह्मकुण्ड एवं गोपेश्वर कुण्ड का जीर्णोद्धार ।

(7) होलीगेट से तीन मुख्य मार्गों का सौन्दर्यीकरण ।

(8) मुक्ताकाशी रंगमंच (ओपन एयर थियेटर) का निर्माण ।

(9) आडीटोरियम का निर्माण ।

(10) कुसुम सरोवर का पुनरोद्धार ।

(11) चन्द्र सरोवर का जीर्णोद्धार ।

उक्तगत योजनाओं पर लगभग 325.00 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है । योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

जनपद फिरोजाबाद की पुलिस पर कथित निष्क्रियता एवं लापरवाही का आरोप

32—श्री राम लखन वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पृथ्वीराज, बाबूलाल एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा तार के माध्यम से दिनांक 12-7-91 को मा० मुख्य मंत्री गृह सचिव महानिदेशक (पुलिस) आई० जी० पुलिस, कानपुर को थाना-टूण्डला, फिरोजाबाद में पंजीकृत मु० अ० सं० 38 धारा-302 में पुलिस की निष्क्रियता एवं लापरवाही से मुल्जिमानों की गिरफ्तारी न होना आदि तथ्यों से अवगत कराया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में कोई जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, वादीगणों द्वारा दिनांक 12-7-91 को भेजे गये तार प्राप्त होने से पूर्व ही दिनांक 14-5-91 को सुजातनगर में घटित हत्या के अभियुक्त हरपाल सिंह को दिनांक 15-5-91 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था एवं दिनांक 12-6-91 को विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत आरक्षित आवासीय योजना के स्थानों पर अनधिकृत कब्जों को हटाने की मांग

33—श्री हरिशंकर तिवारी, श्री ओम प्रकाश (गोरखपुर) तथा श्री सुरेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण लखनऊ मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कुर्सी रोड, अलीगंज तथा फैजाबाद रोड, चिनहट तक दोनों साइड आवासीय योजना के लिए आरक्षित है फिर भी फैजाबाद रोड पर दोनों साइड पर पूरा क्षेत्र निजी व्यवसायिक काम्पलेक्स तथा दुकानों से घिरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों क्षेत्रों के साथ ऐशबाग में डुलकी अड्डा के पास स्थित शकूर मार्केट सहित हैदरगंज से नाका रोड पर आरा मशीन मालिकों, आटा मिल से ऐशबाग ओवरब्रिज पुल तक रोड पर अनाधिकृत कब्जा धारकों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-63 की उपधारा-16 के

अंतर्गत जिसमें निर्मित भवन भी शामिल है, को गिराये जाने तथा पांच हजार रुपये प्रति उपयोग दिवस के हिसाब से जुर्माने का प्राविधान करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्राधिकरण के सचिव इसके लिये कहां तक जिम्मेदार है ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र महापालिका सीमा से ८ किलोमीटर तक है जिसमें मास्टर प्लान लागू है ।

कुर्सी रोड, अलीगंज तथा फैजाबाद रोड, चिनहट तक दोनों साइडों का भू-उपयोग महायोजना में भिन्न-भिन्न उपयोगों हेतु आरक्षित है । फैजाबाद रोड के दोनों साइडों पर काफी क्षेत्र में निजी व्यवसायिक काम्पलेक्स तथा दुकानों का घिराव है ।

उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम में धारा–73 की उपधारा–16 नहीं है, परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26(2) की सहपठित धारा-16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रजिस्ट्रीकृत विद्या मन्दिर सहकारी गृह निर्माण समिति एवं खुर्शेदबाग सहकारी गृह निर्माण समिति लखनऊ द्वारा प्रस्तुत मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत

34–श्री पूरन प्रकाश

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 30वर्ष से ज्यादा पुरानी एवं रजिस्ट्रीकृत विद्या मंदिर सहकारी गृह निर्माण समिति एवं खुर्शेद बाग सहकारी गृह निर्माण समिति लखनऊ द्वारा 15 अक्तूबर, 1988/17 मई, 1990 (संशोधित) को आवासीय कालोनी स्थापित करने के लिये भूविन्यास मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसे केवल इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि प्राधिकरण की तथाकथित अलीनगर सुनेहरा नामक प्रस्तावित स्कीम के लिये समितियों की भूमि का अर्जन विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि क्या अलीगंज सुनेहरा नामक तथाकथित स्कीम यू० पी० अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट-1973 की धारा-11 के अनुसार तैयार एवं प्रकाशित की गई अथवा शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी तथा क्या उक्त भूमि के अर्जन का प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा पारित हुआ है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्राधिकरण द्वारा भू-विन्यास मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया । परन्तु प्राधिकरण के इस निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या-91024 में यह प्रकरण आयुक्त/अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 13-1-92 को लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि प्रश्नगत मानचित्र की समस्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण कराकर वह पुनः निर्णय लें ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र को पारित करने की शासन की नीति

35—श्री पूरन प्रकाश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी गृह निर्माण समितियों के संबंध में शासन की नीति, जो आवास अनुभाग के शासनादेशों सं०-1634 दिनांक 9-4-80/सं०-8461, दिनांक 25-4-84, सं०-4480, दिनांक 27-10-86, सं०-1148 दि० 27-3-87, एवं सं०-5193, 24-10-89 में उल्लिखित है, के अनुसार उक्त भूमि का जो लगभग 1970 से सोसाइटियों के कब्जे में है तथा उसके अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, अधिगृहीत नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्या सरकार समिति द्वारा प्रस्तुत भू-विन्यास मानचित्र को पारित करने का आदेश देते हुए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

शासनादेश संख्या-4480/37-2-86, दिनांक 27-10-86 के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है ।

चूंकि प्रश्न में किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं है ऐसी स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया में दि० 25-6-91 से 25-10-91 के सभी थानों में दर्ज अपराधों की संख्या का विवरण

36—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में 25-6-91 से 25-10-91 के बीच कितने अपराध जनपद के सभी थानों में दर्ज हुए ? अपराध बढ़ने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह—

देवरिया जनपद में दिनांक 25-6-1991 से 25-10-91 तक की अवधि में जनपद के सभी थानों में विभिन्न धाराओं में कुल 1589 अभियोग पंजीकृत किये गये हैं ।

आर्थिक एवं सामाजिक कारणों के परिणामस्वरूप तथा सभी प्रथम सूचनाओं के पंजीयन के कारण पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है ।

श्री मैनेजर यादव, ग्राम मिश्रौली, थाना बनकटा, जिला देवरिया के हत्यारों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाना

37—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मिश्रौली, थाना बनकटा, जिला देवरिया में गत 5-10-91 को मैनेजर यादव की हत्या कर दी गई जिसकी रपट थाना बनकटा में 6-10-91 को दर्ज हुई ? यदि हां, तो साजिश करने वाले के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

विवेचना में 8 अभियुक्त दोषी पाये गये । उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया है । अन्य कोई साजिश करने वाला प्रकाश में नहीं आया ।

38-39—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट-पब्बाधार-चौरपाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वनभूमि होने के कारण अवरुद्ध होना

40—श्री लीला राम शर्मा—

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में स्वीकृत जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट-पब्बाधार-चौरपाल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री पूरन चन्द्र शर्मा)—

प्रसंगत मोटर मार्ग की केवल प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-ख-70-28-5-21 सा/85, दिनांक 24-1-85 के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। मार्ग में वनभूमि पड़ने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है। भारत सरकार से वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग द्वारा नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजे गये थे जो उनके पत्र दिनांक 22-1-92 द्वारा कुछ आपत्तियों के साथ अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को वापस कर दिये गये है। वनभूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने के उपरान्त निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट के ग्राम रैतोला में सरयू नदी पर पुल के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षित आगणन

41—श्री लीला राम शर्मा—

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91 में जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट-दन्या पैदल मार्ग मे ग्राम- रैतोला में सरयू नदी पर स्वीकृत पैदल पुल का निर्माण कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा—

जी हां, शासनादेश संख्या 1026/28-5-91-177 सा/90, दिनांक 18-3-91 द्वारा 20 मीटर लम्बाई हेतु 12.00 लाख रुपये की निर्माण लागत पर पुल की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। चूंकि साइट पर 70 मीटर के पुल की आवश्यकता है, अतः कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। पुनरीक्षित आगणन लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा तैयार किया जा रहा है।

जनपद आगरा में मीना एनक्लेव, दयालबाग द्वारा स्थल की औपचारिकतायें पूर्ण न करने पर मानचित्र अस्वीकृत किया जाना

42—श्री किशन गोपाल—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा विकास प्राधिकरण में बैंक के कुछ अधिकारियों ने मीनाबाग एनक्लेव, दयालबाग का ले-आउट प्लान पास कराने हेतु कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो आज तक उसकी सुनवाई क्यों नही की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मीनाबाग एनक्लेव, दयालबाग का ले-आउट प्लान कब तक पास होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, किन्तु राम जी सहकारी आलस समिति लि० द्वारा मीना एनक्लेव, दयालबाग के नाम दिनांक 4-2-88 को एक विन्यास मानचित्र आगरा विकास प्राधिकरण में जमा किया गया था।

इस समिति की दिनांक 30-9-88, 13-6-90, 17-8-90 व 27-12-90 को सुनवाई की गई थी, परन्तु समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण न कराने तथा औपचारिकतायें पूर्ण न होने के कारण भू-विन्यास मानचित्र दिनांक 7-11-88 को अस्वीकृत किया गया है, जिसकी सूचना समिति को भी दिनांक 13-6-90, 30-7--90 व 25-10-90 को दे दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका, आगरा की अवैध कब्जे से सरकारी भूमि को मुक्त कराने की मांग

43–श्री किशन गोपाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण एवं नगर महापालिका की कितनी जमीन पर लोगों का नाजायज कब्जा है ? क्या इस अवैध कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराने की और कब्जा करने वालों को दण्ड देने की शासन की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

विकास प्राधिकरण, आगरा की लगभग 5 एकड़ भूमि पर तथा नगर महापालिका, आगरा की 3,040 वर्गगज भूमि पर लोगों का अवैध कब्जा है।

उ० प्र० नगर महापालिका अधिनियम 1959 व उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नगर महापालिका/प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में आवास विकास की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया जाना

44--श्री किशन गोपाल--

क्या आवास विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा (सोंखरोड) में आवास विकास की करोड़ों की जमीन खसरा नं०-2053, 2054, 2055 पर कुछ पूंजीपतियों द्वारा सहायक लेखाकार तथा जूनियर इंजीनियर की सहायता से अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी पूर्ण जांच कराकर आवास विकास की उक्त जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों से जमीन का कब्जा मुक्त कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

मथुरा सोंखरोड में आवास विकास योजना के अन्तर्गत खसरा नं० 2053, 2054, 2055 पर कुछ अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों ने अतिरिक्त सिविल जज पंचम, मथुरा के न्यायालय में वाद दाखिल किया तथा न्यायालय ने 11-9-91 के आदेशानुसार निर्माण को ध्वस्त न करने एवं वादी की गतिविधियों में बाधा न पहुंचाने के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा दी है। इस प्रकार से यह मामला न्यायालय में सबजूडिस है।

जिला सिद्धार्थनगर के अंतर्गत थाना गोल्हौरा पर तैनात नायब दरोगा श्री बी० आर० विक्रम के विरुद्ध दिये गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर जांच की मांग

45–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अंतर्गत थाना गोल्हौरा पर तैनात नायब दरोगा श्री बी० आर० विक्रम के गलत कार्यों के विरुद्ध श्री संतराम पुत्र हरिद्वार सा० बरगदवा थाना गोल्हौरा जिला सिद्धार्थनगर का कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को सितम्बर, 1991 के प्रथम तथा तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों की जांच कब-कब हुई ? किस अधिकारी ने जांच किया तथा जांच परिणाम क्या प्राप्त हुआ ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रार्थना-पत्रों पर क्षेत्राधिकारी, बांसी द्वारा जांच की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में स्थित सत्तेशगढ़ को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की मांग

46–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में स्थित सत्तेशगढ़ को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट के अंतर्गत पुलिस चौकी मुहद्दीनपुर के एस० आई० पर रुपये छीनने के कथित आरोपों की जांच

47–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना कैन्ट अंतर्गत पुलिस चौकी मुहद्दीनपुर के इंचार्ज एस० आई० ने दिनांक 8–8–91 ई० को रात्रि लगभग 8 बजे अपनी कपड़े की साड़ी की दुकान प्रिया साड़ी सेंटर को बंद कर मुहद्दीनपुर गोरखपुर से अपने निवास जा रहे श्री राजेन्द्र पाण्डेय से दो हजार रुपये की मांग की और देने से इंकार करने पर इंचार्ज एस० आई० ने बुरी तरह से उन्हें मारा और 500 रुपये छीन लिया जिसकी शिकायत आई० जी०, जोन,, गोरखपुर, एस० एस० पी०, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल, राज्य मंत्री श्री धनराज यादव, नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ० प्र० को दिनांक 10–8–91 से दिनांक 19–9–91 के बीच कई पत्र रजिस्टर्ड डाक से व मिलकर दिए गए हैं ? यदि हां, तो अब तक इस पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? जांच व कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्रों पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई । जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

जनपद इलाहाबाद के पिछड़े क्षेत्र छाबा के कतिपय विकास खण्डों में लगाये गये उद्योगों का विवरण

48–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के पिछड़े क्षेत्र छाबा के विकास खण्ड चायल, नेवादा, मूरतगंज, बारा (कौशाम्बी), सरसवां, मंझनपुर, सिराथू एवं कड़ा में सरकार द्वारा कितने उद्योग लगाये गये हैं और वे कहां-कहां पर ? यदि नहीं , तो क्यों ? क्या सरकार क्षेत्र के विकास हेतु उक्त क्षेत्र में बड़े कारखानों एवं लघु उद्योगों की स्थापना करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद इलाहाबाद के छाबा क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा स्थापित किये गये लघु, लघुत्तर उद्योगों की विकास खण्डवार स्थिति निम्नवत् है :–

चायल

कुल 46 उद्योग, मनौरी, बमरौली एवं पुरामुफती आदि में स्थापित हैं ।

नेवादा

कुल 27 उद्योग, नेवादा, तिलहापुर,सराय अंकिल आदि स्थानों पर स्थापित हैं ।

मूरतगंज

कुल 54 उद्योग, मूरतगंज, भरवारी, सैयद सरावा, शेरगढ़ आदि में स्थापित हैं ।

बारा (कोशाम्बी)

कुल 4 उद्योग कोशाम्बी में स्थापित हैं ।

सरसवां

कुल 22 उद्योग, पश्चिमी शरीरी, हनुमानपुर,गरौली एवं कम्हियांवा में स्थापित हैं ।

मंझनपुर

कुल 17 उद्योग मंझनपुर में स्थापित हैं ।

सिराथू

कुल 132 उद्योग, सिराथू, अझुबा, समसाबाद में स्थापित हैं ।

कड़ा

कुल 14 उद्योग, दारानगर, सैनी में स्थापित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वृहत् उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु लाइसेंस जारी किये जाते हैं । यदि छावा क्षेत्र के विकास हेतु कोई उद्यमी बृहत उद्योग स्थापित करना चाहेगा तो शासन द्वारा उसे हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । जहां तक लघु उद्योग स्थापित करने का प्रश्न है, स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट की जा चुकी है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के कतिपय आवासों में निमार्ण कार्य पूर्ण होने के पूर्व सम्बन्धित ठेकेदार को उसका भुगतान किये जाने का औचित्य

49–श्री जैदान सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के पत्र संख्या-3995/32-4/91. दिनांक 3–6–91 द्वारा सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ के कतिपय आवासों में निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत आगणन के अनुसार अपेक्षित कार्य पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही संबंधित ठेकेदार को उसका भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठना ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मोहल्ला गनीनगर, नन्दा खेड़ा के निवासियों से आवासों को खाली कराने का कारण

50–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के मोहल्ला गनीनगर, नन्दा खेड़ा में श्रमिक एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये 250 आवासों का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसमें निवास कर रहे श्रमिकों एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को, लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा मकान खाली करने को कहा जा रहा है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ? क्या उनके लिये अन्यत्र आवासीय सुविधा प्रदान करने का कोई प्राविधान है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में वर्तमान मुख्य अभियन्ता के कार्यकाल में आवास विकास परिषद् की ओबरी गृहस्थान तथा आवास योजना संचालित किया जाना

51–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में आवास विकास परिषद् की कितनी योजनायें वर्तमान मुख्य अभियंता के कार्यकाल से बाराबंकी में चल रही है ? उसमें से कितनी योजनायें पूरी हो गयीं तथा कितनी निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों में समानता के आधार पर परिषद् की योजनायें चलाये जाने का विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

वर्तमान मुख्य अभियंता दिनांक 24 अप्रैल 1990 से अपने पद पर कार्यरत हैं। इनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व से बाराबंकी जनपद में ओबरी गृहस्थान एवं आवास योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1990-91 तक 1126 सम्पत्तियों का निर्माण/विकास कार्य पूर्ण हो चुका है। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-1 (3) के अन्तर्गत घोषित क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं/मांग के अनुरूप विकास/निर्माण कार्य परिषद् द्वारा कराया जाता है। अतः समस्त जनपदों में समानता के आधार पर परिषद् की योजनायें चलाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आवास विकास परिषद्, लखनऊ के निर्माण खण्ड-12 के कतिपय सहायक अभियन्ता तथा अन्य अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बित करने की बात

52–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिव पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत जून, 1991 से जुलाई, 1991 तक आवास विकास परिषद् के अभियंताओं तथा राज्य सम्पत्ति प्रबंध अधिकारियों का स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन सहायक अभियंताओं तथा सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी का तबादला लखनऊ से बाराबंकी के लिये किया गया है उनके विरुद्ध निर्माण खण्ड-12, लखनऊ तथा पंजीकरण अनुभाग में व्यापक भ्रष्टाचार करने का आरोप है ? यदि हां, तो न्याय की दृष्टि से उनको निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता ने उनको समुचित दण्ड न देकर कुछ समय के लिये पड़ोसी जनपद बाराबंकी में स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके उक्त संदर्भित समय के कार्यकलापों की जांच कराकर उन्हें निलम्बित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

जांच की जा रही है।

जी नहीं।

जांच आख्या के परिणामों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

आवास विकास निर्माण खण्ड-13 के अधिशासी अभियंता के कार्य क्षेत्र में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप आवासीय भवनों का निर्माण

53—श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री शिव पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आवास विकास परिषद् के निर्माण खण्ड-13 के अधिशासी अभियंता के निर्माण क्षेत्र में उनके कार्यकाल में जो भी आवासीय भवन बनाये गये हैं वह मानक के अनुरूप नहीं हैं ? क्या उसमें जो निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गयी है वह घटिया किस्म की है जबकि उसका भुगतान उच्च कोटि की दर से किया गया है ? यदि हां, तो क्या सही है कि वर्ष 1990 में उक्त अभियंता द्वारा सर्किल-3 के कर्मचारियों के वेतन में लगातार छः माह तक घपला करने की शिकायत होने पर शासकीय आदेशों के अनुसार इनके द्वारा दण्ड स्वरूप 45 हजार रुपया एक साथ रिफण्ड कराया गया है ? यदि हां, तो इनको अब तक शासन द्वारा क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन्हें दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-13 के कार्य क्षेत्र में जो भी आवासीय भवन बनाये गये हैं वह मानक के अनुरूप है । इन भवनों में जो भी निर्माण सामग्री प्रयोग की गयी है, वह निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप हैं तथा तद्नुसार ही इनका भुगतान किया गया है । तृतीय वृत्त कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में निर्माण खण्ड-13 के एक लिपिक द्वारा बिलों में कटिंग करके 45 हजार रु० की धनराशि अधिक निकालने का मामला प्रकाश में आया किन्तु वास्तविक रूप में उसने रु० 40,000 की धनराशि का गबन किया था, जिसे वसूल कर लिया गया है । दोषी कर्मचारी को परिषद् द्वारा निलम्बित किया गया है ।

आवास विकास परिषद् के कतिपय अभियंताओं द्वारा गृह निर्माण अग्रिम धनराशि लेकर भवन निर्माण न कराये जाने की शिकायतें

54—श्री महराज सिंह यादव तथा श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-1992 में आवास विकास परिषद् के निर्माण खण्ड—13, 15 व 16 में कितने अधिशासी/ सहायक अभियंताओं को गृह निर्माण हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृति हुई है और कितनी-कितनी ? क्या यह सही है कि जिन अधिशासी/ सहायक अभियंताओं को उक्त अग्रिम स्वीकार हुआ था और उनके द्वारा भुगतान ले लिया गया है किन्तु भवन निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

दो सहायक अभियंताओं को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया गया । एक सहायक अभियंता का मकान पूर्ण हो चुका है । दूसरे को दिसम्बर-91 में अग्रिम का भुगतान किया गया । उनका निर्माण पूर्ण होना है । उपरोक्त परिपेक्ष्य में जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बदायूं विकास खण्ड उझानी, ग्राम सभा रौली को स्कूल की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 1988-89 में आवंटित धन का विवरण

55—श्री झाऊ लाल यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि वित्तीय वर्ष 1988-89 में ग्राम सभा रौली, विकास खण्ड उझानी, जनपद बदायूं को स्कूल मरम्मत हेतु 5,000 रुपया आवंटित किया गया था ? क्या उक्त धन से स्कूल की मरम्मत करायी गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त धन को ग्राम प्रधान से ब्याज सहित वसूल किया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

56—57—श्री झाऊ लाल यादव—

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 190-191 द्वारा उत्तरित]

58—श्री राम आसरे वर्मा—

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण प्रश्न हटाया गया]

59—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

60—श्री किशन गोपाल—

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 193 द्वारा उत्तरित]

बी० डी० ओ०, बड़ागांव, जिला वाराणसी द्वारा ब्लाक प्रमुख तथा कतिपय प्रधानों के विरुद्ध सी० आई ०डी० जांच की मांग

61—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० डी० ओ० बड़ागांव जिला वाराणसी ने ब्लाक प्रमुख तथा दस प्रधानों के खिलाफ ता० 7 सितम्बर, 91 को थाना बड़ागांव में एक रिपोर्ट रिवाल्वर कट्टा से आफिस में धमकाने, फाइल उठा ले जाने तथा नाजायज धन की मांग की की है ? यदि हां, तो क्या उक्त बी० डी० ओ० ने जिलाधीश, वाराणसी को दिनांक 7-9-91 को एक दरख्वास्त दिया है जो एस० ओ०, बड़ागांव, वाराणसी को जिलाधीश ने आदेश प्रथम सूचना दर्ज करने का दिया है ? क्या इसकी जांच सरकार सी० आई० डी० से करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

इसकी विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । मामला न्यायालय में विचाराधीन है । सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

विधान सभा

जनपद वाराणसी के गांव सभा कवि रामपुर व गांव सभा इसीपुर के प्रधानों को गिरफ्तार कर थाना बड़ागांव में बन्द किये जाने की घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग

62–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता० 28-9-91 को गांव सभा कवि रामपुर व गांव सभा इसीपुर थाना बड़ागांव जिला वाराणसी के प्रधान क्रमशः श्री संकठा प्रसाद व श्यामाचरण को गिरफ्तार करके हवालात थाना बड़ागांव में बन्द किया गया था और इस मामले में ब्लाक बड़ागांव के ब्लाक प्रमुख श्री प्रसिद्ध नारायण व गांव बेलवां के प्रधान श्री राजेन्द्र तिवारी तथा अन्य दस लोगों को बी० डी० ओ०, बड़ागांव, वाराणसी की एक रिपोर्ट दिनांक 7-9-91 द्वारा मुल्जिम बनाया गया है ? क्या सरकार इस पूरे घटना की सी० आई० डी० से जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

जनपद आगरा में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों का पंजीकरण भारत सरकार की अनुमति पर किया जाना

63–श्री झाऊ लाल यादव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु कारखानों को आगरा से 40 किलोमीटर दूर हटाया गया था ? यदि हां, तो क्या उस समय जनपद मैनपुरी की जसराना तथा शिकोहाबाद तहसीलें इस सीमा से बाहर थीं तथा साथ ही औद्योगिक सीमा के अन्दर घोषित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जनपद फिरोजाबाद के गठन के उपरान्त इसमें पड़ने वाली तहसीलों में उद्योगों का पंजीकरण बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त पंजीकरण किस कारण बन्द किया गया ? क्या उक्त स्थानों के लिये पंजीकरण शीघ्र खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

ताजमहल को प्रदूषण से दूर रखने के लिये "ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र" को चिन्हित किया गया था, जिसके अन्तर्गत शिकोहाबाद तहसील का कुछ भाग तथा जसराना तहसील का एक चौथाई से कुछ कम भाग भी आता है ।

ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में प्रदूषणकारी उद्योगों का पंजीकरण भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाता है । अन्य प्रकार के उद्योगों के पंजीकरण पर प्रतिबंध नहीं है ।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनपद बहराइच श्रेणी "स" में आने के कारण स्थापित उद्योगों को 10 प्रतिशत का अनुदान दिया जाना

64–श्री बृजराज त्रिपाठी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "जगदीशपुर" जनपद सुल्तानपुर व कानपुर देहात में

स्थापित होने वाले लघु उद्योगों के आवंटित ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो बहराइच जनपद में स्थापित होने वाले उद्योगों के ऋण पर मात्र 10 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

राज्य सरकार द्वारा पिछड़े जनपदों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को उनके द्वारा स्थाई पूंजी विनियोजन पर राज्य पूंजी उपादान दिया जाता है । पिछड़े जनपदों को श्रेणी ''अ'', ''ब'' व ''स'' में वर्गीकृत किया गया है और इन श्रेणी के जनपदों में उद्योग स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत का उपादान अनुमन्य है । सुल्तानपुर व कानपुर देहात श्रेणी ''अ'' के पिछड़े जनपद हैं तथा वहां पर कुल स्थाई पूंजी विनियोजन के 20 प्रतिशत की दर से उपादान अनुमन्य है जबकि बहराइच जनपद ''स'' श्रेणी के अन्तर्गत आता है तथा उक्त जनपद में स्थापित होने वाले उद्योगों को 10 प्रतिशत का उपादान दिया जाता है ।

प्रदेश में बढ़ती हुई अपहरण की घटनाओं को देखते हुए वर्तमान कानून मे संशोधन करने की मांग

65—श्री लीलाराम शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे प्रदेश में बढ़ती हुई अपहरण की घटनाओं को देखते हुए वर्तमान कानून में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को प्रेषित करने वाले हैं ? यदि हां, तो प्रस्ताव कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

केन्द्र सरकार को वर्तमान कानून में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव भेजने का प्रकरण इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद में 15 थानों के अतिरिक्त तीन नये थानो को खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन

66—श्री राम किशन दयालु--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में कुल कितने थाने हैं तथा कितने थाने नये खोलने की व्यवस्था की जा रही है ? वे थाने कहा-कहां खोले जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

जनपद फिरोजाबाद में वर्तमान में कुल 15 थाने हैं । शासन में तीन नये थाने-थाना पचोखरा, रसूलपुर तथा नगला सिन्धी की स्थापना के प्रस्ताव का परीक्षण कराया जा रहा है ।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा सचिवालय कर्मियों के समान वेतनमान की मांग

67—श्री सन्त बख्श रावत--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर पर स्थापित प्रशासनिक सुधार निदेशालय के कर्मचारियों का अधिष्ठान वेतन आदि का आहरण वितरण कहां से होता है और आहरण वितरण अधिकारी कौन है ? क्या निदेशालय के कर्मचारियों को सचिवालय

कर्मियों की भांति सचिवालय भत्ता, विशेष वेतन अनुमन्य है ? यदि निदेशालय के कर्मचारी सचिवालय स्तर पर सचिवालय का ही कार्य करते हैं तो क्या वही वेतनमान उनको भी दिनांक 1-1-86 से अनुमन्य कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे, जो सचिवालय कर्मचारियों को अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रशासनिक सुधार निदेशालय के कर्मचारियों का अधिष्ठान वेतन आदि का आहरण एवं वितरण प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है और आहरण एवं वितरण अधिकारी अनु सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

निदेशालय के कर्मचारी सचिवालय का कार्य नहीं करते हैं इसलिये उन्हें सचिवालय का वेतनमान अनुमन्य कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा निरन्तर घाटा देने वाले नलकूपों को बेचने का निर्णय

68–श्री राम औतार शाक्य–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा वर्ष 1981-82 में सामुदायिक नलकूप योजनान्तर्गत 33 नलकूपों का निर्माण मैनपुरी जनपद में कराया गया था, जिसमें 29 नलकूप मैनपुरी की सीमा में, 11 विकास खण्ड जागीर, 8 विकास खण्ड किशनी एवं 10 विकास खण्ड सुल्तानगंज में हैं ? यदि हां, तो क्या वह योजना बन्द कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नलकूपों का अधिग्रहण कर राजकीय नलकूप विभाग द्वारा चालित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं । आगरा मण्डल विकास निगम द्वारा सामुदायिक नलकूप योजना के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी में 35 नलकूपों का निर्माण कराया गया था, जिनमें से 10 नलकूप विकास खण्ड जागीर में, 10 नलकूप विकास खण्ड किशनी में, 12 नलकूप विकास खण्ड सुल्तानगंज में, 1 नलकूप विकास खण्ड जसराना में, 1 नलकूप विकास खण्ड एका में तथा 1 नलकूप विकास खण्ड शिकोहाबाद में है (विकास खण्ड एका, जसराना एवं शिकोहाबाद वर्तमान में जनपद फिरोजाबाद में हैं)।

योजना बन्द नहीं की गयी, बल्कि उपरोक्त सभी नलकूप निरन्तर घाटा दे रहे थे । अतः निगम के निदेशक मण्डल ने नलकूपों को बेचने का निर्णय लिया है ।

69–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद गोण्डा के ब्लाक कटरा ग्राम सभा भरथा इटहिया के प्रधान द्वारा सरकारी धन का कथित दुरुपयोग

70–श्री समीउल्ला–

क्या पचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के ब्लाक कटरा ग्राम सभा भरथा इटहिया के प्रधान के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग के विषय में सन् 1991 ई० के जुलाई में जांच उप परियोजना निदेशक (आई० आर० डी०), गोण्डा एवं विभागीय जूनियर इंजीनियर द्वारा की गयी थी

तथा जांच में प्रधान को सरकारी धन के दुरुपयोग में दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा अब तक अपराधी के विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

ग्राम सभा भरथा इटहिया के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायत की जांच सहायक परियोजना निदेशक (अनुश्रवण) द्वारा माह जून, 1991 में की गयी थी । जांच के फलस्वरूप ग्राम प्रधान को दोषी पाये जाने के कारण उनके द्वारा दुरुपयोग की गयी धनराशि को तत्काल गांव सभा कोष में जमा कराने के निर्देश जिला अधिकारी द्वारा परगना अधिकारी को दे दिये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर के खजनी कस्बा में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या की जांच सी० आई० डी० से कराने की मांग

71–श्री जगदीश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 22/23 सितम्बर, 1991 को खजनी कस्बा जनपद गोरखपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी जिसकी जांच करने में स्थानीय पुलिस असमर्थ साबित हो रही है ? क्या मुख्य मंत्री जी इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने का आदेश निर्गत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त हरिश चन्द्र पाण्डेय पुत्र राम जग पाण्डेय सा० तुर्क वलिया, थाना खजनी को दिनांक 11-11-91 को गिरफ्तार किया गया । इस घटना में शिव शंकर यादव पुत्र दूधनाथ यादव, इन्दल उर्फ इन्द्र बहादुर यादव पुत्र राम अवध यादव, ग्राम सोनारी, थाना बांसगांव व उसके एक साथी का शामिल होना पाया गया । अभियुक्त शिव शंकर यादव को दिनांक 11-11-91 को गिरफ्तार किया तथा इन्दल उर्फ इन्द्र बहादुर यादव ने दिनांक 23-11-91 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । एक अभियुक्त का पता लगाना शेष है । सम्प्रति विवेचना प्रचलित है ।

मामले की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से की जा रही है । अतः सी० आई० डी० से जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है ।

जनपद एटा के स्व० श्री सदाशिव की आसाधारण पेंशन तथा उपादान धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने की जानकारी

72–श्री सन्त बख्श रावत–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, गृह पुलिस आनुभाग–6 के पत्रांक चार /830/90. दिनांक 13 सितम्बर, 1990 का पत्र उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा कार्यालय महालेखाकार पी० आर०–4. अनुभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद का पत्र स्वर्गीय आरक्षी श्री सदाशिव, जिनकी संख्या 48459. 43वी वाहिनी पी० ए० सी०, एटा के आश्रितों को उ० प्र० सिविल सर्विसेज असाधारण पेंशन नियमावली प्रथम संशोधन के अंतर्गत असाधारण पेंशन की स्वीकृति का प्रस्ताव है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृत आरक्षी के आश्रितों (माता-पिता) को पेंशन तथा उपादान धनराशि प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, 43वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, एटा के स्व० कान्स० श्री सदाशिव के आश्रितों श्रीमती रामलली तथा श्रीराम आसरे (माता-पिता) के पक्ष में असाधारण पेंशन स्वीकृति का उक्त प्रस्ताव महालेखाकार कार्यालय, उ० प्र०, इलाहाबाद के पत्र संख्या–पी०आर०-8/आरसा-7528/91-92/271215/90-91/1761, दिनांक 4-12-91 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–3935पी/छः-पु-6-91-1000(54)/91, दिनांक 10-1-1992 द्वारा असाधारण पेंशन तथा उपादान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अपर निदेशक, क्षेत्रीय विकास विभाग पर वित्तीय अनियमितताओं के कथित आरोप विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही

73–श्री सैय्यद कासिम हसन-

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक, क्षेत्रीय विकास विभाग (श्री केशव चन्द्र जोशी) द्वारा वित्तीय अनियमितताएं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में श्री अर्जुन सिंह यादव, सांसद तथा भूतपूर्व विधायक का एक पत्र तत्कालीन क्षेत्रीय विकास मंत्री तथा सचिव, क्षेत्रीय विकास विभाग को अक्टूबर, 90 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी नहीं।

74–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर शहर के समीप औद्योगिक आस्थान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त स्थापित किया जाना

75–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर शहर के समीप औद्योगिक आस्थान बनाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विभाग द्वारा है ? यदि हां, तो इसका सम्पूर्ण विवरण क्या है ? इसके निमित्त कितनी धनराशि कब आवंटित की गयी है ? इस औद्योगिक आस्थान को कब तक स्थापित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां।

गाजीपुर शहर के समीप औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु खिदरापुर, रजेंदपुर तथा अंधऊ में 10.307 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है।

चयन की गई भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गाजीपुर को दिनांक 18-8-88 को रु० 19.50 लाख की धनराशि दी जा चुकी है।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर लिये जाने पर इस औद्योगिक आस्थान को स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना रैलियों के आयोजन पर व्यय धनराशि का विवरण

76—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, 90 तक पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा सम्बोधित की गयी साम्प्रदायिक सद्भावना रैलियों के आयोजन पर कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अयोध्या प्रकरण पर साम्प्रदायिक एकता तथा सौहार्द्र के प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि का विवरण

77—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अयोध्या प्रकरण पर साम्प्रदायिक एकता तथा सौहार्द के प्रचार पर नवम्बर, 90 तक समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अयोध्या प्रकरण पर साम्प्रदायिक एकता तथा सौहार्द्र के प्रचार पर नवम्बर, 1990 तक दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक तथा मासिक पत्र-पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों पर रुपये 57,63,691.00 की धनराशि व्यय हुयी ।

जनपद फैजाबाद के ब्लाक मसौधा से ए० डी० ओ० एम० आई० के स्थानान्तरण की मांग

78—श्री ओम प्रकाश दिवाकर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक मसौधा में ऐसे कितने ए० डी० ओ० एम० आई० हैं जो कि विगत पांच वर्ष या उससे अधिक समय से उसी ब्लाक में तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य किसी ब्लाक में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1990 में साम्प्रदायिक दंगो में हुये घायल, मृत्यु तथा सम्पत्ति की क्षति का विवरण

79—श्री मोहम्मद मुकीम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1990 में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ? उसमें कितने व्यक्तियों की मौतें हुयीं और कितने घायल हुए ? उक्त दंगों में कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में वर्ष 1990 में 25 साम्प्रदायिक दंगे हुए । इन दंगों में 401 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 1151 व्यक्ति घायल हुए तथा रु० 2,83,42,400 की सम्पत्ति की अनुमानित क्षति हुई ।

80–श्री विजय पाल सिंह–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं०-105 द्वारा उत्तरित]

ग्राम सुअरगढ़ा, जिला बांदा की कोल महिला द्वारा अत्याचार के विरुद्ध ग्राम के एक सामंत पर आरोप

81–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सुअरगढ़ा, जिला बांदा की एक कोल महिला तेरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर उक्त गांव के एक सामंत (दादू) के अत्याचारों के खिलाफ मुकदमा किया है ? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले की जांच सी० बी० आई० से कराने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सत्ताइस वर्ष पूर्व इसको उक्त सामंत के गुण्डे तेरसिया के ससुराल से घसीटते हुए लाए और जबरन अपनी कोठी में रक्खा उसके बाद उसे मारकर भगा दिया और उसके बड़े लड़के लखना को आज भी बंधुआ बनाकर उक्त सामंत ने रक्खा है ? क्या सरकार तेरसिया द्वारा दायर सुप्रीम कोर्ट के मुकदमें की जांच कराकर इस मामले में कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

2–प्राप्त सूचनानुसार तेरसिया नामक कोल महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर गांव सुअरगढ़ा के सामन्त (दादू) के अत्याचारों के खिलाफ उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया है ।

3–उक्त तेरसिया कोल महिला एवं पाठा क्षेत्र की अन्य महिलाओं पर दादुओं द्वारा किये जा रहे अत्याचार के संबंध में एक रिट याचिका श्री विशालजीत, उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट द्वारा अखबार में छपी खबर के आधार पर दायर की गई थी, जो परगनाधिकारी, कर्बी, बांदा की रिपोर्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15-2-90 को खारिज की जा चुकी है । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने के कोई निर्देश प्रदेश शासन को नहीं दिये गये हैं ।

4–श्रीमती तेरसिया से पूछ-ताछ करने पर ज्ञात हुआ कि किसी सामन्त के गुण्डे उसे उसकी ससुराल से जबरदस्ती नहीं उठा लाये और न जबरन उसे रक्खा । जांच से पाया गया कि तेरसिया जगनायक सिंह (तथाकथित दादू) के साथ स्वेच्छा से रही है और न ही उसके ऊपर कोई अत्याचार हुआ एवं न उसे या उसके लड़के लखना को सामन्त द्वारा बंधुआ बनाकर रक्खा गया है ।

82–श्री सैय्यद कासिम हसन–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं०-192 द्वारा उत्तरित]

83–श्री लाखी राम जोशी–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री राम रक्षा पुत्र श्री राजभर को थानाध्यक्ष बड़ागांव, जनपद वाराणसी द्वारा शीशम की लकड़ी का वैधानिक प्रमाण-पत्र न दिखाने पर थाने में बन्द किया जाना

84–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रायपुर, पो० अनेई, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी के एक शीशम का पेड़ श्री लाल चन्द ने बिना वन विभाग, वाराणसी के आदेश से कटवा लिया था, जिसको वाराणसी वन विभाग ने पकड़ कर ता० 8-10-91 को मुकदमा बनाकर 1,000 रु० का जुर्माना करके लकड़ी ले जाने का ट्रांजिट परमिट बड़ागांव के रास्ते बना दिया है ? यदि हां, तो क्या जब लकड़ी ट्रैक्टर नं० यू० पी० 650951 से लाल चन्द लेकर बड़ागांव थाने के रास्ते जा रहा था, तो एस० ओ० थाना बड़ागांव ने लकड़ी ट्रैक्टर, ट्राली समेत थाने में बन्द करके दिनांक 9-10-91 को लालचन्द द्वारा वन विभाग की जुर्माना की रसीद व ट्रांजिट पास दिखाने के बाद भी चालान किया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर एस० ओ० बड़गांव के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9-10-91 को शीशम की लकड़ी से लदा हुआ ट्रैक्टर नं० 650951 बड़ागांव थाना क्षेत्र से लेकर जाते हुए थानाध्यक्ष ने लालचन्द को नहीं बल्कि राम रक्षा पुत्र राजभर एवं कमल कुमार पुत्र पन्ना लाल को रोका और वैधानिक प्रमाण-पत्र न दिखा पाने पर ट्रैक्टर सहित उन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके विरुद्ध थाना बड़ागांव पर उ० प्र० वन संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया और हवालात में बन्द किया । विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रोषित किया गया । थानाध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही वैधानिक थी । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में थाना जहानागंज के अन्तर्गत जहानाबाद में हुए गोलीकाण्ड की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रचलित

85–श्री अब्दुल ए० सलाम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में थाना जहानागंज के अन्तर्गत अजीजाबाद पोलिंग स्टेशन के समीप दिनांक 20 मई, 1991 को गोली बारी के संबंध में नामजद प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो अभी तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में नामजद 7 अभियुक्तों में से राघवेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया । शेष 6 अभियुक्त द्वारा न्यायालय के समक्ष आत्मसमपर्ण किया गया था जिन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है । सम्प्रति मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रचलित है ।

जनपद मिर्जापुर में जिला सूचना अधिकारी को अस्थायी रूप से मुख्यालय से सम्बद्ध किया जाना

86–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जिला सूचना अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर कब तक नियुक्ति होना सम्भव है ? क्या यह सच है कि उक्त पद पर अधिकारी के अभाव में विभागीय मारुति कार जिसका उपयोग स्थानीय सांसद कर रहे हैं ? यदि हां,

तो क्या सरकारी कार्यक्रमों में पत्रकारों को ले जाने व ले आने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त जिप्सी कार के विभागीय चालक को हटाकर अन्य चालक से वाहन चलवाये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस जिप्सी कार को सूचना अधिकारी के हवाले करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । वर्तमान सूचना अधिकारी को अस्थायी रूप से आवश्यकतानुसार मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला प्रशासान ने विभागीय मारुति कार जिप्सी को सामान्य प्रशासन के हेतु विकास/संसदीय कार्य के उपयोग हेतु सम्बद्ध कर लिया था । वर्तमान सूचना के आधार पर विभागीय वाहन का प्रयोग वर्तमान में स्थानीय सांसद नहीं कर रहे हैं ।

जी नहीं । सरकारी कार्यक्रमों में पत्रकारों को कोई असुविधा नहीं हुई । आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन द्वारा उन्हें वाहन उपलब्ध कराया गया ।

जिला प्रशासान ने स्थायी रूप से मारुति जिप्सी कार के लिये एक अन्य चालक की व्यवस्था की थी ।

वर्तमान में वाहन जिला सूचना कार्यालय में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा रेन्ज में बिगत 14 वर्ष से तैनात थानाध्यक्षों का विवरण

87–श्री राम किशन ददाजू–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा रेंज में कितने थानाध्यक्ष 14 वर्ष से एक ही रेंज में तैनात हैं ? सरकार की विभागीय स्थानान्तरण नीति क्या है ? इस नीति के तहत कितने लोगों का स्थानान्तरण किया गया ? कितनों को रोका गया है और क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

मात्र एक उप निरीक्षक है ।

सरकार की विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी भी निरीक्षक/उप निरीक्षक को एक परिक्षेत्र में पूरे सेवाकाल में 12 वर्ष से अधिक अवधि तक नियुक्त नहीं रखा जाता है । नीति के अन्तर्गत इस वर्ष में आगरा रेंज के 79 थानाध्यक्ष/उपनिरीक्षक स्थानान्तरित किये गये, जिनमें से 8 का स्थानान्तरण परिस्थितियों के आधार पर स्थगित किया गया ।

जनपद बांदा के ग्राम साड़ी, झंझारी पुरवा में पुलिस चौकी खोलने की मांग

88–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या गृह मंत्री जनपद बांदा के ग्राम साड़ी, झंझारी पुरवा में पुलिस चौकी खुलवायेंगे जिससे ग्रामों के आसपास के क्षेत्र में व्याप्त आतंक कम हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा के ग्राम सांड़ी व झंझारो पुरवा में विगत तीन वर्षों में घटित अपराधों की संख्या बहुत न्यून होने के कारण वहां पर पुलिस चौकी खोले जाने का औचित्य नहीं पाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

89–श्री बाला प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी में थाना अध्यक्ष/उप निरीक्षक/सिविल पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जांच

90–श्री बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में 1 जून, 1991 से अक्टूबर, 91 तक किस-किस थाना अध्यक्ष/उप निरीक्षक/सिविल पुलिस के विरुद्ध जनता द्वारा तथा जन प्रतिनिधियों द्वारा आई० जी० जोन लखनऊ को तथा डी० आई० जी० मण्डल लखनऊ को तथा पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी को एवं जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को कितने शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं ? शिकायत पत्र में कितने पुलिस कर्मी दोषी पाये गये और कितने निर्दोष पाये गये और कितने शिकायत पत्रों की जांच लम्बित है ? लम्बित का कारण क्या है ? क्या सरकार दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

आपेक्षित सूचना संलग्न है।

संलग्न सूची में कुल 38 पत्रों में से एक पुलिस कर्मी दोषी तथा 29 पुलिसकर्मी निर्दोष पाये गये और 8 शिकायत पत्रों में जांच प्रचलित है।

उक्त 8 विवेचनाधीन शिकायती पत्र में एक मामले में विधिक राय प्राप्त की जा रही है तथा 7 शिकायती पत्रों में जांच प्रचलित है। दोषी पाये गये उप निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह थाना फूलबेहड़ के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 262-263 पर)

जनपद अलीगढ़ के सलेमपुर में एरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किया जाना

91–श्री सुरेश प्रताप गांधी तथा श्री राम सरन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद की सलेमपुर परियोजना के अन्तर्गत एक हजार करोड़ रुपये का काम्पलेक्स लगाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 26 फरवरी, 1986 में दिये जाने के बाद से आज तक प्रदेश सरकार ने योजना की स्थापना के लिये क्या पहल की तथा पूर्ण संरचना इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास का क्या कार्य किया है ? मुख्य काम्पलेक्स की स्थापना तथा आधारित उद्योग से सलेमपुर के आसपास के क्षेत्र तथा पूरे अलीगढ़ जनपद के औद्योगिक विकास की क्या प्रगति है ? यदि नहीं, तो सलेमपुर काम्पलेक्स की अभी तक स्थापना न हो पाने के क्या कारण है ? उद्योग की स्थापना करने वाले जे० के० कैमिकल्स, सलेमपुर के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं तथा प्रदेश सरकार उसके निराकरण हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जनपद अलीगढ़ के सलेमपुर में 1250 करोड़ रुपये की लागत से एरोमेटिक्स परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा मेसर्स जे० के० पेट्रोकेमिकल्स लि० के पक्ष में दिनांक 23 मई, 1989 को आशय-पत्र जारी किया गया । इस परियोजना की स्थापना के लिये महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रदेश सरकार ने इसके लिये भूमि अधिग्रहण, विद्युत, जलापूर्ति तथा सड़क के चौड़ीकरण के कार्य की प्रगति सुनिश्चित की है ।

मुख्य काम्प्लेक्स की प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

(1) 781.28 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं सर्वे आदि का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है ।

(2) उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है ।

(3) जलापूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

(4) 6 एम० जी० डी० जलापूर्ति हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है ।

(5) 300,000 टन प्रतिवर्ष फीड स्टाक नैफ्था की आपूर्ति के लिये इकाई का इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित हो चुका है ।

(6) ग्रीन बेल्ट के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है ।

(7) टेक्नालाजी के चयन का कार्य प्रगति पर है ।

मुख्य परियोजना की स्थापना के पश्चात् पूरक/सहायक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा जिससे सलेमपुर के आस-पास के क्षेत्र तथा पूरे अलीगढ़ जनपद का विकास होगा ।

मेसर्स जे० के० पेट्रोकेमिकल्स लि० के समक्ष विदेशी सहयोग, कैपिटल गुड्स आयात तथा टेक्निकल फीस हेतु भारत सरकार से स्वीकृत होना शेष है । इस संदर्भ में प्रदेश सरकार भारत सरकार से सम्पर्क में है ।

जनपद शाहजहांपुर में अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही किया जाना

92–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1991 से सितम्बर, 1991 के मध्य जनपद शाहजहांपुर में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम अपराध हुए हैं ? यदि हां, तो इनको रोकने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नही । प्रश्नगत अवधि में भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत डकैती, रोड होल्डअप, हत्या, बल्वा, गृहभेदन, ट्रान्सफारमर चोरी, नलकूप चोरी, शस्त्र चोरी, साइकिल चोरी व साधारण चोरी आदि अपराधों में कमी आयी है तथा मुठभेड़, लूट, पशुचोरी, तार चोरी आदि अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है ।

अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पिकेटिंग, रात्रिगश्त बढ़ा दी गयी है । सड़कों पर बैरियर लगाकर चेकिंग आदि की व्यवस्था की गयी है । प्रत्येक थाने पर विवाद रजिस्टर

खुलवा दिया गया है, जिसके अनुसार पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है तथा निरोधात्मक कार्यवाही का स्तर इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में आर्थिक माफिया गिरोह को थाना सदर बाजार में पकड़ कर छोड़े जाने की जानकारी

93—श्री देवेन्द्र पाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में कितने अवैध रूप से जुए के अड्डे व क्लब चल रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि इस आर्थिक माफिया गिरोहों को सदर थाना पुलिस ने पिछले माह पकड़ कर थाने लाकर हवालात में रखा ? यदि हां, तो फिर उनको थाने से दूसरे दिन बिना शर्त पर किसके आदेशों पर छोड़ा गया ? इस हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या मंत्री जी कार्यवाही करने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

अवैध रूप से कोई भी जुए का अड्डा अथवा क्लब नहीं चल रहा है । किसी भी आर्थिक माफिया गिरोह को थाना सदर बाजार में पुलिस द्वारा न तो पकड़ कर लाया गया और न ही छोड़ा गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

संकिसा (फर्रुखाबाद) में ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध तीर्थ स्थल पर दूसरे धर्मावलंबियों द्वारा कब्जा करने की शिकायत

94—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार को जानकारी है कि संकिसा (फर्रुखाबाद) में ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप एवं तीर्थ स्थल पर दूसरे धर्मावलंबियों द्वारा अनधिकार कब्जा कर लिये जाने से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो अभी तक बौद्ध धर्म स्थल को मुक्त कराने की क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

संकिसा (फर्रुखाबाद) में बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध तीर्थ स्थल पर किसी भी दूसरे धर्मावलंबियों द्वारा कोई अनधिकार कब्जा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में सन् 1885 के पूर्व बने थानों की इमारतों के नवनिर्माण हेतु प्रस्ताव की जानकारी

95—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि थाना फूलपुर जिला वाराणसी की सन् 1885 की बनायी गयी इमारत एकदम जर्जर हो गयी है ? क्या इसकी बैठकें भी जर्जर हालत में हैं ? क्या सरकार थाना फूलपुर वाराणसी की नयी इमारत थाने से सटी हुई उत्तर की जमीन पर या पुरानी इमारत में थानाध्यक्ष का आवास भी है, तुरन्त बनाने की स्वीकृति देगी ? क्या कर्मचारियों की संख्या के अनुपात से बैरिक भी सरकार बनवायेगी ? क्या यह भी बतायेंगे कि जनपद वाराणसी में ऐसे कितने थाने सन् 1885 के शेष रह गये हैं, जहां नयी इमारत नहीं बनायी गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । जनपद वाराणसी के थाना फूलपुर की इमारत काफी पुरानी है जिसका निर्माण 1850 में किया गया था ।

प्रश्नगत थाना के नवनिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है । जनपद वाराणसी के थाना जैतपुर, चेतगंज, भेलपुर, सेहनिया, मिर्जामुराद, चौबेपुर, बलुआ, धानापुर तथा सैय्यादराजा के भवन सन् 1885 के पहले के बने हैं तथा इनके स्थान पर नयी इमारत नहीं बनायी गयी है ।

सामान्यतः व्यक्तियों/मा० सांसदों व विधायकों को जिला प्रशासन तथा अभिसूचना विभाग की रिपोर्ट के अनुसार गनर/अंगरक्षक तथा शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था

96–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गनर/अंगरक्षक देने के कोई मानक नई सरकार ने बनाये हैं ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मानकों के अतिरिक्त उ० प्र० में कितने लोगों को गनर/अंगरक्षक दिये गये हैं ? क्या सरकार ने अपराधिक इतिहास वाले लोगों को भी गनर दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के थाना-मौरावां, जिला उन्नाव में गनर की सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

शासन की यह नीति है कि सामान्यतया व्यक्तियों को उनके वास्तविक जीवन भय, जीवन भय का कारण, परिवार में शस्त्र लाइसेंसों की स्थिति, क्रियाकलापों आर्थिक स्थिति व अन्य विशेष परिस्थितियों के आधार पर जिला प्रशासन व अभिसूचना विभाग की रिपोर्ट प्राप्त करके अंगरक्षक/गनर देने पर विचार किया जाता है । मा० सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर तत्काल अंगरक्षक/गनर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है तथा आख्या बाद में प्राप्त की जाती है । प्रदेश में आतंकवाद प्रभावित तराई क्षेत्र में मा० सांसदों व विधायकों को उनके अनुरोध पर अंगरक्षक/गनर दोनों प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है । जिला प्रशासन को यह अधिकार दिये गए हैं कि जिन मामलों में तात्कालिक जीवन भय हो ऐसे व्यक्तियों को अपने विवेक से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर शासन के अनुमोदनार्थ संदर्भित कर सकते हैं ।

मानकों के विपरीत किसी भी व्यक्ति को अंगरक्षक/गनर नहीं दिया गया है ।

वास्तविक जीवन भय तथा जिला प्रशासन व अभिसूचना की आख्या के आधार पर ऐसे कुछ व्यक्तियों को गनर/अंगरक्षक दिये गए हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम टिकरी में अविलम्ब पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग

[illegible]–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र स्थित थाना सिरसा कलार के अंतर्गत सुदूर बीहड़ अंचलों में पुलिस चौकी स्थापित करने की सरकार की कोई योजना

है ? यदि हां, तो क्या कुख्यात दस्यु सुन्दरी कुसुमा नाइन की जन्म स्थली ग्राम टिकरी, जहां अब तक दर्जनों डकैतियां व कई हत्यायें हो चुकी हैं, की थाना से अधिक दूरी तथा जन सुरक्षा को ध्यान में रख कर वहां पर अविलम्ब पुलिस चौकी की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अपराध संख्या अधिक न होने के कारण ग्राम टिकरी में पुलिस चौकी की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया । जन सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम टिकरी में एक सशस्त्र पुलिस गार्द लगा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री श्रीराम (जालौन)–

[दिनांक 13-2-92 को अता० प्र० सं०–187 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के मौरावां निवासी श्री के० डी० शुक्ला उर्फ भगोले को आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सुरक्षार्थ लाइसेंस दिया जाना

99–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान सरकार ने आग्नेयास्त्र देने के नियमों में कौन-कौन से नियम शिथिल किये हैं ? क्या सरकार ने किसी भी व्यक्ति को चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो आग्नेयास्त्र लाइसेंस देने की छूट दे दी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि आग्नेयास्त्र किन-किन श्रेणी के लोगों को दिये जा रहे हैं और उन्नाव जिले के के० डी० शुक्ला उर्फ भगोले निवासी मौरावां को लम्बे अपराधिक इतिहास के बावजूद रिवाल्वर लाइसेंस किस नियम के तहत जारी किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

कोई नहीं ।

ऐसी नीति नहीं है ।

निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को आग्नेयास्त्र लाइसेस स्वीकृत किये जा रहे हैं :–

(1) बैंक, अर्ध-शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं की सुरक्षार्थ ।

(2) मृतक लाइसेंसियों के उत्तराधिकारी ।

(3) विधायक एवं संसद सदस्य जिनका अपराधिक इतिहास न हो ।

(4) कस्टम एवं सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो छापे डालने अथवा तस्करों आदि को पकड़ने से संबंधित हों ।

(5) डकैती, हत्या, लूट या अन्य कोई जघन्य अपराध से पीड़ित परिवार के आवेदक ।

(6) शस्त्र चलाने में असमर्थ वृद्ध लाइसेंसियों के शस्त्र स्थानान्तरण के मामले ।

(7) शासकीय अधिकारी जिन्हें उनके उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य निर्वहन हेतु सुरक्षा की आवश्यकता हो ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में शासन की अनापत्ति के आधार पर भी लाइसेंस दिये जाते हैं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री के० डी० शुक्ला उर्फ भगोले को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत उनके सुरक्षार्थ रिवाल्वर का लाइसेंस दिया गया है ।

जिला मिर्जापुर के मृतक शशि प्रभाकर सिंह की जांच सी० बी० आई० से कराने की मांग

100—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गांव पड़रिया जिला मिर्जापुर के शशि प्रभाकर सिंह ने 4-10-91 को आत्महत्या कर ली और आत्महत्या के पूर्व एक पत्र लिख कर छोड़ दिया था ? क्या उक्त पत्र पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को प्राप्त हो गया है और पुलिस अधीक्षक ने करप्सन एवं धारा 306 के अंतर्गत रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि उक्त शशि प्रभाकर सिंह ने देवेश कारपेट इण्डस्ट्री खोल रखा था और धोखा धड़ी में उसको तीस लाख का घाटा हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र में बैंक के एक अधिकारी, वाराणसी व इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संयुक्त नियंत्रक वाराणसी तथा एक कालीन निर्यातक को लिखा है ? क्या सरकार इसकी जांच सी० बी० आई० से कराने का आदेश देगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्र स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक को देवेश कारपेट इण्डस्ट्री खोलकर कालीन के कारोबार करने से रु० 3 लाख 38 हजार से अधिक का घाटा होना एवं धोखा धड़ी में बैंक के एक अधिकारी एवं वाराणसी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट संयुक्त नियंत्रक तथा एक कालीन निर्यातक को लिखा था जिसके आधार पर उक्त लोगों के विरुद्ध धारा 306 भा० दं० वि० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ । विवेचना से जुर्म में धारा 420 भा० दं० वि० एवं 3/13 भ्र० नि० अधि० की वृद्धि की गई जांच अभी प्रचलित है । मामले की जांच सी० बी० आई० से कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

101—श्री अखिलेश—

[दिनांक 13-2-92 को अता० प्र० सं० 189 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के पूर्ववर्ती मा० मंत्रियों तथा कतिपय जनसम्पर्क अधिकारियों के यात्रा भत्ते का भुगतान औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण न किया जाना

102—श्री अखिलेश—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इससे पूर्ववर्ती कितने मंत्रियों के तथा सम्बद्ध जन सम्पर्क अधिकारियों के यात्रा भत्ता का समस्त भुगतान अभी तक किन कारणों से नहीं हो पाया है ? शासन द्वारा भुगतान कब तक करवा दिये जायेंगे ? अभी तक भुगतान न करने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ?

श्री कल्याण सिंह–

पूर्ववर्ती सरकार के माननीय तीन मंत्रियों के यात्रा भत्ता बिलों में औपचारिकतायें पूरी न होने के तथा 8 जन सम्पर्क अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिल अपूर्ण होने के कारण उनका भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

माननीय मंत्रियों के बिलों की औपचारिकतायें पूर्ण कराई जा रही हैं, जिनके पूर्ण होने पर आहरण हेतु बिल उन्हें उपलब्ध करा दिये जायेंगे । उक्त 8 में से 2 जन सम्पर्क अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों की धनराशि भुगतान हेतु आहरण कर ली गई है और उन्हें भुगतान शीघ्र ही करा दिया जायेगा । शेष 6 जन सम्पर्क अधिकारियों को उनके बिल पूर्ण कराने हेतु अनुस्मारक भेजे गये हैं । जैसे ही बिल पूर्ण हो जायेंगे, भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

इसके लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हस्तिनापुरम् नाम के एक आवासीय क्षेत्र की घोषणा

103–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इस वर्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के हस्तिनापुरम् नाम के एक आवासीय क्षेत्र की घोषणा की गई है ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में बिना भूमि अधिग्रहण किये करोड़ों रुपये के टेण्डर लेकर ठेकेदारों को काम दे दिये गये ? यदि हां, तो क्या इसका औचित्य है तथा शासन ने इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में क्षेत्राधिकारी श्री हीरा लाल व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किया जा रहा क्रमिक अनशन

104–श्री बादशाह सिंह–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा चरखारी जिला हमीरपुर में बार एसोसियेशन एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिनांक 16 सितम्बर से 24 सितम्बर, 91 तक क्रमिक अनशन पर बैठे थे ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह क्रमिक अनशन किन पुलिस अधिकारियों द्वारा किन-किन कार्यवाहियों के विरुद्ध किया गया था ? क्या मंत्री जी गैर कानूनी तरीके से नगर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को अपमानित करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

यह क्रमिक अनशन श्री अरविन्द सिंह चौहान, अध्यक्ष, नगरपालिका, चरखारी के आवास की क्षेत्राधिकारी हीरा लाल व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा ली गयी तलाशी के विरुद्ध किया गया था ।

पुलिस को दिनांक 15-9-91 को मुखबिर द्वारा यह सूचना मिलने पर कि थाना महोबा में पंजीकृत मुकदमा अ० सं०-431/91अन्तर्गत धारा 3(1) उ० प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अभियुक्त श्री मनोज कुमार तिवारी श्री अरविन्द सिंह चौहान, अध्यक्ष, नगरपालिका के घर में छिपा है और वहां से जल्द भागने की फिराक में है, की सूचना पर श्री अरविन्द सिंह चौहान, अध्यक्ष, नगरपालिका चरखरी के मकान की तलाशी ली गयी, तलाशी के दौरान किसी भी सम्भ्रान्त व्यक्ति को पुलिस द्वारा अपमानित नहीं किया गया । किसी भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर के थाना पलिया में प्रश्नगत अपराध संख्या 118 धारा 323/504 के संबंध में वादी द्वारा डाक्टरी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना

105–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के थाना पलिया में अपराध संख्या 118 धारा 323/504 हरिजन बनाम सवर्ण कायम हुआ था ? यदि हां, तो क्या हरिजन के डाक्टरी मुआइना में धारदार हथियार से चोटे आना दर्शाया गया था जिसके अन्तर्गत धारा तरमीम करके अभियुक्तों का चालान भेजा जाना चाहिये था ? यदि हां, तो क्या उन अभियुक्तों का चालान भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं, बल्कि वादी श्री हरद्वारी लाल ग्राम कोठिया थाना पलिया की मौखिक सूचना पर बब्बू सिंह व अन्य के विरुद्ध गैरदस्तन्दाजी नं० 118/91 धारा 323/504 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया । विवेचनोपरान्त उक्त गैरदस्तन्दाजी की धारा में 3(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की वृद्धि कर मु० अ० सं० 164/91 अंकित किया गया । उक्त अभियोग की जांच के दौरान वादी से मारपीट के संबंध में मेडिकल कराने को कहा गया जिस पर वादी श्री हरिद्वारी लाल ने बताया कि उसने पी० एच० सी० मझगई से अपनी डाक्टरी करा ली है जिसे बाद में प्रस्तुत करने को कहा । लेखक प्रथम सूचना ने हिदायत दी कि उक्त मेडिकल रिपोर्ट लाकर कार्यालय में प्रस्तुत कर दे ताकि विपक्षियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके । वादी द्वारा उक्त मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि उसके शरीर पर आई चोटें लाठी, डन्डों अथवा धारदार हथियार की हैं ।

जांच से मामला मारपीट एवं गाली गलौज का पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 197 द्वारा उत्तरित]

सेवानिवृत्त श्री यमुना प्रसाद सिंह, हेड कान्सटेबिल, जनपद उन्नाव को अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किये जाने की कार्यवाही

107–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री यमुना प्रसाद सिंह, दिसम्बर, 1990 में उन्नाव जनपद से हेड कांस्टेबिल के पद से सेवा निवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो उनको अब तक उनकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की देय धनराशि का भुगतान न होने का कारण क्या है ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री यमुना प्रसाद सिंह जनपद उन्नाव से हेड कान्सटेबिल के पद से दिसम्बर, 1990 में सेवानिवृत्त हुए हैं । उक्त हेड कान्स० के विरुद्ध मु० अ० सं०-148 धारा 380/411 भा० दं० वि० के अन्तर्गत फतेहगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन होने तथा इसी संबंध में उक्त हेड कान्स० के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही भी प्रस्तावित होने के कारण उनका पेन्शन प्रकरण अभी लम्बित है । अतः उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नियमानुसार उन्हें अनन्तिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त भूमि पर मेसर्स अंसल द्वारा निर्मित आशियाना कालोनी में प्रयुक्त सामग्रियों को जांच हेतु आई०आई०टी० प्रयोगशाला भेजा जाना

108–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त की गयी भूमि पर विकसित आवासीय कालोनी ''अंसल्स आशियाना'' में सम्पर्क मार्गों का निर्माण अति निम्न स्तरीय तथा मानकानुरूप नहीं है जिससे उक्त आवासीय परियोजना के निदेशकों से गलत दरों पर मूल्य वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो शासन ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार मेसर्स अंसल द्वारा निर्मित आशियाना कालोनी की आन्तरिक सड़कों के निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप हैं । परन्तु इसमें प्रयुक्त सामग्रियों की जांच हेतु आई० आई० टी० की प्रयोगशाला को भी भेजा जा चुका है । मूल्य की वसूली प्राधिकरण् द्वारा किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कल्पनाथ सोनकर तत्कालीन सांसद द्वारा मुख्य अभियंता के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच

109–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-8-1990 को श्री कल्पनाथ सोनकर तत्कालीन संसद सदस्य द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य अभियंता जो पूर्व में लखनऊ विकास प्राधिकरण के भी मुख्य अभियंता रहे हैं तथा वर्तमान में विकास प्राधिकरणों के प्रमुख अभियंता

हैं श्री एस० सी० गुप्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित कोई पत्र जिसमें 24 बिन्दु थे तथा जिस पर तत्कालीन लोक सभा के पांच अन्य संसद सदस्यों के हस्ताक्षर थे माननीय प्रधान मंत्री को जांच हेतु लिखा था ? दिनांक 7-6-1990 को तत्कालीन मा० प्रधानमंत्री द्वारा जिस पत्र को जांच हेतु मा० मुख्य मंत्री कार्यालय उ० प्र० को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो वह पत्र क्या था तथा सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही क्या है ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री एस० सी० गुप्ता मुख्य अभियंता के विरुद्ध श्री कल्पनाथ सोनकर, तत्कालीन सांसद का शिकायती पत्र दिनांक अगस्त, 1990 प्राप्त हुआ है ।

तत्कालीन निदेशक, प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 19-9-1990 के द्वारा सचिव, तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ।

इस पत्र में शिकायत के 24 बिन्दु हैं, जिस पर जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मोड़ी खुर्द मौरम घाट तहसील कालपी जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

110–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 9-9-91 को मोड़ी खुर्द मौरम घाट, तहसील कालपी, जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के संबंध में कोई पत्र उनके कार्यालय में प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उस पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर की गयी कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराई गई । जांचोपरान्त उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्य सही नहीं पाये गये ।

मृतक श्री राम नाथ बबला निवासी गली चोहड़ बेड़ी कटरा करम सिंह अमृतसर का शव परीक्षण हेतु बिसरा भेजा जाना

111–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के थाना सुबेहा में दिनांक 23-3-91 को किसी अप्रवासी भारतीय "नान रेजीमेंट इण्डियन" व्यक्ति ी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी तथा जिस पर उस ग्राम के प्रधान द्वारा बाध्य किये जाने पर ही पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में की गयी कार्यवाही क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

श्री राम नाथ बबला निवासी गली चोहड़ बेड़ी कटरा करम सिंह अमृतसर (पंजाब) जो कि अफ्रीका में पोस्ट आफिस में कार्यरत रह चुके थे और वर्ष 1976 में भारत में आ गए थे, की मृत्यु दिनांक

23-3-1991 को ग्राम सुबेहा में हो गयी थी । पंचों की राय से लाश पोस्टमार्टम हेतु भेजी गई । पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण बिसरा परीक्षण हेतु भेज दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर के पटेल नगर में धनाभाव के कारण आवासीय योजना का क्षेत्रफल 400 एकड़ से घटाकर 100 एकड़ किये जाने का कारण

112–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महानगर गोरखपुर में उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा पटेल नगर भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना गोरखपुर की आवासीय सुविधा हेतु अधिनियम संख्या-1/1966 की धारा-28 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या नोटिस में मूलरूप में योजना के लिये 400 एकड़ भूमि लिये जाने का प्रस्ताव था, जो कि बाद में घटाकर मात्र 100 एकड़ कर दिया गया ? यदि हां, तो क्षेत्रफल घटाये जाने के क्या कारण थे ? क्या यह सही है कि प्रथम नोटिस में 400 एकड़ क्षेत्र जो मूलरूप में प्रस्तावित था इस क्षेत्र में प्रथम नोटिस जारी होने के पूर्व कोई भवन आदि नहीं थे, परन्तु नोटिस जारी होने के बाद भूस्वामियों ने अपने नाम नोटिस जारी होने की तिथि से पूर्व की तिथि में बिना रजिस्ट्री बैनामा किये फर्जी बेचीनामा लिख कर कई अवैध भवन निर्माण करा दिया ? यदि हां, तो क्या इस कारण से मूल योजना को घटा कर 100 एकड़ क्षेत्र के लिये प्रस्ताव संशोधित करना पड़ा ? यदि हां, तो क्या सरकार बिन्दुवार स्थिति को स्पष्ट कराने हेतु ऐसे मामले में कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

परिषद द्वारा पटेल नगर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना हेतु उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1966 की धारा-28 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 17-7-71 को प्रकाशित हुई थी । परिषद् के संकल्प दिनांक 29-1-86 के अंतर्गत धनाभाव के कारण आगामी ५ वर्षो की आवासीय आवश्यकता हेतु उक्त योजना का क्षेत्रफल घटाकर 100 एकड़ किये जाने का निर्णय लिया गया । अध्यापित की जाने वाली भूमि पर बुनकरों के कब्जा और फलदार बाग होने के कारण योजना पर पुनर्विचार परिषद् द्वारा 23-9-86 को किया गया तथा अन्ततः परिषद ने योजना को परित्याग करने का निर्णय लिया । योजना के परित्याग की नोटिस शासन के अनुमोदनोपरान्त उ० प्र० सरकारी गजट में दिनांक 30-3-91 को प्रकाशित की जा चुकी है ।

113–श्री अखिलेश–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

114–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 198 द्वारा उत्तरित]

थाना सुरसा, जनपद हरदोई में विधिक समीक्षा के बाद ही प्रश्नगत अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

115–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि क्रा० नं०-104/88 धारा 302 भा० द० वि० थाना सुरसा, जनपद हरदोई की जांच सन् 1988 से, सी० आई० डी० के पास है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि

सी० आई० डी० ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है, जिस कारण मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर जांच कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, बल्कि उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित एक अभियुक्त शिवराम सिंह पुत्र रुकमंगल सिंह निवासी ग्राम हुसियापुर के द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र जिसने उक्त अपराध में स्वयं तथा नामांकित अन्य अभियुक्तों को गलत फंसाये जाने का आरोप लगाया है कि आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही थी, जिसके कारण अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकी । उक्त अभियोग से संबंधित जांच कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसकी विधिक समीक्षा करायी जा रही है ।

116–श्री यदुनाथ सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर ग्राम पंचायत अधिकारियों के उनके गृह ब्लाक एवं न्याय पंचायत में तैनात किये जाने का औचित्य

117–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री रामजी सिंह, शान्ति प्रसाद एवं हरिश्चन्द्र सिंह तथा राम सखा सिंह कब से इस ब्लाक में सेवारत हैं ? क्या शशिभूषण दूबे, महामंत्री, लालगंज ब्लाक कांग्रेस (इ) का आरोप सच है कि श्री राम जी सिंह एवं हरिश्चन्द्र दोनों इसी ब्लाक के निवासी हैं और लम्बे समय से वहां सेवारत हैं ? यदि हां, तो सरकार इन ग्रा० पं० अधि० को गैर जिले में स्थानान्तरित किये जाने का निर्देश कब तक सक्षम प्राधिकारी को देगी ? यदि नही, तो क्यों ? लम्बे समय से उनको गृह ब्लाक एवं न्याय पंचायत में तैनात किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

सर्वश्री रामजी सिंह, शान्ति प्रसाद, हरिश्चन्द्र सिंह तथा राम सखा सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड, लालगंज में क्रमशः अगस्त 1980, जुलाई 1978, जुलाई 1985 एवं जुलाई 1985 से कार्यरत हैं । केवल श्री रामजी सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड, लालगंज के निवासी हैं और अगस्त 1980 से इस ब्लाक में कार्यरत हैं । श्री हरिश्चन्द्र सिंह इस विकास खण्ड के निवासी नहीं हैं ।

ग्राम पंचायत अधिकारियों के पद जिला स्तरीय पद हैं अतः सामान्य रूप से जनपद से बाहर स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

वैशाली व कौशाम्बी योजना में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बहुमंजिलीय इमारतों का आधार राफ्ट/पाइल फाउन्डेशन होना

118–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी वैशाली व कौशाम्बी योजना में जो बहुमंजलीय इमारतें बनवाई हैं उन इमारतों का आधार पाइल फाउन्डेशन की जगह सादा फाउन्डेशन रखा गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस आधार के कारण, यह इमारतें किसी भी समय गिर सकती हैं और उसमें रहने वाले हजारों नागरिकों की मृत्यु हो सकती है ? यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

वैशाली व कौशाम्बी योजना में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन बहुमंजिलीय इमारतों का आधार राफ्ट/पाइल फाउन्डेशन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमावली, 1978 के अन्तर्गत अर्हताएं पूर्ण न करने पर पत्रकार की मान्यता समाप्त किया जाना

119–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नई सरकार के गठन के बाद कितने राज्य स्तरीय व कितने जिला स्तरीय पत्रकारों की मान्यतायें रद्द की गयी हैं ? क्या उनमें राज्य स्तर के वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश नारायण शुक्ल, सम्पादक, प्रतिदिन, ठाकुर प्रसाद सिंह (पूर्व सूचना निदेशक) भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उनकी मान्यता रद्द करने के आधार क्या थे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राज्य स्तरीय 18 तथा जिला स्तरीय 49 पत्रकारों की मान्यतायें रद्द की गयी हैं ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति की संस्तुति को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता नियमावली, 1978 के तहत अर्हतायें पूर्ण न करने के कारण मान्यता रद्द की गयीं ।

श्री राधेश्याम उपाध्याय, शोध अधिकारी प्रकाशन, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ० प्र०, लखनऊ की नियुक्ति निरस्त करने की मांग

120–श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ० प्र० (मुख्यालय) लखनऊ में शोध अधिकारी प्रकाशन के पद पर तदर्थ नियुक्ति पर कार्यरत श्री राधेश्याम उपाध्याय को माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ ने निहालुद्दीन बनाम स्टेट आफ यू० पी० रिट पिटीशन नं० 4240 आफ 1989 दिनांक 15 नवम्बर, 1990 के फैसले में उनके मौलिक पद उप सम्पादक पर नियुक्ति को अवैध एवं अनियमित करार दिया है तथा उसी फैसले में श्री उपाध्याय को सूचनाधिकारी के पद पर प्रोन्नति एवं तदुपरान्त शोध अधिकारी प्रकाशन के पद पर नियुक्ति को भी अनियमित एवं अवैध ठहराया है ? यदि हां, तो श्री उपाध्याय की नियुक्ति को अभी तक निरस्त क्यों नहीं किया गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद अलीगढ़ को सड़क-खड़ंजा एवं विभिन्न कार्यो हेतु शासन से अनुदान की मांग

121–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद अलीगढ़ को सड़क खड़ंजा आदि कार्यों हेतु दिये जाने वाले अनुदान गत वर्ष से अभी तक शासन से प्राप्त न होने के कारण जिला परिषद् द्वारा इस मद से निर्मित किये जा रहे महत्वपूर्ण मार्ग धनाभाव में अपूर्ण पड़े हुए हैं ? क्या अतरौली व सिकन्द्राराऊ क्षेत्रों में जिला परिषद के मार्गों के अपूर्ण होने के कारण यातायात सुगमतापूर्वक न हो पाने से क्षेत्रीय जनता को कठिनाई हो रही है ? जिला परिषद् अलीगढ़ द्वारा अर्द्ध निर्मित मार्ग गड़ौला-नवीपुर तथा हीरासिंहगढ़ी मार्गो के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अनुदान शासन से कब तक जिला परिषद्, अलीगढ़ को दिला दिया जायेगा ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

राज्य सरकार द्वारा जिला परिषदों को सड़क, खड़ंजा आदि के निर्माण हेतु नियमित रूप से अनुदान दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है । राज्य के वर्तमान सीमित संसाधनों को दृष्टिगत करते हुए जिला परिषद्, अलीगढ़ को अवशेष कार्यो के लिये तत्काल अनुदान अवमुक्त करना विचाराधीन नहीं है ।

माननीय लोक सेवा अधिकरण के निर्णयानुसार श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, जिला परिषद्, शाहजहांपुर की नियमानुसार पदोन्नति

122–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, शाहजहांपुर में विगत वर्षो में कार्यरत रहे अवर अभियन्ता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की शैक्षिक योग्यता क्या है ? क्या वास्तु विद्या का एक वर्ष का प्रमाण-पत्र अवर अभियन्ता की शैक्षिक योग्यता हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इनकी पदोन्नति की गयी ? क्या शासन इस पर पुनः विचार कर प्रोन्नति को निरस्त कर अवर अभियन्ता के मूल पद पर उन्हें वापस करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जिला परिषद्, शाहजहांपुर के तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है तथा इनकी तकनीकी अर्हता वास्तुविद्या में डिप्लोमा है ।

माननीय लोक सेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्णय दिनांक 3-9-81 द्वारा श्री श्रीवास्तव को अवर अभियन्ता पद के लिये अर्ह माना गया । अतः उक्त के आधार पर श्री श्रीवास्तव की नियमानुसार पदोन्नति की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर में थाना लालगंज अन्तर्गत गो-हत्यारों द्वारा श्री कृष्ण कान्त आदि की जानमाल के खतरे को देखते हुए सुरक्षा प्रदान करने की मांग

123–श्री गोपी नाथ दीक्षित–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर में थाना लालगंज अन्तर्गत पतुलकी गांव में विगत 17/18 जून, 1990 को गोवध किया गया था ? यदि हां, तो क्या सच है कि गो हत्यारों द्वारा श्री कृष्ण कान्त दुबे (स्वतंत्रता सेनानी), शशि भूषण दुबे पत्रकार 'हिन्दुस्तान समाचार'', गणेश शंकर दुबे

ग्राम प्रधान, शिव करन यादव, पूर्व प्रधान, राम दुलार हरिजन, सिद्धि नाथ यादव के जानमाल को खतरा है ? क्या सरकार इन व्यक्तियों के सुरक्षार्थ प्रबन्ध सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों ने गो-हत्यारों से कोई खतरा होने की रिपोर्ट नहीं की है फिर भी स्थानीय पुलिस सतर्क दृष्टि रखे हुए है ।

124–श्री सुरेन्द्र नाथ–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पांडेपुर आवासीय योजना में अनियमित प्लानिंग से मकान बनाने का आरोप

125–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांडेपुर हाउसिंग स्कीम गांव पांडेपुर खजुरी परगना शिवपुर, त० व जिला वाराणसी नोटिफिकेशन नं० 3865/XXXVII-2-82-39 एल० ए०/80 ता० फरवरी 3, 1983 के द्वारा 31 एकड़-26 डि० वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने लिया है उसका ले-आउट तथा पूरा प्लान व नक्शा तथा सिनेटरी डेवलपमेंट की सीवरेज स्कीम पास की गयी है ? क्या सरकार पूरी हाउसिंग स्कीम का प्लान, नक्शा, सीवरेज स्कीम व सिनेटरी इम्प्रूवमेंट का नक्शा आदि की सभी गड़बड़ियों, अनियमितताओं, अनियमित प्लानिंग से बने मकानों, रास्तों आदि की जांच करायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पांडेपुर आवासीय योजना के लिये अधिसूचना सं० 3865/xxxvll-2-82-39 डी० ए०/80. दिनांक 3-2-83 द्वारा खजुरी व पाण्डेपुर स्थित कुल 36.2125 एकड़ भूमि अध्याप्त की गयी थी । इस योजना को ले आउट, पूरा प्लान व नक्शा तथा सैनेटरी डेवलेपमेंट की सीवरेज स्कीम स्वीकृत हो चुकी है ।

चूंकि स्वीकृत ले आउट के अनुसार इस योजना में सीवर, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्टार्क वाटर ड्रेन, सड़क, नाली जलापूर्ति आदि की समुचित व्यवस्था की गयी है, अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अभय नन्दन लाल, गिरीडीह बिहार के शिकायती-पत्र के साथ प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

126–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 26 अगस्त, 91 के लगभग प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, श्री महेन्द्र मोदी, कानपुर देहात के विरुद्ध उन्हें मिला है जिसमें श्री अभय नन्दन लाल, गिरीडीह बिहार का शिकायती-पत्र भी संलग्न है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 25 अगस्त, 91 शासन को प्राप्त हुआ था जिसके साथ श्री जय नन्दन लाल, गिरीडीह बिहार का पत्र संलग्न था ।

श्रीमती अंजू मोदी की मृत्यु की घटना के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की संस्तुति प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी गई है भारत सरकार की सहमति अपेक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेपुर आवासीय योजना में श्री घनश्याम व श्री भगवान दास के सुलहनामा के संबंध में विस्तृत जानकारी

127–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने पत्रांक 721/891-19:1-2/85-86. दिनांक 12-6-85 के द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को पाण्डेपुर आवासीय योजना में श्री घनश्याम व श्री भगवान दास से किये गये सुलहनामे के संबंध में उसका सिजरा लिखा व प्लान भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र एवं सजरा प्लान की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ? क्या सरकार इसकी भी जानकारी देने की कृपा करेगी क्या सुलहनामा पेपर मैन, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोकि वाराणसी के आयुक्त हैं, उनकी स्वीकृति से किया गया है अथवा विकास प्राधिकरण वाराणसी की बैठक के द्वारा प्रस्ताव पास करके किया गया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

संबंधित पत्र एवं सजरा की प्रतियां मेरे कार्यालय कक्ष में मा० सदस्य देख सकते हैं ।

यह सुलहनामा मा० उच्च न्यायालय में किया गया ।

गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा में ट्रक दुर्घटना में मृत व्यक्तियों का विवरण

128–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा उत्तर वन प्रभाग, गोण्डा में रेंज भाभर के वन क्षेत्र में 1 जनवरी, 1991 व 30 जून, 1991 के बीच अवैध कटान का लकड़ी लोड करते हुए मोहल्ला जगदीशपुर, टाउन एरिया पचपेड़वा, थाना पचपेड़वा, जनपद गोण्डा के कुछ व्यक्तियों की मृत्यु ट्रक के उलटने से रात में हो गयी थी ? यदि हां, तो मृतकों के नाम क्या थे और रेंज भाभर के किस ब्लाक में अवैध कटान करके ट्रकों पर माल लादा जा रहा था ? क्या पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो मृत्यु का कारण क्या बताया गया है ? क्या सरकार सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराकर दोषी अपराधियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

दिनांक 16-5-91 को 9.10 बजे प्रातः बोल्डर लादने जा रही एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी ।

दुर्घटना में याकूब पुत्र भूसे निवासी जगदीशपुर, थाना पचपेड़वा, जनपद गोण्डा की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी थी । रेंज भाभर के किसी ब्लाक में वनों का अवैध कटान नहीं किया जा रहा है और न ही अवैध कटान करके ट्रकों पर माल लादा जा रहा था ।

जी हां ।

मृत्यु ट्रक उलटने के कारण आई चोट से हुई थी ।

जांच से दुर्घटना के लिए ड्राईवर दोषी पाया गया जिसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । अतः सी०आई०डी० जांच कराने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

जनपद इटावा के अच्छल्दा कस्बे में श्री बालक सिंह कुशवाहा, वाइस प्रिंसिपल के घर में पड़ी डकैती की रिपोर्ट थानाध्यक्ष द्वारा न लिखे जाने की शिकायत

129–श्री दलवीर सिंह–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद के अच्छल्दा कस्बे मे थाने के पास स्थित श्री बालक सिंह कुशवाहा, वाइस प्रिंसिपल के मकान में दिनांक 18/19 फरवरी, सन् 1991 की रात में डकैती पड़ी जिसमें श्री कुशवाहा, उनकी पुत्री व परिवार के अन्य सदस्यों के गम्भीर चोटें आयीं व लाइसेंसी बन्दूक भी चोरी चली गयी ? क्या इसी रात्रि को अच्छल्दा कस्बे में ही तीन अन्य स्थानों पर अलग-अलग डकैती की घटनायें हुयी ? इन घटनाओं की रिपोर्ट श्री रोशनलाल जयंत, थानाध्यक्ष द्वारा डकैती के अपराध के अन्तर्गत दर्ज न करने के कारण क्या थे ? क्या घटना की जांच उच्च स्तर से कराकर आवश्यक कार्यवाही करायेंगे तथा दोषी थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश देंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । परन्तु घटित घटना लूट की थी । उपरोक्त के अतिरिक्त केवल दो अन्य मकानों में लूट की घटना घटित हुयी थी । विवेचना से यह लूट की घटना ही पायी गयी । अतः थानाध्यक्ष के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद जौनपुर, थाना रामपुर के हेड कांस्टेबिल को निलम्बित किया जाना

130–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रामपुर, जनपद जौनपुर के हेड कांस्टेबिल 20 शंकर सिंह के विरुद्ध धारा 353/323/504/506 ए० सी०–314 अनुसूचित अत्याचार तथा जनजाति के दर्ज मुकदमों में क्या कार्यवाही हुई तथा क्या उक्त हेड कान्सटेबिल को सस्पेन्ड कर गिरफ्तार किया गया ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार थाना रामपुर, जनपद जौनपुर में दिनांक 13-7-91 को मु० अ० सं०-177/91. धारा-352/353/504/506 भा० दं० वि० एवं 3/4 अनुसूचित/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग हेड कान्सटेबिल--20 ना० पु० शंकर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जिनकी विवेचना का कार्य पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं जौनपुर को सौंपा गया । विवेचना अधिकारी द्वारा अभियोग दैनिकी तैयार करके उसे अग्रिम कार्यवाही हेतु विधिक राय देने के लिये ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, जौनपुर को संदर्भित किया गया है ।

हेड कान्सटेबिल 20 ना० पु० शंकर सिंह इस समय निलम्बित है । जहां तक इनकी गिरफ्तारी का प्रश्न है, विधिक राय प्राप्त होने तक इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।

जनपद बलिया के उद्योग क्षेत्र बिल्थरा रोड में चालू/बन्द इकाइयों की जांच हेतु निदेशक को निर्देशित किया जाना

131–श्री रमाकान्त यादव–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उद्योग क्षेत्र बिल्थरा रोड, जनपद देवरिया के अन्तर्गत कितनी उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं कितनी मृत हो चुकी हैं तथा कितनी उद्योग इकाइयां शासन के नियमों के अनुसार प्राप्त किये गये ऋण के अनुसार उत्पादन कर रही हैं ? क्या सरकार चालू उद्योग इकाइयों और मृत घोषित या बीमार उद्योग इकाइयों की सूची दिये ऋण के साथ सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि किन-किन उद्यमियों ने धन तो प्राप्त कर लिया लेकिन उक्त धन का उचित उपयोग न कर दुरुपयोग कर दिया है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बलिया के उद्योग क्षेत्र बिल्थरा रोड में कुल 245 उद्योग इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 76 इकाइयां बन्द हैं। नियमानुसार 63 इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया गया था। 57 इकाइयां प्राप्त ऋण के अनुसार उत्पादन कर रही हैं तथा 6 ऋण प्राप्त इकाइयां बन्द हैं।

ऋण प्राप्त चालू/बन्द इकाइयों की सूची संलग्न हैं।

जांच हेतु उद्योग निदेशक को निर्देशित कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 164--166 पर)

जनपद आगरा में श्री डोरीलाल अग्रवाल स्मृति सभागार का निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने की शिकायत

132–श्री विजय सिंह राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में शिलान्यासित श्री डोरी लाल अग्रवाल स्मृति सभागार पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो सका और अब यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? क्या निर्माण कार्य में किसी प्राइवेट फर्म से सहयोग लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस फर्म से और किन शर्तो पर ?

श्री केदार सिंह फोनिया–

निर्माण कार्य संयुक्त क्षेत्र में किये जाने के बारे में अन्तिम निर्णय न हो सकने के कारण अभी निर्माण कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

निर्माण कार्य संयुक्त क्षेत्र में किये जाने के बारे में निर्णय लेने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की तिथि निर्धारित हो सकेगी।

शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के अंतर्गत तहसील कर्वी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां कार्यरत ए०डी०जी० सी० का क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी पर कथित आरोप

133—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत तहसील कर्वी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां कार्यरत ए०डी०जी०सी० (फौजदारी) ने, क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी के विरुद्ध अभियुक्तों की सहायता करने के संबंध में शिकायती पत्र, दिनांक 6-1-91 को जिलाधिकारी बांदा, पुलिस अधीक्षक बांदा, डी० जी० पुलिस लखनऊ, गृह सचिव उ० प्र० को दिया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या इसी शिकायती पत्र को संलग्नकों सहित, प्रश्नकर्ता का पत्र न्याय सचिव उ० प्र० को फरवरी, 91 में दिया गया ?यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

दिनांक 6-1-91 के स्थान पर दिनांक 1-1-91 का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा श्री श्रीराम त्रिपाठी को जांच सौंपी गई । जांच से पाया गया कि उक्त दोनों अधिकारियों के बीच मन-मुटाव था इसलिए उनके मध्य कटु वार्ता हुई । दोनों पक्षों द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष अपने गलत व्यवहार का एहसास किया गया । अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र बगैर संलग्नक के मार्च 1991 में न्याय सचिव को सम्बोधित होकर प्राप्त हुआ जिसमें क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी द्वारा शासकीय अधिवक्ता (फौज०) कर्वी को अभियोजन की ओर से पैरवी में शिथिलता बरतने के लिये दबाव डाले जाने की शिकायत की गई और क्षेत्राधिकारी पुलिस कर्वी के आचरण की जांच एवं उनके अनुचित हस्तक्षेप को रोकने तथा शासकीय अधिवक्ता (फौज०) कर्वी के नवीनीकरण करने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त पत्र की जांच जिलाधिकारी, बांदा से कराई गई जिसमें लगाये गये आरोप में बल नहीं पाया गया । श्री सुभाषचन्द्र द्विवेदी, सहायक शासकीय अधिवक्ता, कर्वी के कार्यकाल में नवीनीकरण के संबंध में जिलाधिकारी बांदा स्तर से कार्यवाही पूर्ण करके नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

पुलिस मुख्यालय बांदा में फालोवर श्याम हरि तथा फालोवर छंगू को निर्वाचन के दौरान नियुक्ति प्रदान करने का विवरण

134—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय बांदा में श्यामहरि व छंगू फालोवर की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्या मई/ जून, 1991 में उनके सेवा कार्यों का ब्योरा उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सत्य है कि मई/जून, 91 में वह लोग तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा के पैत्रिक घर आगरा में निजी सेवा में रहे हैं ? क्या 20601 सी० पी०, एस० सी० केस रपट संख्या-23 समय 11-10 दिनांक 27-6-91 से 3-7-91 एवं कां० मुन्ना लाल ए० पी० के पुलिस लाइन की 3-7-91 से 6-7-91 व एच० सी० लल्लन की दिनांक 15-7-91 द्वारा जनपद से बाहर

गाजियाबाद को यात्रायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या यह यात्रायें निजी हैं ? यदि हां, तो इन्हें सरकारी तौर पर टी० ए०/ डी० ए० दिए जाने का क्या औचित्य है ? क्या इस संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बांदा को जुलाई, 91 के अंतिम पक्ष में शिकायती पत्र व डी० जी० पी० लखनऊ व शासन/प्रशासन को उसकी प्रति दी गई है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच उच्च अधिकारी से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार फालोवर श्याम हरि माह मई, 1991 में निर्वाचन के दौरान दैनिक मजदूरी पर दिनांक 6-5-91 से भर्ती किया गया था और निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त आवश्यकता न होने के कारण उसकी सेवायें दिनांक 20-6-91 से समाप्त कर दी गई थीं ।

फालोवर छंगू जनपद में स्थाई फालोवर के पद पर नियुक्त है ।

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार दोनों फालोवरों ने माह मई/जून, 1991 में पुलिस लाइन में कार्यरत रहते हुए मेस का कार्य किया है ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार 2060 नम्बर जनपद बांदा में किसी भी कान्स०/हेड कान्स० को आवंटित नहीं है । कान्स० 200 स० पु० मुन्ना लाल राजकीय कार्य के सम्बन्ध में विशेष वाहक के रूप में दिनांक 3-7-91 को रपट नं० 54 समय 20-10 पर पुलिस लाइन बांदा से प्रस्थान करके जनपद गाजियाबाद गया था जिसने दिनांक 6-7-91 को रपट नं० 52 समय 23.00 बजे पर अपनी वापसी पुलिस लाइन में करायी । हेड० कान्स० लल्लन दिनांक 15-7-91 को जनपद गाजियाबाद नहीं गया था । कान्स० 200 ए० पी० मुन्ना लाल राजकीय कार्य हेतु जनपद गाजियाबाद गया है, जिसे नियमानुसार टी० ए०/डी० ए० देय है ।

प्राप्त सूचनानुसार इस बारे में एक शिकायती-पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद थाना खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम महुआ में श्री रहमत आदि के घरों में डकैती करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

135–श्री सैय्यद कासिम हसन–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, थाना-खण्डासा (अमानीगंज) के अन्तर्गत ग्राम-महुआ तथा ग्राम मंझनपुर की सीमा पर अमानीगंज मिल्कीपुर, राजमार्ग के किनारे बसे श्री रहमत तथा श्री हाजी उर्फ पंखी के घरों में दिनांक 5/6 सितम्बर, 1991 की रात को डकैती की घटना हुई थी, जिसकी नामजद रिपोर्ट श्री नान्हूं पुत्र राम सहाय, ग्राम-घटौली (कबीरपुर) तथा सरजू तिवारी पुत्र कामाख्या तिवारी, पूरे बेनी राम तिवारी थाना-उपरोक्त के विरुद्ध अंकित करायी गयी है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कब एवं किन-किन धाराओं में अंकित की गयी और अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने नान्हूं कोरी, निवासी कबीरपुर व 7 अन्य व्यक्तियों (नाम पता अज्ञात) का उल्लेख किया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6-9-91 को थाना खण्डासा, फैजाबाद में धारा 395/397 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज की गई थी।

इस घटना में नामित अभियुक्त नान्हूं कोरी के अतिरिक्त 1-विजेन्द्र यादव पुत्र अमोली, 2-राम प्रगट मौर्य पुत्र शिव वरन, 3–सरजू प्रसाद तिवारी पुत्र कामाख्या तिवारी, 4-जगन्नाथ पाण्डेय पुत्र बासदेव, 5-रसीद अली उर्फ जुग्गी मनिहार, 6-अनीस उर्फ मुन्नन पुत्र अब्दुल सत्तार, 7-सिराज पुत्र असगर प्रकाश में आये। अभियुक्त राम प्रगट मौर्य व रसीद अली उर्फ जुग्गी को लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभियुक्त अनीस को दिनांक 21-9-91 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नान्हूं, सिराज, सरजू तिवारी व बृजेन्द्र यादव ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया। अभियुक्त जगन्नाथ फरार है।

जनपद वाराणसी के मेलूपुर थाने के अन्तर्गत पुलिस द्वारा दहेज उत्पीड़न ऐक्ट के तहत, प्रश्नगत मामले में कार्यवाही

136–श्री बाला प्रसाद–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वाराणसी जनपद के मेलूपुर थाने के अन्तर्गत दिनांक 4-8-91 को पुलिस ने दहेज उत्पीड़न ऐक्ट के तहत कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो क्या एफ० आई० आर० में लगाई गई धारायें कानूनन सही लगाई गई थीं ? क्या उनमें कटिंग थी ? क्या तलाक हो जाने के बाद भी धारा--498 ए, 506. 406 भा० दं० वि० लगाई गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां। धारायें सही लगायी गई थीं और उनमें कटिंग नहीं थी।

दहेज का सामान वापस मांगने पर धमकी देने का प्रकरण था और तलाक भी उक्त प्रताड़ना के फलस्वरूप ही हुआ।

जनपद आगरा में ग्रामदेवरी पर थाना स्थापना की मांग

137–श्री विजय सिंह राणा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में ग्रामदेवरी पर नया थाना स्थापित करने का कोई सुझाव जिला मुख्यालय से शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो यह थाना कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां।

परीक्षणोपरान्त थाने की स्थापना का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपद अलीगढ़ को औद्योगिक विकास के लिये विशेष सुविधायें दिये जाने की मांग

138–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद के औद्योगिक विकास के लिये सरकार की क्या

योजना है ? जनपद की अधिकांश तहसीलों में कोई भी उद्योग न होने के कारण अलीगढ़ को पिछड़ा जिला तथा जिले की उद्योग रहित तहसीलों को उद्योग शून्य घोषित कर उनके औद्योगिक विकास के लिये विशेष सुविधा दिये जाने का प्राविधान करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

अलीगढ़ जनपद का जो भाग "ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र" के अन्तर्गत आता है वह "ब" श्रेणी के पिछड़े जिलों में वर्गीकृत है । इसमें उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिये निर्धारित पैकेज की सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

वर्तमान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन की इकाई जिला है । इस आधार पर अलीगढ़ पिछड़े जिले की परिभाषा में नहीं आता ।

पुलिस अधीक्षक, बांदा पर अनियमित रूप से गाड़ी प्रयोग करने का आरोप

139–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 तक पुलिस मुख्यालय बांदा में जीप संख्या-यू० आर० ई० 5892, मारुति कार संख्या-यू० एस० एक्स० 8335, अम्बेसडर कार नम्बर-यू० एम० के० नं०-3562 एवं जीप नं०-यू० आर० ई० 5755 तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बांदा के अधीनस्थ कार्यरत वाहनों की यात्राओं का विवरण एवं डीजल/पेट्रोल भराने संबंधी प्रकरण लागबुक में उपलब्ध है ? यदि हां, तो इन यात्राओं में कौन-कौन से अधिकारी रहे हैं ? क्या यह सही है कि जीप नं०-यू० आर० ई० 5755 व मारुति कार सं०-यू० एस० एक्स० 8355 का प्रयोग अप्रैल/मई, 1991 में ललितपुर, झांसी, आगरा, ग्वालियर एवं जयपुर आदि में किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह यात्रायें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा निजी कार्यों में की गई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे अनियमित वाहन प्रयोगों के संबंध में जुलाई, 1991 में कोई शिकायती पत्र शासन एवं डी० जी० पी० पुलिस को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा दोषी है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कब तक एवं क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जीप संख्या–यू० आर० ई० 5892, मारुति कार संख्या–यू० एस० एक्स० 8335 एवं अम्बेसडर कार यू० एम० के० 3562 बांदा जनपद में न तो अप्रैल, 91 से जुलाई, 91 तक उपलब्ध थीं और न ही वह इस समय उपलब्ध हैं अतः इनकी यात्राओं का विवरण एवं डीजल/पेट्रोल भराने संबंधी प्रकरण लागबुक में उपलब्ध नहीं है । जीप नं० यू० आर० ई० 5755 माह अप्रैल, 1991 में पी० एम० टी० वर्कशाप लखनऊ में भारी सुधार में रही है । माह मई, 1991 में पुलिस उपाधीक्षक सर्वश्री राम नरेश सिंह, डी० के० द्विवेदी, उमाकान्त त्रिपाठी, उ० नि० परिवहन (पी० एम० टी०) श्री पी० पी० उपाध्याय, श्री विजय राम सिंह, उ० नि० स० पु०, श्री गंगा प्रसाद, उ० नि० ना० पु० एवं ए० एस० आई० (एम०) लकी हसन तथा जून, 1991 में पुलिस उपाधीक्षक श्री सत्येन्द्र शर्मा, उ० नि० ना० पु० श्री मंगली प्रसाद पाल, उ० नि० ना० पु० श्री महेश बाबू गुप्ता एवं माह जुलाई, 1991 में उ० नि० ना० पु० श्री महेश बाबू गुप्ता द्वारा यात्रा की गई है ।

जीप नं० यू० आर० ई० 5755 का प्रयोग माह अप्रैल/मई, 1991 में ललितपुर झांसी, आगरा, ग्वालियर एवं जयपुर आदि में नहीं किया गया है । मारुति कार नं० यू० एस० एक्स० 8355 बांदा जनपद में कभी भी उपलब्ध नहीं रही है । ऐसी दशा में शेष भाग का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, इस संबंध में श्री राम प्रसाद सिंह विधायक, कर्वी (बांदा) का शिकायती पत्र दिनांक 29-7-91 शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई । जांच से तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांदा दोषी नहीं पाये गये ।

श्री राज बहादुर सिंह का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त न होना

140—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत सी० ओ० पुलिस, कर्वी द्वारा उत्पीड़न के संबंध में श्री राजबहादुर सिंह का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 को जिला अधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बांदा तथा उच्च अधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किस स्तर से की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बांदा से प्राप्त सूचनानुसार श्री राजबहादुर सिंह का शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के कवरिंग पत्र सहित दिनांक 3-12-90 को आना नहीं पाया गया है ।

जनपद बांदा में क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी द्वारा दुर्व्यवहार करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

141—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत परगना कर्वी के सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौ०) के साथ, दिनांक 30-3-91 को डाक बंगला कर्वी में क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी द्वारा दुर्व्यवहार के संबंध में उनका शिकायती पत्र, जिलाधिकारी, बांदा, पुलिस अधीक्षक, बांदा, डी० आई० जी०, झांसी, आई० जी०, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या जांच के दौरान उन्हें दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी को क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । इसमें जांच भी कराई गई जांच से दिनांक 30-3-91 को उक्त दोनों अधिकारियों में आपस में कुछ कटु वार्ता का आदान-प्रदान होना पाया गया । दोनों को अलग-अलग उच्च अधिकारियों द्वारा समझा-बुझा दिया गया था । किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

संबंधित तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कर्वी का अब बांदा जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण भी हो चुका है ।

श्री अशोक कुमार का पुलिस कर्वी के विरुद्ध शिकायती टेलीग्राम जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त न होना

142—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत पुलिस कर्वी के विरुद्ध शिकायती टेलीग्राम अशोक कुमार के द्वारा जिला अधिकारी, बांदा, पुलिस अधीक्षक को दिनांक 2-12-90 को दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार श्री अशोक कुमार का दिनांक 2-12-90 को टेलीग्राम जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, बांदा के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स लकी ट्रेडर्स, अमरोहा, मुरादाबाद द्वारा बरसात के कारण क्षतिग्रस्त बहेड़ी मिल का माल न उठाया जाना

143—श्री मोहम्मद रिजवानुलहक—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० कोआपरेटिव मिल्स फेडरेशन लि०, वी—1, सर्वोदय नगर, कानपुर के बहेड़ी यूनिट ड्रोपिन एवं यूनिटों को कटान वेस्ट का ठेका लकी ट्रेडर्स, अमरोहा, मुरादाबाद को दिनांक 26-7-91 के टेण्डर द्वारा बेचा गया था जिसकी फिंकस क्वान्टिटी (मात्रा) थी परन्तु उक्त ठेकेदार ने यूनिटों से पूरा माल नहीं उठाया ? यदि हां, तो उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

मे० लकी ट्रेडर्स, अमरोहा (मुरादाबाद) को 26-7-91 के टेण्डर द्वारा बहेड़ी मिल के ड्रापिंग्स एवं अन्य मिलों-अमरोहा तथा सीतापुर के अन्य वेस्ट का ठेका दिया गया था । उक्त ठेकेदार ने बहेड़ी मिल की बिक्री मात्रा को छोड़कर अन्य मिलों का माल उठा लिया । बहेड़ी मिल की बिक्रीत मात्रा 2016 क्विंटल के विरुद्ध 217.52 क्विंटल मात्रा ही उठायी क्योंकि अवशेष मात्रा बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थी । चूंकि ठेकेदार ने उपलब्ध करायी गई उक्त मात्रा को उठा लिया था, अतः उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० कोआपरेटिव मिल्स फेडरेशन लि०, वी-1, सर्वोदय नगर, कानपुर का टेण्डर लिपकीय त्रुटि के कारण मेसर्स लकी ट्रेडर्स, अमरोहा को दिया जाना

144— श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० कोआपरेटिव मिल्स फेडरेशन लि०, वी-1, सर्वोदय नगर, कानपुर के बहेड़ी यूनिट रेडी स्टाक काटन वेस्ट खरीदने का सबसे अधिक टेण्डर दिनांक 26-7-91 को अब्दुल अजीज मन्सूरी, मोहल्ला चील्ला, अमरोहा, मुरादाबाद में दूसरी पार्टियों से 10.433 रुपये अधिक का कार्ड फ्लाई, गटर एण्ड फेनवेस्ट और स्वीपिन का डाला था परन्तु यह ठेका उक्त को

न देकर कटान मैनेजर श्री एम० एस० सहगल ने लकी ट्रेडर्स, अमरोहा को बेच दिया था और 4 दिन के अंदर ही सारा माल उठवा दिया ? क्या इससे राज्य सरकार को लगभग साढ़े दस हजार की हानि हुई है ? यदि हां, तो उक्त मैनेजर के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

यह सही है कि मै० अजीज मंसूरी की रेडी स्टाक काटन वेस्ट खरीदने की घोषित की गई दर दिनांक 26-7-91 के टेण्डरों में सर्वाधिक थी, किन्तु लिपिकीय त्रुटि के कारण उक्त टेण्डर को मै० लकी ट्रेडर्स, अमरोहा को दे दिया गया था परन्तु इससे मिल को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई क्योंकि इस त्रुटि का पता चलते ही संशोधन आदेश द्वारा सर्वाधिक बोली गई दर के कारण आये अन्तर को मै० लकी ट्रेडर्स, अमरोहा से वसूल कर लिया गया है । टेण्डर में त्रुटि करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है ।

145–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 14-2-92 को अता० प्र० सं० 179 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्मिक प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय से सेवा स्थानान्तरण द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

146-147–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्मिक विभाग के अधीन कार्मिक प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन किया गया था, जिसमें दो आशुलिपिक तथा एक संदर्भदाता को किसी विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ उन्हीं के वेतनमान में तैनात किया गया था ? यदि हां, तो सचिवालय स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मियों की तैनाती किस नियम के अन्तर्गत की गयी जबकि सचिवालय से बाहर के विभागों में कर्मियों की तैनाती की जाती है ?

147–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त आशुलिपिक तथा संदर्भदाता को कुछ समय पश्चात् किन नियमों के अन्तर्गत सचिवालय के वेतनमान प्रदान किये गये ? यदि सचिवालय के वेतनमानों में कर्मियों की तैनाती की जानी थी, तो सचिवालय से वैयक्तिक सहायक तथा संदर्भदाताओं की तैनाती क्यों नही की गयी ? क्या अन्य विभागों के अन्तर्गत तैनात कार्मिकों को भी सचिवालय का वेतनमान प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या उक्त कर्मचारियों को अपने मूल विभाग को तुरन्त वापस करके वहां सचिवालय के कार्मिकों को तैनात किया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह–

शासनादेश संख्या--2615/का--3-24/5/83. दिनांक 11 सितम्बर, 1987 द्वारा कार्मिक विभाग के अधीन प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक गठित है । इस कोष्ठक में अन्य पदों के साथ एक संदर्भदाता तथा 2 आशुलिपिक के पद भी सृजित हैं । इन पदों पर सचिवालय से कार्मिकों की तैनाती का प्रयास किया गया, परन्तु सचिवालय से व्यक्ति उपलब्ध नहीं हुए । तदोपरान्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों से सेवा स्थानान्तरण द्वारा कर्मचारियों को रखने की कार्यवाही की गयी, जिसके अन्तर्गत आशुलिपिक के पद पर भूगर्भ जल विभाग से श्री राकेश चन्द्र तथा श्री रामेश्वर सविता तथा संदर्भदाता के पद पर सहकारिता विभाग से श्री प्रवीन मय खरे की तैनाती की गयी । श्री राकेश चन्द्र अपने पैतृक विभाग में वेतनमान

रु० 470-735 में तथा श्री प्रवीन मय खरे अपने पैतृक विभाग में रु० 454-650 में कार्यरत थे, जहां से इनकी तैनाती प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक में इससे उच्च वेतनमान में रु० 570-1100 में सृजित पदों पर दिनांक 5-1-1988 को की गयी । बाद में ये वेतनमान संशोधित होकर रु० 620-1260 हुआ । श्री रामेश्वर सविता, जो अपने पैतृक विभाग में वेतनमान रु० 470-735 में कार्यरत थे, को प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक में वेतनमान रु० 620-1260 में दिनांक 10-1-1989 को तैनात किया गया । इन कर्मचारियों को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया गया है । वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान रु० 620-1260 का परिवर्तित वेतनमान रु० 1400-2600 हो गया है ।

2. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को सचिवालय का वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

3. सचिवालय से कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण ही विभागाध्यक्ष कार्यालयों से कार्मिकों की तैनाती प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक में अस्थाई रूप से एक वर्ष के लिये की गयी थी, जो समय-समय पर इस शर्त के साथ बढ़ाई जाती रही है कि इन कर्मचारियों को कभी भी बिना पूर्व सूचना के इनके पैतृक विभाग में वापस किया जा सकता है ।

जनपद वाराणसी के थाना शाहाबगंज में सी० आई० डी० जांच में डा० शिवाजी सिंह को अभियुक्त पाया जाना

148—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 31 सन् 1988 अन्तर्गत धारा 14, 7, 148, 149, 307 , 382, 323, 427, 504 व 506 आई० पी० सी० थाना शाहाबगंज, जनपद वाराणसी में राज्य बनाम श्री उदय नारायण सिंह आदि 17 व्यक्तियों पर मुकदमा अंकित है ? यदि हां, तो इसकी विवेचना किस सक्षम अधिकारी ने किस दिनांक से प्रारम्भ की तथा किन बिन्दुओं पर की गई ? केस की प्रगति क्या है ? क्या यह सत्य है कि डा० शिवाजी को षड़यंत्रवश अभियुक्त बनाया गया है ? क्या पूरे मुकदमें का सी० बी० आई०/सी० आई० डी० से परीक्षण शुरू हो गया है ? इस संदर्भ में श्री अवधेश सिंह की एफ० आई० आर० क्या थी तथा किस दिनांक को अंकित की गयी थी ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या संबंधित थानाध्यक्ष, क्षेत्राधिकारी पुलिस, चकिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को दोषी पाये जाने पर दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

उक्त मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा जुर्म को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 21-6-88 से प्रारम्भ की गई । अभियोग की विवेचना अंकित अपराध की धाराओं के बिन्दु पर की गयी । अपराध सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

जी नहीं, डा० शिवाजी सिंह नामजद अभियुक्त थे । पूरे प्रकरण का चेकअप सी० आई० डी० द्वारा किया जा चुका है ।

दिनांक 29-6-88 को श्री अवधेश सिंह की रिपोर्ट विपक्ष के 10 लोगों के विरुद्ध मारने पीटने तथा रिवाल्वर तथा डी० बी० वी० एल० बन्दूक छीन लेने की पंजीकृत की गई थी । विवेचना से अभियुक्तो के विरुद्ध आरोप सिद्ध न होने पर विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की जा चुकी है ।

उक्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये हैं । अतः दण्डित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में 50 वर्ष से अधिक आयु के कार्यरत प्रभारी निरीक्षकों को शासनादेश के अनुरूप हटाने की मांग

149—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 50 वर्षों से अधिक आयु के कितने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जनपद बाराबंकी में कार्यरत हैं ? क्या पूर्व शासनादेशों के अनुरूप उन्हें हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कल्याण सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बाराबंकी में 50 वर्ष से अधिक आयु के एक निरीक्षक प्रभारी के रूप में कार्यरत है ।

प्रकरण परीक्षणाधीन है ।

क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी, बांदा पर चुनाव मे प्रत्याशी की जीप से झंडा तथा बैनर फाड़ने का आरोप

150—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत अपर जिला अधिकारी (प्रशासन) (कर्वी) को, दिनांक 18 अथवा 19 मई, 1991 को क्षेत्राधिकारी पुलिस, कर्वी के संबंध में चुनाव में लगी दो जीपों में एक जीप का झंडा व बैनर फाड़ने तथा खाली अधिग्रहण प्रपत्र में जीप ड्राइवर के हस्ताक्षर कराकर चुनाव में हस्तक्षेप करने संबंधी प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता द्वारा अपर जिलाधिकारी (प्रशा०), कर्वी को दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ।

यह सत्य है कि एक जीप का अधिग्रहण चुनाव हेतु नियमानुसार किया गया था किन्तु बाद में प्रश्नकर्ता की शिकायत पर यह जानकारी हुई कि यह जीप प्रश्नकर्ता की थी जो स्वंय प्रत्याशी थे । अतः उक्त जीप तुरन्त अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई । जीप का झंडा व बैनर फाड़ने की बात जांच में सही नहीं पाई गई । उनके चुनाव में हस्तक्षेप संबंधी बात भी ठीक नहीं पाई गई ।

जनपद बांदा में पुलिस उप अधीक्षकों की उपलब्धता एवं कार्य अवधि का विवरण

151—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत जुलाई, 91 में कार्यरत क्षेत्राधिकारी, पुलिस की संख्या एवं कार्य अवधि का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 15 जून, 1991 तक शासन की नीति, क्षेत्राधिकारी के कार्य की अवधि क्या रही है ? क्या उक्त नीति का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस बीच अन्य स्थानान्तरण किये गये थे ? यदि हां, तो समय सीमा से अधिक कार्यरत पुलिसकर्मी का बार-बार स्थानान्तरण रोकने का क्या औचित्य है ?

श्री कल्याण सिंह–

जनपद बांदा में दिनांक 31-7-91 को पुलिस उपाधीक्षकों की उपलब्धता का विवरण निम्न प्रकार हैं :-

1–श्री तहसीलदार सिंह दि० 26-12-86 से 21-9-91 तक ।

2– श्री जय प्रकाश सिंह दि० 31-7-89 से अब तक ।

3–श्री सत्येन्द्र शर्मा दिनांक 12-3-90 से अब तक ।

4–श्री विनोद कुमार दोहरे दि० 4-5-90 से 20-9-91 तक ।

5–श्री जितेन्द्र कुमार शाही दि० 29-5-90 से अब तक ।

6–श्री राम नरेश सिंह दि० 27-6-90 से 6-8-91 तक ।

शासनादेश संख्या 14/1/90-कार्मिक-2 दिनांक 16-3-90 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को किसी एक पद पर तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखने के निर्देश थे ।

शासनादेश संख्या 14/1/90-कार्मिक-2 दिनांक 12-6-90 के अनुसार दिनांक 16-6-90 से अगले स्थानान्तरण सत्र अर्थात् 15-6-91 तक की अवधि हेतु समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी थी किन्तु उक्त शासनादेश में यह प्राविधान था कि अपरिहार्य परिस्थितियों में स्थानान्तरण प्रकरणों में मा० मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश जारी किये जा सकेंगे । अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त उक्त नीति का उल्लंघन नहीं किया गया है । प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां । जनहित में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण रोका गया था ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड, मऊ के ब्लाक प्रमुख श्री घनश्याम को पुलिस द्वारा पकड़ने की शिकायत पर कार्यवाही

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के विकास खण्ड मऊ के ब्लाक प्रमुख, श्री घनश्याम को पुलिस द्वारा पकड़ने के संबध में टेलीफोनिक शिकायत दिनांक 5-12-90 को जिला अधिकारी, बांदा व पुलिस अधीक्षक, बांदा को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि ब्लाक प्रमुख, मऊ को पकड़ने के बाद तत्समय कर्वी/मऊ क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्राधिकारी, पुलिस/इंचार्जो ने पूछताछ भी किया है ? यदि हां, तो क्या इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार टेलीफोनिक शिकायत के संबंध में कोई अभिलेख अथवा जानकारी नहीं है ।

अभिलेखों के अनुसार ब्लाक प्रमुख, मऊ को पिछले एक वर्ष से कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है और न थाने पर ही लाया गया था । तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, कर्बी अथवा मऊ द्वारा ब्लाक प्रमुख, मऊ से पूछताछ करने के संबंध में कोई अभिलेख अथवा जानकारी नहीं है ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत रेलवे जंक्शन में जी० आर० पी० तथा वेन्डर के मध्य हुए झगड़े में पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया जाना

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत रेलवे जंक्शन में जी० आर० पी०, पीलीभीत के पुलिस कर्मियों द्वारा यात्रियों एवं विक्रेताओं के साथ मारपीट एवं लूट-पाट संबंधी धरना माह जुलाई, 91 के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने मजिस्ट्रेरियल जांच कराई है ? यदि हां, तो क्या इस जांच में पुलिस कर्मी दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रश्नगत झगड़ा प्रमुख रूप से जी० आर० पी० कर्मियों तथा वेन्डर के मध्य दिनांक 26-6-91 को होने की सूचना है । जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने परगना मजिस्ट्रेट से जांच कराई । उनकी जांच रिपोर्ट में जो पुलिसकर्मी दोषी समझे गये उनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-45/91 धारा 323/504/506/342 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया है । दो जी० आर० पी० कर्मियों को लाइन हाजिर किया जा चुका है । नामजद अभियुक्तों की न्यायालय द्वारा जमानत स्वीकार की जा चुकी है । अभियोग की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, शाहजहांपुर द्वारा प्रचलित है ।

परगना मजिस्ट्रेट पीलीभीत की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत द्वारा दिनांक 14-8-91 के पत्र के माध्यम से शासन को प्रेषित की गई ।

श्री राम सकल तिवारी, एस० आई०, थाना नबाबाद, जनपद झांसी के विरुद्ध लापरवाही बरतने के फलस्वरूप दर्ज मुकदमें की विवेचना

154–श्री राम लखन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी नगर के भूतपूर्व विधायक एवं उ० प्र० स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री लखपत राम शर्मा द्वारा उप महा निरीक्षक, पुलिस, झांसी को दिनांक 8-8-91 को अपने शपथ पत्र के माध्यम से एक आरोप पत्र श्री राम सकल तिवारी, एस० आई०, थाना नबाबाद, झांसी के विरुद्ध रिपोर्ट दिनांक 5-3-91 क्राइम नं० 133 सन् 91 धारा 447 जाफता फौजदारी के मुकदमें में दिनांक 27-3-91 को अभियुक्तों से सांठगांठ और उन्हें बचाने हेतु सरकारी कागजातों में जालसाजी धोखाधड़ीपूर्ण फर्जी कार्यवाहियां एवं फर्जी बयान अंकित करने आदि का (आरोप) प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त आरोप पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां उक्त (आरोप) पत्र की जांच के दौरान उप निरीक्षक श्री राम सकल तिवारी को अपने कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मु० अ० सं० 781/91 धारा 218 भा० दं० वि० कायम कर विवेचना की जा रही है । अपराध संख्या 133/91 धारा 447 की विवेचना एस० आई० एस० द्वारा की जा रही है ।

गृह बीजा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में अल्पसंख्यक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति करने की मांग

155—श्री बच्चा पाठक—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गृह बीजा विभाग उत्तर प्रदेश शासन में विगत दस वर्षों से किसी अल्पसंख्यक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या सरकार उक्त विभाग में अल्प संख्यकों को नियुक्त किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

गृह बीजा विभाग में विगत दस वर्षों में अल्प संख्यक अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति की जाती रही है और इस समय भी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के पुलिस स्टेशनों पर पंजीकृत बलात्कार तथा दहेज उत्पीड़न के मामलों का विवरण

156—श्री बाला प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत 1 सितम्बर, 1991 से अब तक किस-किस पुलिस स्टेशनों में बलात्कार के कितने अपराध पंजीकृत हुए और कितने मामले दहेज उत्पीड़न के पंजीकृत हुए ? इसमें कितने अभियुक्त जेल भेजे गये और कितने अपराध संख्या में फाइनल रिपोर्ट लगायी गयी ? फाइनल रिपोर्ट लगाने के कारण क्या थे और कितने वांछित अपराधियों ने आज तक न्यायालय पर आत्म-समर्पण नहीं किया है ? कितने अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार फाइनल लगाये गये अपराधों की विवेचना पुनः सी० आई० डी० द्वारा करायेगी और जिस अपराध संख्या में अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किये गये हैं क्या सरकार शिथिलता बरतने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

1 सितम्बर, 1991 से 17-12-91 तक पंजीकृत अपराधों का विवरण :—

थाना	बलात्कार	दहेज उत्पीड़न
कोतवाली	2	1
गोला	1	—
पलिया	1	1
सम्पूर्णानगर	1	—
खीरी	—	1
नीमगांव	—	2
फूलबेहड़	—	2
मैगलगंज	—	1
ईसानगर	—	3
धौरहरा	—	1
हैदराबाद	—	3
जेल भेजे गये अभियुक्त	11	32
फाइनल रिपोर्ट	1	5

थाना पलिया अन्तर्गत बलात्कार के अपराध में डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आरोप सिद्ध न होने पर अंतिम रिपोर्ट लगाई गई । बलात्कार की घटना के 8 अभियुक्तों ने अभी न्यायालय में आत्म-समर्पण

नहीं किया । दहेज के 2 अभियोग विवेचना से झूठे पाये जाने तथा 2 में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरुद्ध शपथ-पत्र दिये जाने तथा एक अभिलेख में साक्ष्य के अभाव में वादी तथा प्रतिवादी द्वारा सुलह करने पर अंतिम रिपोर्ट लगाई गई । इसमें 8 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण नहीं किया है ।

दोनों अपराधों में कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई ?

जी नहीं ।

लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को दण्डित करने का पुलिस रेगुलेशन में प्राविधान है । यदि कोई पुलिस कर्मी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, पूर्व खाद्य मंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा डी० आई० जी० (पुलिस), फैजाबाद क्षेत्र को प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही

157—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व खाद्य मंत्री श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी का श्री हाकिम सिंह, डी० आई० जी० (पुलिस), फैजाबाद क्षेत्र को सम्बोधित और मुख्य मंत्री, उ० प्र०, गृह सचिव, उ० प्र० तथा पुलिस महानिदेशक. उ० प्र० को पृष्ठांकित दिनांक 24-9-91 का पत्र मिल गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत पत्रों और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही के विवरण को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र में थाना भीटी में पंजीकृत मु० अप० सं० 72/91 धारा 147/148/149/307 भा० दं० वि० में तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद के अनुचित हस्तक्षेप तथा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी रोक देने व थाना भीटी में पुलिस हिरासत में एक हाथी की करेन्ट लगने से मृत्यु की शिकायत की गई ।

उक्त दोनों प्रकरणों की जांच पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कराई गई । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री राम नयन पुत्र श्री राम अछैवर यादव, ग्राम भोजपुर, थाना भीटी की लिखित सूचना पर मु० अप० सं० 72/91 बनाम शिवरिह, रामबचन, हरिसहाय, अनिल कुमार, राम तीरथ तथा राजकरन पंजीकृत किया गया । विवेचना के मध्य अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त शिव हरि व अनिल कुमार की गिरफ्तारी शेष थी । इसी बीच शिव कुमार गिरि व शिव हरि द्वारा प्रश्नगत मुकदमें को फर्जी बताते हुए ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष जांच हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्पक्षता पूर्वक जांच करके कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । जांच से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध लगाये गये । आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

दिनांक 12-9-91 को हाथी द्वारा अवैध शराब ले जाने की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम अंकारीपुर, थाना गोसाईगंज के पास घेराबंदी की गई । पुलिस को देखकर शराब ले जाने वाले व्यक्ति हाथी छोड़कर भाग गये । इस संबंध में मुकदमा अपराध सं० 111/91 व 112/91 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम हुकुम सिंह, महावत आशाराम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । महावत के भाग जाने व कोई मवेशीखाना न होने के कारण हाथी को थाना परिसर में रखा गया । दिनांक 15-9-1991 को

विद्युत करेन्ट लगने से हाथी की मृत्यु हो गयी । हाथी के मालिक श्री हुकुम सिंह के प्रार्थना-पत्र पर पोस्टमार्टम कराने के बाद थानाध्यक्ष, भीटी व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मु० अप०सं० 122/91 धारा 429 भा० दं० वि० पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

पुलिस द्वारा उक्त दोनों मामले में निष्पक्षता से कार्यवाही की गई । अतः प्रार्थना पत्र तथा कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद द्वारा कूप मरम्मत की धनराशि अपहृत किये जाने के संबंध में श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, पूर्व खाद्य मंत्री के पत्र पर कार्यवाही

158–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का जिला पंचायत राज अधिकारी, फैजाबाद को सम्बोधित दिनांक 30-8-91 का पत्र मिल गया है । यदि हां, तो उक्त पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये प्रमुख आरोपों और उस बारे में अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–

जी हां ।

शिकायती पत्र में अवैध धनार्जन, कमीशन, राजनीतिक प्रभाव के कारण दोषी प्रधानों को बचाने, एफ० आई० आर० दर्ज न कराने, स्थगन आदेश पर समुचित पैरवी न करने, कटेहरी व भीटी के अधिकांश मामले रफा-दफा करने का आश्वासन देने, क्षेत्र समिति, भीटी की बैठक में राज्य मंत्री द्वारा दोषी प्रधानों को निश्चिन्त रहने के आश्वासन देने पर मौन रहने, प्रधान, गांव सभा, हृदयपुर, विकास खण्ड, भीटी को सरकारी नौकरी में होने पर भी प्रधान पद पर बनाये रखने, पंचायत भवनों के निर्माण में अनियमितताओं को नजरअन्दाज करने तथा प्रतापपुर चमुरखा के भूतपूर्व प्रधान श्री राम अचल चौबे द्वारा पंचायत घर के लाखों रुपये की जमीन कौड़ियों के भाव बेच डालने और स्कूल भवन निर्माण, कूप मरम्मत का रुपया हड़प करने आदि जैसी प्रमुख शिकायतें की गयी हैं । शिकायती पत्र में आरोप की जांच के फलस्वरूप आरोप अधिकांशतया निराधार पाये गये । जहां तक पंचायत भवन के विक्रय की धनराशि एवं कूप मरम्त की अपहृत धन के हड़पने का प्रश्न है समस्त विक्रय धन स्कूल भवन के निर्माण में लगाया गया है और कूप मरम्मत की अपहृत धनराशि को वसूल करके पंचायत कोष में जमा कराया जा चुका है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पाण्डेयपुर हाउसिंग स्कीम सेनेटरी इम्प्रूवमेन्ट के लिये अधिगृहीत भूमि के कतिपय आराजी संख्याओं पर कब्जा का प्रकरण

159–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाण्डेयपुर हाउसिंग स्कीम व सेनेटरी इम्प्रूवमेन्ट परगना शिवपुर, तहसील व जिला वाराणसी के लिये आराजी नं० 334 रकबा-48 डि० नं० 332 रकबा-37 डि० आराजी नं० 315 रकबा-37 डि० को एक्वायर किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने उक्त नम्बरों पर कब्जा नहीं किया है ? क्या आराजी नं० 334 व 332 में अवैध रूप से 32 कमरों का निर्माण जमीन मालिक ने कर लिया है और 315 में 22 कमरों का निर्माण करा लिया है ?यदि हां, तो क्या 56 कमरों के मकान के चारों तरफ वाराणसी विकास

प्राधिकरण ने पक्की सड़क बना दिया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा नगर विकास मंत्री को दिनांक 12–10–91 को स्वयं, मिल कर तथ्यों सहित पत्र दिया गया है ? क्या अपर सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी को भी प्रश्नकर्त्ता ने ता० 31–10–91 को व दिनांक 1–11–91 को पत्र दिया है ? यदि हां, तो पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । आराजी सं० 334 का क्षेत्रफल 45 डि० है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आराजी नं० 334 रकबा-45 डि०, आराजी नं० 332 रकबा-29 डि० का कब्जा दिनांक 3–12–88 को लिया गया है । आराजी नं० 332 के 8 डि० पर तथा आराजी नं० 315 पर आबादी होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया ।

आराजी नं० 334 में 7 कोठरी लगभग 4 डि० क्षेत्र में बनी हुई है । आराजी नं० 332 के 8 डि० व 315 के 37 डि० का कब्जा प्राधिकरण को मिला ही नहीं था ।

मार्ग का निर्माण प्राधिकरण की आवास योजना के लिये किया गया है ।

मा० सदस्य का पत्र दि० 11–10–91 को प्राप्त हुआ है ।

31–10–91 का पत्र ही प्राप्त हुआ है, जिस पर यथोचित कार्यवाही की गई ।

160–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 326 रकबा-84 डि० गांव पाण्डेयपुर, दौलतपुर, प० शिवपुर, त० व जिला-वाराणसी, पाण्डेयपुर हाउसिंग स्कीम और सिनेटरी डेवलपमेंट व इम्प्रूवमेंट के लिये, वाराणसी विकास प्राधिकरण-वाराणसी द्वारा एक्वायर की गई है ? यदि हां, तो क्या इस पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी ने कब्जा नहीं लिया और आराजी के चारों तरफ चहार दीवारी श्री राधेश्याम जायसवाल, जमीन के मालिक से मिलकर खिचवा दिया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 1 नवम्बर, 91 को अपर सचिव, श्री सिंह वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को पत्र दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

161–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

162 –श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 185 द्वारा उत्तरित]

163 –श्री यदुनाथ सिंह–

[दिनांक 13-2-92 को अता० प्र० सं० 188 द्वारा उत्तरित]

श्री राम प्रसाद व बाबूराम आदि ग्राम-गुरसड़ा, थाना करनैलगंज, जिला गोण्डा के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की मांग

164–श्री दीनानाथ सिंह यादव तथा श्री बनवारी सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे अग्निहोत्री व श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 18-1-90 व 5-12-90 के साथ राम प्रसाद व बाबूराम आदि ग्राम-गुरसड़ा, थाना-करनैलगंज, जिला-गोण्डा का शिकायती-प्रार्थना पत्र संयुक्त सचिव, गोपन अनुभाग–7 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उल्लिखित शिकायतों के निराकरण हेतु दिनांक 21-4-90 को करनैलगंज के कोतवाल द्वारा लिखित सुलहनामा व दिनांक 28-6-90 को परगनाधिकारी, करनैलगंज के लिखित आदेश के बावजूद इन ग्रामवासियों के आम रास्ते के तरफ 2 हाथ दीवाल का कोना बढ़ाने व आम रास्ते को विपक्षी द्वारा साफ न करने का क्या कारण है ? उपरोक्त लिखित सुलहनामा व आदेश का पालन न करने पर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

सुलहनामा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और न ही परगनाधिकारी, करनैलगंज द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में दुर्गा पूजा, काली पूजा तथा सरस्वती पूजा आदि को परम्परागत ढंग से मनाये जाने की पूर्ण अनुमति

165–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दुर्गा पूजा, श्री काली पूजा, श्री सरस्वती पूजा आदि के सार्वजनिक रूप से मनाये जाने का आयोजन करने पर प्रदेश में कोई प्रतिबन्ध लागू है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

प्रदेश में प्रश्नोल्लिखित त्योहारों के परम्परागत ढंग से मनाये जाने हेतु आयोजन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद, उन्नाव में कार्यरत तीन पुलिस सब-इंसपेक्टरों के विरुद्ध शिकायतों पर कृत कार्यवाही

166–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री अवगत है कि उन्नाव जिले में कार्यरत तीन सब-इंसपेक्टरों, सन्तलाल, जियालाल व शिवहर्ष तिवारी के द्वारा अलग-अलग तिथियों में अवैधानिक विरुद्धियां किये जाने की प्रश्नकर्ता द्वारा डेढ़ वर्ष पूर्व की गई शिकायतों पर, माह नवम्बर, 91 में मुकदमें दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ? प्रागदर्शन में दोषी पाये जाने पर दर्ज प्राथमिकी के बाद उस पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

उ० नि० ना० पु० श्री सन्तलाल एवं उ० नि० ना० पु० जियालाल के विरुद्ध जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर मु० अ० सं० 248/90 धारा 342/161/511 भा० दं० वि० व 5 (2) भ्र० नि० अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 8-11-90 तथा उ० नि० ना० पु० श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध मु० अ० सं० 358/91

धारा 342 भा० दं० वि० के अन्तर्गत दिनांक 29-10-91 को थाना मौरावां जनपद उन्नाव पर अभियोग पंजीकृत किये गये थे । विवेचना के पश्चात् उ० नि० ना० पु० श्री जियालाल तथा उ० नि० ना० पु० श्री सन्तलाल के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-10 दिनांक 1-12-91 न्यायालय प्रेषित किया गया । न्यायालय द्वारा दिनांक 12-12-91 को प्रसंज्ञान ले लिया गया है । उ० नि० ना० पु० श्री शिवहर्ष तिवारी के विरुद्ध विवेचनोंपरान्त आरोप सही न पाये जाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट संख्या-36 दिनांक 29–11–91 को प्रेषित की गयी है ।

श्री इन्द्रपाल सिंह संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ० प्र० का शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को भेजा जाना

167–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रपाल सिंह संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-28–9–91 जो कि गृह राज्य मंत्री को संबोधित था और जो श्री दीना मेट, अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, ऐशबाग इन्जीनियर शाखा के उत्पीड़न के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक लखनऊ को जांच हेतु भेजा गया है ।

श्री अवधेश कुमार दुबे सांख्यिकी सहायक, सूचना एवं जन सम्पर्क, विभाग, उ० प्र० की निर्धारित अर्हता के अनुसार ही नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद पर नियुक्ति किया जाना

168–श्री विश्व नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० (मुख्यालय) लखनऊ में नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री अवधेश नारायण दुबे की तदर्थ नियुक्ति हेतु कोई चयन समिति गठित की गई थी ? यदि हां तो उक्त चयन समिति में कौन-कौन से सदस्य थे और कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आये थे ? उन अभ्यर्थियों के नाम और पते क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या–2/उन्नीस-2-1193/84 दिनाक 8/15 मई, 1986 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये । निर्धारित अर्हता के अनुसार मात्र एक ही प्रार्थना-पत्र श्री अवधेश नारायण दुबे सांख्यिकी सहायक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से प्राप्त हुआ था एवं वर्णित शासनादेश की व्यवस्था अनुसार नियुक्ति की गयी ।

जनपद वाराणसी के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गयी जांच में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाना

169–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री एच० पी० मिश्र डी० आई० जी० वाराणसी रेंज ने ता० 25-10-91 को थाना औराई जिला वाराणसी में विजिट किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त थाने

की हवालात में धन्नू पुत्र सिपाल निवासी घोसियां थाना औराई को बिना जी० डी० में दर्ज किये और मुकदमा लिखे अरेस्ट करके हवालात में एस० ओ० तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने बन्द किया था ? क्या डी० आई० जी० ने रिपोर्ट में वेरी बैड शब्द लिखा है और एस० एस० पी० वाराणसी को भी जांच करके कार्यवाही करने को जी० डी० में ही लिख दिया है ? क्या सरकार जी० डी० 45 थाना औराई वाराणसी 25-10-91 को मंगायेगी जिस पर दौरे के वक्त डी० आई० जी० श्री मिश्र ने 11 बजकर 30 पर लिखा है ? क्या डी० आई० जी० ने धन्नू पुत्र सिपाल गांव घोसियां थाना औराई वाराणसी को हवालात से निकाल दिया या नहीं ? क्या अवैधानिक रूप से हवालात में बन्द करके रखने के संबंध में एस० ओ०, श्री वी० के० सिंह तथा अन्य को निलम्बित कर बरखास्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? एस० एस० पी० वाराणसी ने 25-10-91 से लेकर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

जी० डी० मंगाकर देख ली गई है । पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा धन्नू को हवालात से निकाल कर अवमुक्त कर दिया गया था । पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा मामले की जांच की गई । दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है । स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है । पुलिस कर्मियों को निलम्बित करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद लखनऊ के नादान महल रोड में मेसर्स पब्लिक गन हाउस में अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के दौरान भारी मात्रा में कारतूस आदि पाया जाना

170–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नादान महल रोड लखनऊ के पब्लिक गन हाउस मे अवैध कारतूस व हथियारों की बिक्री हेतु छापा मारा गया था जिसमें क्षेत्राधिकारी चौक, ओंकार सिंह इन्सपेक्टर चौक, नगर पुलिस अधीक्षक लखनऊ का स्पेशल एक स्क्वैड था ? क्या यह सही है कि उक्त छापे में एक हजार कारतूस 32 बोर पिस्टल के 16 कारतूस 32 बोर रिवाल्वर के 40 कारतूस 315 बोर व 17 कारतूस 12 बोर के बरामद किये गये ? क्या इसकी लिखापढ़ी की गयी है ? क्या यह सही है कि थाने में सिर्फ 720 कारतूस जो 32 बोर पिस्टल के थे वह थाना चौक कोतवाली में दर्ज किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त गन हाउस के मालिक के दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया था और हवालात में बन्द करके चालान भी किया गया था जो जमानत पर छूट गये हैं ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, दिनांक 9-10-91 को अपर नगर मजिस्ट्रेट (चौक) के निर्देशन में मेसर्स पब्लिक हाउस, नादान महल रोड, लखनऊ, शस्त्र विक्रेता की दुकान को चेक किया गया था ।

उपरोक्त चेकिंग में दूकान से 455 बोर (प्रतिबंधित बोर) के 21 कारतूस, 32 बोर पिस्टल के 720 कारतूस एवं 315 बोर के 250 कारतूस स्टाक में अधिक पाये गये जिसकी नियमानुसार सूची बनाकर, दुकान में उपस्थित श्री वहाब अली के पुत्र श्री जैद तथा जमाल अली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया ।

जी नहीं, स्टाक से अधिक पायी गयी उपरोक्त संख्या के कारतूस ही सूची में दिखाये गये एवं थाने में जमा किये गये हैं ।

जी हां, विवेचना के दौरान यह पाये जाने पर कि दूकान पर उपस्थित श्री वहाब अली के दोनों पुत्र अधिकृत विक्रेता नहीं हैं, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार किया गया जो कि बाद में न्यायालय से जमानत पर छूट गये हैं ।

इस प्रकरण की सम्प्रति सी० आई० डी० जांच कराये जाने का अब तक कोई औचित्य नहीं पाया गया है । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

जे० बी० इण्टर कालेज, बबेरु, जनपद बांदा के सहायक अध्यापक श्री वर्मा के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

171–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत थाना बबेरू के जे० वी० इण्टर कालेज बबेरू के सहायक अध्यापक श्री वर्मा का शिकायती पत्र दिनांक 6–8–91 प्रश्नकर्ता द्वारा पृष्ठांकित मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6–8–91 के साथ प्राप्त श्री वर्मा के दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के संबंध में श्री बाबूराम वर्मा द्वारा पूर्व में दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच की गयी ।

जांच से शिकायत सही नहीं पाया गया फलतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना बदौसा के शम्भूशरण का शिकायती पत्र प्राप्त न होना

172–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना बदौसा के अन्तर्गत गांव फाटापुरवा मजरा रसित के शम्भूशरण का शिकायती पत्र 13–6–91 जो प्रश्नकर्ता के माध्यम से तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया गया था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री ने गृह सचिव को संबंधित मामले की जांच मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिया है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जनपद बांदा के ग्राम फाटापुरवा, थाना बदौसा के श्री शम्भूशरण का शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 13–6–91 प्राप्त नहीं हुआ है शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के थाना राजापुर के सोहनलाल आदि की सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना

173–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के थाना राजापुर के गांव सुखता के सोहनलाल आदि का दि० 10–1–91 का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त कराया गया था जिस पर गृह सचिव को वांछित कार्यवाही का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि मई/ जून 91 में सोहन लाल की हत्या का प्रयास गोली चलाकर किया गया है ? क्या उक्त शिकायती पत्र में सेकन्ड अफसर थाना राजापुर के ऊपर विरोधियों के साथ मिले होने के आरोप हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या शिकायतकर्ता की सुरक्षा की व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में जांचोपरान्त पाया गया कि दिनांक 1–6–91 को श्री सोहन लाल की हत्या का प्रयास गोली चलाकर किया गया । इस प्रकरण में थाना राजापुर में वादी श्री राम बरन पुत्र सोहन लाल केवट निवासी सुरबल, थाना राजापुर की सूचना पर दिनांक 2–6–91 को मु० अ० सं० 142/91 धारा 307/504 भा० दं० वि० का अभियोग विरुद्ध चुन्ना उर्फ देवी आदि 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया, जो विचाराधीन न्यायालय है । पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । शिकायतकर्ता की सुरक्षा व्यवस्था स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है ।

जनपद बाराबंकी के पूर्व विधायक के जीवन भय को देखते हुए शासन द्वारा गनर प्रदान किया जाना

174–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब वर्तमान सरकार के निर्देशानुसार पूर्व विधायकों/सांसदों पूर्व मंत्रियों आदि के अंगरक्षक/गनर की प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गयी है, तो सत्ता दल के जनपद बाराबंकी के पूर्व विधायकों को गनर तथा अंगरक्षक देकर दोहरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदत्त करने का औचित्य क्या है ? क्या यह सुविधा इस श्रेणी के अन्य पात्र व्यक्तियों को भी प्रदत्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां,

वर्तमान सरकार ने वर्तमान विधायकों/सांसदों को सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के महानुभावों को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का निर्णय लिया है जिनको वास्तविक रूप से जीवन भय हो। जनपद बाराबंकी के वर्तमान विधायकों/सांसदों की शासकीय व्यय पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा भूतपूर्व विधायकों के जीवन भय के संबंध में जांच कराई गयी तो श्री सुन्दर लाल दीक्षित, पूर्व विधायक के अतिरिक्त इस श्रेणी के किसी अन्य महानुभाव को गम्भीर रूप से जीवन भय परिलक्षित नहीं हुआ है ।

श्री दीक्षित के गम्भीर जीवन भय को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें शासकीय व्यय पर मात्र एक गनर शासन द्वारा स्वीकृत है ।

इस श्रेणी के अन्य महानुभावों, जिन्हें वास्तव में जीवन भय व्याप्त है, को शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में अग्निशमन केन्द्र खोलने की मांग

175 –श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में कोई अग्निशमन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव वर्ष 1988-89 से लम्बित है ? यदि हां, तो कब तक कार्य करना प्रारम्भ करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों एवं प्रदेश के अन्य भागों की तुलनात्मक आवश्यकताओं तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से वर्तमान में हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना संभव नहीं है ।

जनपद फिरोजाबाद में बाउन्ड्री टाउन प्लानर का पद सृजित करने की मांग

176–श्री राम किशन ददाजू–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर में बाउन्ड्री टाउन प्लानर की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

श्री कल्याण सिंह–

फिरोजाबाद जनपद में टाउन प्लानर का पद सृजित नहीं है । मण्डल स्तर पर आगरा में स्थित सम्भागीय नियोजन खण्ड में सहयुक्त नियोजक की व्यवस्था है जिनके कार्य क्षेत्र में फिरोजाबाद भी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि सीमा रोपड़ अधिनियम को प्रभावहीन बनाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने की मांग

177–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम सन् 1976 लागू होने के पश्चात् गोरखपुर महानगर क्षेत्र के अन्तर्गत भूस्वामियों एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से एक डिस्मिल भूमि सरकार को नहीं प्राप्त हो सकी है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों से इसकी जांच न होने के क्या कारण हैं ? इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और भूमि सीमा रोपण को प्रभावहीन बनाने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के अन्तर्गत 9,66,080.545 वर्गमीटर भूमि राज्य सरकार में निहित हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

178–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[दिनांक 14-2-92 को अता० प्र० सं० 171 द्वारा उत्तरित]

179–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गयी पेयजल रिपोर्ट में जनपद उन्नाव कानपुर के कई स्थलों का पानी प्रदूषित पाया जाना एवं रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जानकारी

180–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 90-91 व 91-92 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों ने उ० प्र० के उन्नाव, कानपुर आदि जिलों के जल प्रदूषित होने के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में उन्नाव जिले के औद्योगिक क्षेत्र के मसवादी, घोषी, रौतापुर, मेहदिनवा आदि ग्रामों के पेयजल को क्या न पीने योग्य बताया गया है ? क्या इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के हिलोली ब्लाक के ग्राम-धनोखर, बालमुकुन्दखेड़ा, बती खेड़ा, मौरावां आदि के संबंध में भी भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग ने कोई रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ब्लाक असोहा के ग्राम सेरसाहाबेड़ा में पेयजल के प्रदूषण के संबंध में भी उक्त जांच कर्ताओं ने भी कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त रिपोर्ट कब प्राप्त की ? इस रिपोर्ट और सुझाव के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां, प्रारम्भिक अध्ययन, के उपरान्त जल प्रदूषित होने के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गयी है ।

जी हां, केवल कुछ स्थलों पर प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर-करां के अन्तर्गत ग्राम-घोसी, महदिनवा तथा रौतापुर आदि में भूगर्भ जल पीने के योग्य नहीं पाया गया है । परन्तु पेयजल समस्या से प्रभावित क्षेत्र के वास्तविक सीमांकन एवं उसके निदान हेतु उपायो की जानकारी के लिये प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत अध्ययन के उपरान्त ही निश्चित जानकारी की जा सकती है ।

जी हां, उपरोक्त प्रारम्भिक अध्ययन के आधार पर ही ग्राम धनोखर, बालमुकुन्द खेड़ा, बद्रीखेड़ा तथा मौरावां टाउन एरिया में केवल कुछ स्थलों पर की गयी जांच के अनुसार भूगर्भ जल पीने के योग्य नहीं पाया गया है । विस्तृत अध्ययन हेतु परियोजना प्रस्तावित है ।

जी हां, विकास खण्ड असोहा अन्तर्गत ग्राम सेरसाहाखेड़ा में एक पेयजल कूप से प्राप्त जल नमूने के विश्लेषण के आधार पर भूगर्भ जल पीने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

प्रारम्भिक अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट 20-6-90 को सरकार ने प्राप्त की ।

तदुपरान्त प्रभावित क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन हेतु एक परियोजना तैयार की गयी जिसका नाम "जनपद उन्नाव के प्रदूषित भूमिगत जल क्षेत्रों में मृदुजल के अन्वेषण जल एवं निकास की परियोजना" है जिसके अन्तर्गत संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान चिकित्सकों के सहयोग से एकीकृत अध्ययन प्रस्तावित है जिसकी अवधि एक वर्ष है तथा कुल अनुमानित लागत रु० 8.016 लाख है ।

परियोजना शासन के विचाराधीन है ।

181–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण प्रश्न हटाया गया]

जनपद वाराणसी की आरक्षित वन के पास स्थित ललमानियापहाड़ियों से गिट्टी/पटिया लाने वाले व्यक्तियों से रायल्टी न लिया जाना

182–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद वाराणसी की आरक्षित वन के पास स्थित ललमानिया आदि पहाड़ियों से गिट्टी एवं पटिया लाने वाले व्यक्तियों को मिर्जापुर जनपद में लगे वैरियर्स पर रायल्टी की धनराशि देनी पड़ती है परन्तु वाराणसी जनपद पाषाण विभाग के बैरियर्स न हो पाने के कारण वहां रायल्टी नहीं देनी पड़ती जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष सरकारी खजाने को लाखों रुपये की क्षति होती है ? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने हेतु क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

बैरियरों पर रायल्टी देने का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धारा 438 सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत का प्राविधान शासन के समक्ष विचाराधीन

183–श्री किशन गोपाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धारा-438. सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत पर प्रदेश में प्रतिबंध लगा हुआ है जबकि अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की जमानत का प्राविधान लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों की भांति, इस प्रकार की जमानत का प्रदेश में भी प्राविधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां ।

अग्रिम जमानत के प्राविधान को पुनः लागू करने का प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन हैं ।

184–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[दिनांक 24-2-92 को अता० प्र० सं० 166 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० में अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये स्वरोजगार योजना

185–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार के लिये पूंजी/मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने हेतु उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय निगम जैसी कोई संस्था कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसी संस्था द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से पूरे राज्य में अल्पसंख्यकों को उद्योग/व्यवसाय का मार्ग दर्शन व उद्योग/व्यवसाय हेतु बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जाती है ? यदि हां, तो क्या नई सरकार ने अल्पसंख्यकों की इस योजना को बन्द कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या प्रतिवर्ष अगस्त/सितम्बर, तक इस योजना के लक्ष्य जिला केन्द्रों तक पहुंच जाते हैं ? यदि हां, तो चालू वर्ष में यह लक्ष्य वहां कब तक पहुंचे ? यदि नहीं, तो लक्ष्य कब तक पहुंच जायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह–

जी हां । उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम नामक संस्था कार्यरत है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य अक्टूबर, 1991 में संस्थागत वित्त निदेशालय के माध्यम से भेजे गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने की मांग

186–श्री लीला राम शर्मा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पिथौरागढ़ में कितने राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज हैं, जिनके भवन अभी तक नहीं बने हैं ? इन विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु कब तक धनराशि स्वीकृत की जा सकेगी ?

श्री पूरन चन्द्र शर्मा–

जनपद पिथौरागढ़ में तीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के भवन अभी तक नहीं बने हैं । ये विद्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं । इनके अतिरिक्त 82 विद्यालयों में अपर्याप्त भवन हैं ।

इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिये धन की स्वीकृति दिया जाना प्रदेश की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

जनपद लखनऊ के वार्ड यहियागंज में श्रीमती हीरादेवी द्वारा निर्मित दीवार को गिराये जाने की मांग

187–श्री रमाकान्त यादव–

क्या आवास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला-बाग मक्का यहियागंज वार्ड लखनऊ की सरकारी गली में श्रीमती हीरा देवी द्वारा अवैध निर्माण करके दीवार उठा कर रास्ता बन्द कर दिया गया है ? क्या इस संबंध में 6-7-88 को विहित अधिकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिये थे ? क्या विहित अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया है जिसमें सुनवाई दिनांक 13-8-91 को थी उसमें पुनः अवैध निर्माण को गिराने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो कब तक अवैध निर्माण गिरा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं ।

जी हां, परन्तु यह आदेश एक पक्षीय थे और श्रीमती हीरा देवी के विरुद्ध न होकर श्री छोटे लाल शुक्ल के विरुद्ध थे ।

जी हां, परन्तु प्रश्नगत दिनांक को इस प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि 6-7-88 का आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा 3-10-91 को निरस्त किया जा चुका है ।

(ग्यारहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार को उत्तरित श्री रामदेव आचार्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 का संशोधित उत्तर ।)

उ० प्र० सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थायीकरण किया जाना

मूल प्रश्न

3–क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दक्षता रोक पार करने हेतु एवं स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यदि कर्मचारी टाइप-टेस्ट पास न कर पायें तो उसे दक्ष (इफीशियेन्ट) नहीं समझा जाता है और न ही स्थायी किया जाता है । क्या प्रवर वर्ग सहायक के दक्ष (इफीशियेन्ट) होने का माप-दण्ड टाइप टेस्ट पास करना ही है ? यदि नहीं तो क्या सरकार नियमों में यथोचित संशोधन करते हुए इस प्रक्रिया को समाप्त करने पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो क्यों ?

मूल उत्तर

3–उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दक्षता रोक पार करने तथा स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कल्याण सिंह,

मुख्य मंत्री ।

संशोधित उत्तर

3–उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारियों को दक्षता रोक पार करने हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है किन्तु स्थायीकरण हेतु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ।

प्रवर वर्ग सहायक के पद पर दक्षता रोक पार करने हेतु केवल संबंधित कर्मचारी के संतोषजनक कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट का ही मूल्यांकन किया जाता है ।

कल्याण सिंह,

मुख्य मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व मे पुनः आरम्भ हुई)

(विरोध पक्ष के श्री शिवकुमार बेरिया, श्री जागेश्वर, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री लालजी वर्मा, श्री कृष्ण कुमार, श्री विश्वनाथ, श्री गामाराम, श्री हरिवंश सहाय, श्रीमती शारदा देवी, श्रीमती ज्ञानवती सिंह आदि कई सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगाने पर–[x x x]

(सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मार्च, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत 27 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राहय को छोड़ते हुए 7 सूचनायें, (1) श्री भारत सिंह रावत, (2) श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि (3) श्री गया चरन दिनकर (4) श्री निर्वेन्द्र कुमार (5) श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (6) श्री गिरधारी लाल (7) श्री सुरेन्द्र सिंह, की स्वीकार की गयीं ।

ये सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जाएं ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गयी)

गढ़वाल जनपद के लैन्सडाउन (जयहरी खाल) डिग्री कालेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री भारत सिंह रावत –

[मान्यवर, गढ़वाल जनपद में लैन्सडाउन (जयहरीखाल) डिग्री कालेज में आधे से अधिक महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ताओं की कमी बहुत दिनों से है जनता एवं छात्र-छात्राओं द्वारा लगातार ज्ञापन एवं आवेदन करने के बाद भी प्रवक्ताओं की रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं हुई है । पढ़ाई के अभाव में छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकारमय हो गया । छात्र-छात्राएं गत 22-2-92 से आमरण अनशन धरने पर बैठे हैं । स्थित विस्फोटक हो रही है । स्थानीय जनता चिंतित एवं आक्रोषित है ।

अतः अविलम्बनीय लाक महत्व की इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर समस्या के हल के लिये शासन को निर्देशित कर दें एवं सदन में चर्चा करा दें ।]

जनपद मैनपुरी में प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[मान्यवर, जनपद मैनपुरी में शासन द्वारा वर्ष 91-92 में स्वीकृत प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण नहीं कराए जा रहे हैं शिक्षा जगत एवं आम जनता में इससे काफी रोष व्याप्त हो रहा है । जन भावना बनती जा रही है कि वर्तमान शासन जनहितकारी कार्यो को भी दलगत राजनीति के आधार पर

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं करा रहा है । ग्राम बैरागपुर मौजा बसैत विकास खण्ड किशनी जनपद मैनपुरी में स्वीकृत के बावजूद भी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया गया ।

अतः इस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा मे बबेरू कोतवाली के उपनिरीक्षक द्वारा धांधली करने के संबंध में नियम 310 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरन दिनकर–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा में बबेरू कोतवाली के हरिश्चन्द्र त्रिपाठी द्वारा क्षेत्र के अराजक तत्वों को साथ लेकर भारी गुण्डा गर्दी की जा रही है । इन्होंने जनपद बांदा में रह कर अनेकों फर्जी इन्काउन्टर भी किये हैं । इन्होंने 30-1-92 को मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया व करवाया और दिनांक 15-1-92 से लेकर 30-1-92 तक फखरौली ग्राम के श्री राम प्रताप कुशवाहा को बुरी तरह अकारण मारा पीटा और 30-1-92 को श्री कुशवाहा को बबेरू कोतवाली से गायब कर दिया इसी क्रम मे डा० ऊदल श्रीवास को भी 30-1-92 को अकारण मार पीट कर बन्द कर दिया । इनकी इन्हीं करतूतों के कारण इनकी इन्ट्री भी खराब है । ये अपराधी व्यक्ति हैं । यदि ये पुलिस में रहते हैं तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा ।

अतः इन्हें तत्काल निलम्बित करके सी० आई० डी० जांच इनके द्वारा किये गये सभी अवैध कार्यो की करवाने के आदेश सरकार को देने का कष्ट करें ।]

श्री बाबू खां निवासी ग्राम बुद्धा पुरवा जनपद लखीमपुर खीरी के घर में लगी आग की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र 72 निघासन खीरी के बाबू खां पुत्र अमीर हसन नि० ग्रा० बुद्धा पुरवा थाना क्षेत्र चन्दन चौकी परगना पलिया जनपद लखीमपुर खीरी तथा सुशील कुमार पुत्र हजारी लाल नि० ग्रा० बुद्धा पुरवा थाना क्षेत्र चन्दन चौकी के मध्य काफी समय से जमीन संबंधी विवाद चल रहा था कि उक्त विवाद की रंजिश मानते हुए सुशील पुत्र हजारी ने दिनांक 3-3-92 को रात्रि 7 बजे बाबू अमीर हसन के घर में आग लगा दी ।

जिससे घर का काफी सामान एवं उसका एक वर्ष का बच्चा बुरी तरह जल गया ।

जिसकी रिपोर्ट थाना चन्दन चौकी में बाबू खां पुत्र अमीर हसन लिखवाने गया परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी गई न ही डाक्टरी परीक्षण कराया जिससे मृत्यु हो सकती है ।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त प्रकरण की आवश्यक जांच कराकर दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्रान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में भरे हुए गन्दे पानी की निकासी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में गन्दे पानी की निकासी न कराये जाने से प्रदूषण भयंकर रूप धारण कर लिया है अनेक पशु मर चुके हैं, तरह-तरह की बीमारियां फैलने से सैकड़ों लोग गम्भीर रूप से बीमार हैं, किसानों की फसलें नष्ट हो गयी हैं बरसाती पानी निकलने के लिए एक नाला है, जिसकी सफाई न होने से भारी पैमाने पर गन्दा पानी भरा हुआ है जिसके कारण स्थिति बहुत ही भयावह हो गयी है। इससे लोगों में रोष क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है। यह विषय अति अविलम्बनीय लोक महत्व का है।

अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में फैले गन्दे पानी की निकासी अविलम्ब कराई जाय तथा दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय।]

ग्राम धरीकला जनपद गाजीपुर के रघुबर पुत्र बन्नी की निर्मम हत्या किये जाने के सम्बन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गिरधारी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के दिनांक 20-2-92 को जनपद गाजीपुर थाना सादियाबाद में ग्राम धरी कला के रघुबर पुत्र श्री बन्नी (अनुसूचित जाति) की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को जखनियां क्षेत्र के विधायक श्री गिरधारी लाल द्वारा मौखिक रूप से मृतक की पत्नी के साथ दिया गया लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। उस गांव में जाने और लोगों से बात करने से यह प्रतीत होता है कि यह घटना सादियाबाद के पुलिस की शिथिलता एवं सांठ-गांठ से हुई है इस घटना से पूरे क्षेत्र में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया।

अस्तु आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उक्त घटना की जांच सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा कराये दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया जाय। मृतक के आश्रित को एक लाख का मुआवजा दिया जाय। जिससे न्याय मिल सके।]

जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनपद गाजीपुर के कासिमाबाद में ऊर्जा विभाग के 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस स्थान पर उक्त क्षमता उपकेन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का भी चयन हो जाने के

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बावजूद 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस विद्युत उपकेन्द्र को लगाया जाना था क्योंकि वहां पर विद्युत लोड अत्यधिक है तथा यह स्थान केन्द्र में है इस उपकेन्द्र के न लगने के कारण स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है तथा हजारों की संख्या में लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन किया है ।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त सरकार को निर्देशित करें कि कासिमाबाद में 132 के० वी० का उपकेन्द्र जल्द से जल्द लगवाया जाय, जिससे उक्त समूचे क्षेत्र में कृषकों, छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों को न्याय प्राप्त हो सके ।]

जनपद देवरिया के पथरदेवा में हुए बलात्कार के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं और वह उसी विषय पर कुछ कहना चाहते हैं । आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं ।

(सदन के मध्य खड़े हुए सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें पहली सूचना श्री कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री राम लखन वर्मा, श्री स्वामी नाथ यादव की 27/28 फरवरी को जनपद देवरिया के पथरदेवा ग्राम में पुलिस द्वारा डकैती एवं महिलाओं के साथ दुराचार के संबंध में है । इसमें माननीय नेता विरोधी दल का नाम पहले है, वे चाहें, तो पहले बोल लें अथवा आपस में विचार कर लें कि कौन पहले बोलना चाहेंगे । इस सूचना पर हम केवल ग्राह्यता पर ही सुनेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष–

आप इस बात को ध्यान में रखियेगा कि घटना के बारे में आप कल बोल चुके हैं, अब आज केवल ग्राह्यता पर बोले कि कल इसको निरस्त किया जा चुका है तो आज इसको क्यों लिया जाये ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की मन्शा साफ होती तो जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, उनका इस सदन में बयान ले लेती, तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती । सी० ओ० भटनी ने इस काण्ड के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, अगर उसी को कल यहां पर पढ़ कर सुना दिया गया होता तो स्थिति स्पष्ट हो गयी होती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, जब यह निरस्त कर दिया गया था, तो इस पर आज क्यों चर्चा करायी जा रही है । कैसे आज आप सुन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं पहले ही कह चुका हूं ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, जिन अबलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, वह लखनऊ में आ गयी हैं और उन पर सत्ता पक्ष की ओर से दबाव डाला जा रहा है कि वह अपना बयान बदल दें। वह लोग अपनी व्यथा आप से कहना चाहती हैं, उनकी बात को तो सुना जाना चाहिये। आज सदन चल रहा है और आप बहुत बड़े अधिवक्ता हैं और सरकार की ओर से उन पर दबाव डाला जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि जो काण्ड हुआ है, वह सत्य है। और अगर सरकार को कोई सन्देह नहीं है और सरकार उसको मानने के लिये तैयार नहीं है तो सरकार मामले की न्यायिक जांच करा ले, उसमें उसके सामने क्या दिक्कत है। इसमें आपका सहयोग होना चाहिये, जिससे नारियों को कम से कम यहां तो न्याय मिल सके।

* श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। और इसी के साथ ही साथ दुख भी है कि प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण समय निकल गया जिसके द्वारा संविधान के तहत जो अधिकार हमें प्रदत्त हैं, उनका हनन हुआ है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य की कल्पना लेकर आयी है।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं। वहां पर नारियों के साथ बलात्कार किया गया और इसी प्रकार अलीगढ़ में जब माननीय मुख्य मंत्री जी के जनपद में .....

श्री अध्यक्ष–

आप अलीगढ़ की बात न बोलें। जो सूचना आयी है और जिस पर आपके भी हस्ताक्षर हैं उसकी ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री राम लखन वर्मा–

मान्यवर, इस बात को बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इसको गम्भीरता के साथ नहीं लिया जिसके कारण यह स्थिति पैदा हो गयी। अगर सरकार की ओर से यह आश्वासन आ जाता कि न्यायिक जांच करायी जायेगी, तो विपक्ष के किसी भी सदस्य के मन में रोष न उत्पन्न होता और ऐसा न करने से उनके मन में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है यह मामला बड़ा गम्भीर है इसको जैसा कि उन्होंने कहा, कमिश्नर से जांच करा रहे हैं, मैजिस्ट्रेट से जांच करा रहे हैं, यह कोई मायने नहीं रखता है। पूरा विपक्ष चाह रहा है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय और जो लोग दोषी हैं उनको बख्शा न जाय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

(श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, बेनी प्रसाद वर्मा जी नहीं हैं, मैं बोल लूं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो सूचना है, उसमें जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं उन्हीं को मैं अनुमति दूंगा ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी का नाम है ?

श्री अध्यक्ष–

उस पर इनका नाम टाइप है लेकिन हस्ताक्षर नहीं है, मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह मामला केवल पार्टी या कुछ विधायकों से संबंधित नहीं रह गया है अब यह मामला पूरे प्रदेश का है और पूरा विपक्ष इसमें एक मत है । मैं चाहूंगा कि इसमें यह टेक्निकल बात हो सकती है, तकनीकी दृष्टि से सब नेताओं के हस्ताक्षर न हो पाये हों, मैं आग्रह करूंगा कि उसकी महत्ता को देखते हुए प्रमोद तिवारी जी को, कैलाश नाथ यादव जी को, ऊदल जी को, उधर से सजपा की तरफ से जो भी नेता बोलना चाहें, बेनी प्रसाद वर्मा जी को शादी में जाना था, वह चले गये, इनकी 2-2 मिनट बात सुन लें उसके बाद मैं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं देता हूं, माननीय नेता विरोधी दल तो सभी विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

मान्यवर, व्यवस्था यह है कि शासन की यह नीति है कि कोई जांच हो तो उसके बारे में मंत्री वक्तव्य दे नहीं सकता है । माननीय नियोजन राज्य मंत्री का वक्तव्य छपा है कि यह आरोप बलात्कार का बेबुनियाद है । तो जब इस तरह का बयान आ गया तो कमिश्नर की जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । चूंकि माननीय नियोजन राज्य मंत्री संयुक्त जिम्मेदारी के तहत, ज्वाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी के तहत, उनका बयान सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार का बयान है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार का यह बयान आ गया है कि वहां पर बलात्कार नहीं हुआ है तो अब कमिश्नर की जांच का कोई औचित्य नहीं रह जाता है । यह सरकार जुडिशियल इन्क्वायरी कराये या सी० बी० आई० की जांच कराये या जितनी महिलायें हैं एम० एल० ए०, उन महिला एम० एल० एज० की एक समिति नियुक्ति कर दी जाय जो जांच करने जायं, यह आप कर दें, अगर कुछ न कर पायें तो इस सरकार को बर्खास्त करने की संस्तुति कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, माननीय नेता विरोधी दल ग्राह्यता पर बोलें ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बडा दुख है कि सम्पूर्ण विपक्ष ने एक मत से, एक राम से एक मांग रखी और वह मांग मान्यवर, कोई ऐसी मांग नहीं थी जिस पर इस सरकार को मानने में कोई कोताही होनी चाहिए थी । मैंने कल ही बताया कि आज वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री जब भाजपा के नेता या उपनेता के पद पर थे तो एक बार नहीं कई बार उन्होंने इसी सदन में इस बात को माना था कि ऐसे मामले में जांच के लिये कोई कोताही सरकार को नहीं बरतनी चाहिए और मान्यवर, जांच ऐसी होनी चाहिए जो निष्पक्ष हो और आम जनता को लगे कि जांच निष्पक्ष हो रही है । जब मंत्रियों का मामला हो, गृह राज्य मंत्री का ममाला हो –आज नियोजन राज्य मंत्री का बयान आया है, जब इस तरह के बयान आ रहे हैं तो कमिश्नर, जो प्रशासन का एक अंग है, वह किस तरह से निष्पक्ष जांच कर सकेगा ? कतई नहीं कर सकेगा, इसलिये एक जुट होकर समस्त विपक्ष ने यह मांग रखी है कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाय । यदि यह बात गलत है तो फिर आप न्यायिक जांच से भागते क्यों हैं ? यह मामल इतना संवेदनशील है, यह सरकार राम और इन्साफ की दुहाई देकर आयी है और औरतों की अस्मिता की दुहाई देकर आयी है । इसलिये इनसे यह आशा की जाती थी कि यह अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे । लेकिन इन्होंने उसे किया नही और जिस बेशर्मी से यह इस संबंध में आवाज कसी कर रहे हैं यह बहुत शर्म की बात है । मजाक करते है और पूरी इस जांच का मजाक कर रहें है ।

(विरोध पक्ष के तथा सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

(विरोध पक्ष के करीब समस्त विधायक खड़े होकर वेल आफ दी हाउस में आ गये और वहां आकर नारे लगाने से व्यवधान) [xxx]

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठें । कृपया शान्त हो जायें और आसन ग्रहण करें ।

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा वेल आफ दी हाउस से लगातार नारे लगाये जाते रहने पर)

यह सदन अव्यवस्थित है, इस तरह सदन नहीं चलेगा, अब मैं सदन को दो बजे तक के-लिये स्थगित करता हूं ।

(इसके बाद 12 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी । तदोपरान्त दो बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, यह बड़ा क्षोभ का विषय है, मान्यवर, मैं बहुत दिनों से इस सम्मानित सदन में हूं, मान्यवर मेंने इस तरह से देखा कि माननीय मंत्रीगण स्वयं राज्य मंत्री जी ग्रह ने श्री विश्वनाथ सिंह ध्रायक को और राजाराम शास्त्री जी को यह कहा कि हम देख लेंगे और निपट लेंगे, यह संसदीय परिपाटी में मान्यवर बड़ी ही खतरनाक चीज है । जिस तरह से सत्ता में बैठे हुये विधायक लोग आचरण करते हैं उत्तेजित हो जाते हैं, अगर सत्ता में आये हो तो सत्ता का मद नहीं होना चाहिये । आपको तो विनम्र होना चहिये, धैर्य से बात

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सुननी चाहिये इतना तो कम से कम आप में धैर्य होना चाहिये । मान्यवर, जिस तरह से सरकार ने आज संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया है किसी भी तरह से न्यायिक जांच कराने के लिये या सदन की कमेटी मानने के लिये इन्कार किया है, मान्यवर मैं और मेरा दल आज और कल के लिये सदन का परित्याग करता है ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

[x x x]

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी दुखद परिस्थिति है एक घटना जिसके लिये सम्पूर्ण विपक्ष मांग कर रहा है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो जाय, आज परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल ही कहा था कि आयुक्त से जांच करायेंगे, परन्तु उनकी आयुक्त से जांच किये जाने की घोषणा करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश मंत्रि-परिषद की सदस्या माननीया राज्य मंत्री नियोजन ने एक बयान में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, माननीया गृह राज्य मंत्री ने भी ऐसा ही कहा है, सत्तारूढ़ दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इसे बेबुनियाद बताया है तो फिर इसके बाद कोई न्यायोचित औचित्य नहीं रह जाता है इस जांच का । अब तो मान्यवर, शक प्रतीत होता है और लगता है कि अपराधियों को बचाने के लिये यह दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, चाहते हैं कि बलात्कारियों को दण्ड न मिले, महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ होता रहे जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें कानून के हाथों से बचाया जाय ।

क्योंकि सरकार दोषी है, नहीं चाहती है कि न्यायिक जांच हो, मान्यवर, मैं इस पर भी तैयार हुआ कि किसी तरह से इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय जिसमें सत्ता रूढ़ दल के सदस्य भी हों और वह जांच कर लें या इस सदन की महिला सदस्यों की ही एक कमेटी बना दी जाय जो वहां जाकर जांच कर ले या इसे भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो मैंने आग्रह किया था कि इसी की जांच सी०बी०आई० से करा ली जाय, लेकिन सरकार को वह भी स्वीकार नहीं है । इन परिस्थितियों में, मान्यवर, यह सरकार महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने में विफल है उनकी यह रक्षा नहीं कर पा रही है और अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, यह सरकार मदांध होकर कार्य कर रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल आज और कल के लिए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव–

मान्यवर, एक प्रकरण देवरिया में महिलाओं की इज्जत के संबंध में आया और मैं यह समझता हूं सवेरे भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इतना गम्भीर मसला है, नारी की अस्मिता, पवित्रता का, इसे हमें गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए था लेकिन दुःख है कि आपने भी इसे, नियम–311 को निरस्त कर दिया, पूरी बात नहीं सुनी और जो प्रकरण सामने आया जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हमारा आचरण अच्छा हो तो मैं समझता हूं कि दूसरे पक्ष का भी वही स्वच्छ आचरण होना चाहिये । मैं स्वयं देख रहा था मुझे अच्छा नहीं लगा कि यदि एक पक्ष ताल ठोकता है तो यह स्वाभाविक है कि एक्शन का रिएक्शन होगा । यह प्रकरण बहुत ही दुखद है चाहे वह

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इस तरफ से या उस तरफ से । मान्यवर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं । लखनऊ के थाने में हुआ, देवारिया मे हुआ और बांदा में हुआ । तो यदि इसकी न्यायिक जांच हो जाती तो यह मामला इतना ज्यादा न बढ़ता ।

मान्यवर, नारायणपुर में जब ऐसा काण्ड हुआ था, तो उस समय हम शासन में थे और इस काण्ड को लेकर सरकार भंग हो गयी थी । तो यदि न्यायिक जांच हो जाती तो अच्छा होता । मान्यवर, मैंने यह भी निवेदन किया था कि यदि यह सम्भव न हो तो सदन की एक कमेटी बना दी जाये जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिलाएं उसकी सदस्य हो जायें और वह वहां पर जाकर उन महिलाओं की बात सुन लें जिनके साथ बलात्कार हुआ और वह यह कह दें कि यह काण्ड नहीं हुआ है तो हम मान जाते और अपने प्रस्ताव को वापस ले लेते । मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप लोग विद्वान हैं आप लोगों का सिद्धान्त है "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता : " लेकिन मैं समझता हूं कि आज आप सारी नारियों के स्वाभिमान उनकी अस्मिता उनकी पवित्रता की बात सुनना पसन्द नहीं करते हैं । इससे सम्पूर्ण विपक्ष दुखी है । मैं और मेरा दल कल तक के लिये, क्योंकि आपने भी सुनवायी नहीं की और जांच की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कैलाश नाथ सिंह यादव अपने जनता दल (अ) के सभी सदस्यों सहित नारे लगाते हुए [xxx] सदन त्याग कर चले गये ।)

* श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कल से देवरिया काण्ड के इस गम्भीर प्रकरण पर सदन चिन्तित है और सम्पूर्ण पक्ष ने मिलकर जोर देकर मांग की कि इस सम्पूर्ण प्रकरण की न्यायिक जांच करायी जाये । मान्यवर, लोकतंत्र में विपक्ष को जांच की मांग करने का अधिकार है और इस प्रकार की जांचें हुआ भी करती हैं । आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं सदन में और आप जानते भी हैं कि कई बार इस तरह के अवसर आये हैं जब इस प्रकार की जांच स्वीकार हुई हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकरण पर कमिश्नर से जांच कराया जाना स्वीकार किया है । आप अवगत ही हैं कि जब माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने घोषणा कर दी कि बलात्कार का यह मामला बिल्कुल झूठा है तो राज्य सरकार का साधारण सा अधिकारी इस जांच को निष्पक्ष रूप से कैसे कर पायेगा ? इससे सम्पूर्ण विपक्ष क्षुब्ध है ।.....

(व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम–

बाहर आकर लड़ लो ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, किशोरी जी कह रहे हैं कि बाहर लड़ने चलो । मान्यवर, इसे आप संज्ञान में लें । यह फिर कह रहे हैं कि बाहर चलो । आप अवगत ही हैं कि विधान सभा का मन्च न तो लड़ने के लिये है

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशनुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और न ही यह कुश्ती का मैदान है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जो इस तरह के विधायक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का अध्ययन करें और कभी-कभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भी बैठ जाया करें उनसे कुछ सीख लिया करें । .....

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सरकार को एक दिन का आत्मचिन्तन का अवसर देना चाहता हूं और इसलिये मैं और मेरा दल आज की शेष कार्यवाही में और कल सदन से बाहर रहेगा क्योंकि सरकार ने लोकतंत्र की परम्पराओं को तोड़ दिया है उन्होंने न्यायिक जांच की बात को अस्वीकार कर दिया है और मेरा दल आज और कल सदन से बाहर रहेगा ।

(हृदय नारायण दीक्षित अपने दल के सदस्यों सहित यह नारा लगाते हुए [xxx] सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री राम लखन वर्मा–

आज इस पवित्र सदन में जो कुछ हुआ, वह बहुत अशोभनीय है, इसलिये मैं और मेरा दल बहुतचिन्तित है । श्रीमन् मामले को सरकार द्वारा घुमा फिराकर पेश करने, विपक्ष के लोगों मे रोष पैदा करने का काम अच्छा नहीं था । श्रीमन् विपक्ष की केवल एक ही मांग थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए इसमे मेरी समझ में सत्ता पक्ष को कोई दिक्कत होनी चाहिये ।श्रीमन् सदन व्यवस्थित चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान सत्ता पक्ष के लोगों का होना चाहिये । यह मैं भी मानता हूं कि उसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिये, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है । श्रीमन् जो कुछ महिलाओं के साथ हुआ, वह सारा प्रकरण आपके सामने और सदन के सापने आ चुका है, इसमें अब कोई नयी बात नहीं है, लेकिन इसी तरह की एक और सूचना नियम–311 में मैंने दी थी, मुख्य मंत्री के गृह जनपद अलीगढ़ में बाल्मीकि परिवार की एक बारात को इसलिये वापस कर दिया गया, क्योंकि दूल्हा घोड़े पर बैठा था । श्रीमन् यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल सदन में नहीं उठ सका, यह दुर्भाग्य है । श्रीमन् चूंकि सरकार जानबूझकर सदन को गुमराह कर रही है और सही बात नहीं कह रही है, इसलिये मैं और मेरा दल बहुजन समाज पार्टी आज और कल तक के लिये सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री राम लखन वर्मा अपने दल के सभी सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये) [x x x]

*श्री ऊदल–

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है, सन् 57 से मैं इस माननीय सदन का सदस्य हूं और आज की घटना को देखकर मुझे बहुत चिन्ता हुयी है । माननीय किशोरी जी ने अभी-अभी आपके सामने कहा और उन्हीं की बात पर कुछ माननीय सदस्य इधर भी उत्तेजित हुए, जिससे दोनों ओर वाकयुद्ध और फिर कुछ और हुआ, लोग वहां भी चले गये । जिस तरह से यह घटना हुई, यह शोभनीय नहीं है और इस माननीय सदन की मान मर्यादा के विपरीत है । मैंने कहा था कि यह सदन शान्ति से चले और प्रश्न प्रहर भी निपट जाता, लेकिन मेरी बात भी अनसुनी कर दी गयी । मान्यवर, जहां तक नारियों की रक्षा और

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सम्मान का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में आज से नहीं आदिकाल से, बल्कि परतंत्रता में भी नारियों के सम्मान की रक्षा की गयी है । देवरिया काण्ड के संबंध में न्यायिक जांच कराने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये ।

मुझे बड़ा खेद है कि इस पर पहले ही मुख्य मंत्री जी का जवाब आ गया है । श्रीमन् पुलिस क्या कर रही है, यह देख लें, एक आदमी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा और उसको हवालात में बन्द कर दिया । हमारे वाराणसी के डी० आई० जी० मिश्रा जी ने जांच किया और यह पाया कि बिना मुकदमा लिखे उसको हवालात में बन्द कर दिया गया है । उन्होंने एस० ओ० के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी, एस० एस० पी० को आदेश दे दिया । आज उत्तर दिया जा रहा है कि उनके निलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर यही होने लगेगा कि चाहे जिस नागरिक को आपकी पुलिस बिना मुकदमा लिखे जेल में डाल दे और आपका आई० जी०, डी० आई० जी० रिपोर्ट लिखकर आदेश दे । मैं पूछता हूं कि शासन की कोई जिम्मेदारी है, शासन की कोई नैतिकता है ? श्रीमन् इसलिये मैं और मेरा दल, नारियों के सम्मान, उनके हितों की रक्षा, सरकार द्वारा किये गये आचरण और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आये बयानों के विरोध में आज और कल तक के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री ऊदल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, पथरदेवा काण्ड पर कल से प्रश्न इस माननीय सदन में उठ रहे हैं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वह लोकतांत्रिक परम्पराओं के प्रतिकूल है । मान्यवर, यह सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिये है । नीतियों पर चर्चा करने का यह स्थल है, जनहित के कार्यो पर बहस करने का यह स्थल है और प्रदेश को विकास के पथ पर कैसे अग्रसर किया जाय, इस पर चर्चा करने का यह स्थल है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आज का विपक्ष मुद्दों के मामले में कंगाल हो चुका है । आज उनके पास मुद्दे नहीं है । मुद्दों का दिवालियापन है । जिस कारण आज वह लोकतंत्र की सेवा नहीं कर पा रहे हैं । अच्छा रहता कि विपक्ष के माननीय नेता और माननीय सदस्य जन जीवन से जुड़े हुए सवाल व मुद्दों पर विचार करें, शासन के पक्ष को सुनें, अपने सुझाव दें और उससे जनहित के कुछ निष्कर्ष निकालें । खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज विपक्ष मुद्दाविहीन हो गया है । इसलिये गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर इस सदन की कार्यवाही मे व्यवधान पैदा किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ जनता की गाढ़ी कमाई के साथ विपक्ष की ओर से खिलवाड़ किया जा रहा है । सदन की कार्यवाही के ऊपर लाखों-करोड़ों रुपये का व्यय हो रहा है परन्तु यहां पर जनता से जुड़े सवालों को नहीं उठाकर, गैर मुद्दों को मुद्दा बनाकर, समय का अपव्यय किया जा रहा है, जो उचित नहीं है ।

मै पथरदेवा काण्ड के बारे में कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं । इसलिये कि उस पर कमिश्नर के जांच के आदेश दे दिये गये हैं । वह जांच निष्पक्षता से हो, ईमानदारी से हो, इसलिये उसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं । केवल राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर उस कथित काण्ड के बारे में ऐसी-ऐसी बातें कहीं गयी हैं, जो कदाचित किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं कहनी चाहिये । जहां तक न्यायिक जांच कराने का प्रश्न है, यह सरकार निष्पक्ष जांच की सदैव पक्षधर रही है । हम कभी भी इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते कि कोई न्यायिक जांच की मांग करे तब हम न्यायिक जांच करायें । श्रीमन्, अनेक ऐसे मामले आये हैं, जिसमें सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं । बनारस मे दंगा हुआ । हमने इस बात का इंतजार नहीं किया कि कोई सदस्य न्यायिक जांच की मांग करें । हमने पहले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही उस पर न्यायिक जांच कराने के आदेश दे दिये । पीलीभीत काण्ड के बारे में महसूस किया न्यायिक जांच की ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाय हमने किसी के कहने का इन्तजार नहीं किया कि न्यायिक जांच की मांग आयेगी तब हम न्यायिक जांच करायेंगे हमने बिना इन्तजार किये न्यायिक जांच कराई ।

हापुड़ के अन्दर जो पिछले दिनों घटना घटित हुई, हिंसात्मक घटना घटी हमनें किसी का इन्तजार किये बिना कि कोई नेता आयेगा और विपक्ष के लोग कहेंगे तब न्यायिक जांच करायेंगे, हमने पहले ही न्यायिक जांच आवश्यक समझी मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिये आदेश कर दिये । यही बातें सरकार की नियत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं । इस पथरदेवा के मामले में भी हमने एक उच्च पदस्थ अधिकारी के द्वारा जो आयुक्त के स्तर का है उससे जांच कराने के आदेश कर दिये, कल मैंने घोषणा की थी । अब जांच अधिकारी की नियत पर अकारण संदेह करना उचित नहीं है । मैं पुनः आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी, तथ्य सामने आयेंगे । अगर कोई दोषी पाया जाता है जांच निष्कर्षों के आधार पर अवश्य कार्यवाही होगी । लेकिन जांच के निष्कर्ष उनके हिसाब से आये तभी निष्पक्ष जांच होगी यह मान्यता न्याय की प्रक्रिया के सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध होगी । जो कुछ उनको कहना है जांच के समय लिखित में कहना हो तो लिखित कह सकते हैं और मौखिक कहना हो तो मौखिक भी आयुक्त की जांच के समय पूरा-पूरा अवसर कहने का दिया जायेगा ।

अभी एक माननीय सदस्य मेरे जनपद की चर्चा कर रहे थे कि मेरे जनपद में अनुसूचित जाति की किसी बरात को नहीं निकलने दिया, दूल्हे को घोड़े पर सवार होकर या जो भी साधन हो से नहीं जाने दिया । मैंने उसकी जानकारी की इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई, यह आरोप निराधार है ।

श्रीमन्, एक बात कह कर अपनी बात को विराम देने जा रहा हूं . यह सरकार महिलाओं के सम्मान की हर कीमत पर रक्षा करेगी हम उस पुरानी संस्कृति के पुजारी हैं– "यत्र नारियस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" विपक्ष के लोग नारी के सम्मान की बात उठाकर केवल राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात करते हैं हमारे अंतःकरण में उनके प्रति अपार श्रद्धा भी है और सम्मान भी है उनके सम्मान में कोई चोट नहीं आने देंगे । इसी तरह के निर्बल वर्ग के लोगों, दलित बंधुओं के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा । उनको भी समाज में समाजिक समानता, न्याय और बराबरी का दर्जा मिले यह हमारी सरकार का संकल्प है । जो विकृतियां उनको दूर करने पर वर्तमान सरकार पूरी शक्ति से लगी है। मैं इन शब्दों के साथ एक बार पुनः कहूंगा कि समूचा विपक्ष अच्छा होता अपनी बात कह कर हमारी बात भी सुनता, हमारी बात सुनकर जाता । लेकिन आज तो एक आदत बन गयी है विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है लेकिन उसका उत्तर सुनने की उसमें क्षमता नहीं रह गयी है । लोकतंत्र का तकाजा है अपनी बात भी कहो और जब दूसरा उसका उत्तर देने को खड़ा हुआ हो तो उसको भी सुनो । जनता के सामने दोनों की बातें जानी चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि जो कहूं वह आप कहें । आप अपने मन की बात कहें लेकिन शालीनता के साथ कहें । आलोचना करें लेकिन उत्तर सुनने की भी क्षमता रखें वरना एक पक्ष जनता के सामने जायेगा और दूसरा पक्ष नहीं जायेगा, श्रीमन्, इस प्रकरण में इतना ही कहना है । मैं चाहूंगा कि विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को ढूंढे और कुछ अध्ययन करे और इस सदन के अन्दर उच्च स्तर की चर्चा का वातावरण स्थापित करें क्योंकि उसी से इस प्रदेश की जनता का भला होगा ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत पहली सूचना देवरिया जनपद के पथरदेवा ग्राम के संबंध में थी जिसे सदन की कार्यवाही स्थगित होने के पूर्व ही निरस्त कर दिया था, इसलिये अब अन्य व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है ।

दुधवा नेशनल पार्क के पेड़ों को अवैध रूप से काट कर बेचे जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की दुधवा नेशनल पार्क के पेड़ों के अवैध रूप से काटकर बेचे जाने के संबंध में है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मा० अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय से हटकर कुछ कहना है । मुझे इस बात से खेद हुआ कि, जहां समस्त विपक्ष के नेताओं की राय आप जान रहे थे, निर्दलीय सदस्य के किसी सदस्य की राय आपने जानने का प्रयास नहीं किया लेकिन कोई बात नहीं परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल सत्य है कि यहां सदन में इस प्रकार की घटना होना शोभाजनक नहीं था । लेकिन लोकतंत्र में सदन का परित्याग करके किसी की बात को न सुनना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से भिन्न है । मैं इस संबंध में यह जरूर कहना चाहता हूं कि चूंकि लक्ष्य समस्या के समाधान को न रखकर लक्ष्य यह रखते हैं कि राजनैतिक पार्टी का नाम या अमुक व्यक्ति का नाम रेडियो या अखबार में कैसे आ जाये, सिर्फ यह लक्ष्य मानकर इस सदन का वह पार्टियां बहिष्कार करती हैं, मैं इस सत्यता को स्वीकार करता हूं ।

मान्यवर, नियम 311 में आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद ।

श्रीमन्, मेरे निर्वाचन क्षेत्र निघासन, जो खीरी में है, वहां राष्ट्रीय धरोहर के नाम से विख्यात दुधवा नेशनल पार्क स्थित है । दुधवा नेशनल पार्क को वहां के निवासियों ने 20 सालों से अपने बच्चों की तरह सुरक्षित रखकर पाला है और जब वह बड़ा हुआ तो नेशनल पार्क के नाम से कानून के शिकंजे में उसे लाया गया और वहां बड़े-बड़े अधिकारी और कर्मचारी रखे गये । वहां की आज यह स्थिति है कि 15 दिनों से पार्क के बिलरायां रेंज में लदौरिया नं० 4, 12 और 7 में दुधवा नेशनल पार्क के अधिकारी व कर्मचारी 6 फीट मोटाई तक के हरे पेड़ जो साल के हैं लगभग 125 पेड़ कटवाकर वहां पास की आरा मशीन पर ट्रक व बैलगाड़ी से रात मे ले जाते हैं जिसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वहां के अधिकारी व कर्मचारी यह काम होली का खर्च निकालने के लिये कर रहे हैं ।

मान्यवर, इस प्रकार की मैंने पहले भी शिकायतें की हैं लेकिन इस विभाग ने उनको बचाने के लिये कोई कार्यवही नहीं किया है । श्री हरिश्चन्द्र निवासी बेलरायां जिनके घर पर आरा मशीन लगी है वन विभाग के अधिकारी उनके द्वारा पार्क की साल की लकड़ी की बिक्री कर रहे हैं । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसकी तुरन्त जांच करायी जाये तो पेड़ों की मुद्दियां ताजी मिलेंगी । यह मुद्दी पेड़ों की कटवाकर दुधवा नेशनल पार्क के बीच में जहां नाले, नदी गड्ढे हैं उनकी मिट्टी खुदवाकर पटवा देते हैं जिससे उनका नाम-निशान मिट सके । श्रीमन्, मेरी आपसे यह गुजारिश है कि दुधवा नेशनल पार्क के लोग जो पड़ोस में रहते हैं तेज हवा के समय आग लगने से जिनके घास-फूस के छप्पर जल जाते हैं उन्हें फिर से घर बनाने के लिये बल्ली, थान, कुछ नहीं मिल पाता है । यह पिछली सरकार ने जो वहां पर रक्षक रखे हैं श्रीमन्, यह रक्षक भक्षक बन गये हैं श्रीमन्, इस प्रकार से यह सामाजिक वानिकी और

प्रदूषण से मुक्ति के लिये जो वनों की रक्षा की जाती है । मैं इस मामले में श्रीमन्, आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि वहां के रक्षक जो भक्षक बन गये हैं । इस मामले की जांच की जाये । श्रीमन्, मैं आज कह रहा हूं जब तक यह हाउस चलेगा एक शब्द भी गलत नहीं निकालूंगा । अगर गलत शब्द निकल जाय तो जो सजा आप देना चाहें दे दें ।

श्रीमन्, इस प्रकार की जांच किसी तरह के अधिकारी, कर्मचारी को न सौंपी जाय । हाउस के सदस्यों की एक समिति बना लें और गलत निकल जाय तो श्रीमन, मैं माफी मांग लूंगा और अपने सदस्य पद से त्याग-पत्र दे दूंगा । श्रीमन्, यह रक्षक भक्षक बन गये हैं और वहां की भोली-भाली जनता को चोर बनाने लगते हैं । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह स्वंय बहुत योग्य व्यक्ति हैं और उनकी काम करने की इच्छा है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह जांच अवश्य ही करवा दें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय सदस्य, गोरखपुर ने अपनी बात पर बल देते हुए जो कहा है वह बिल्कुल सही है । मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि श्री मुन्ना जी को मैं कई वर्षो से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । उनकी कर्मठता के बारे में कदाचित् संदेह नहीं है । इन्होंने जो बात कही है उसे मैं दोहराना नहीं चाहता और आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने जो कहा है उसकी जांच कराई जायेगी । मुख्यालय से किसी वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेजकर स्थिति की जानकारी करा कर निश्चित रूप से इस ओर कार्यवाही की जायेगी और राष्ट्रीय सम्पत्ति की जो क्षति हो रही है इसके लिये जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि नियम–311 में सदन की कार्यवाही न रोक कर मैं निर्वेन्द्र कुमार जी को आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी ।

सदस्यों द्वारा नियम 311 तथा 300 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री निर्वेन्द्र कुमार तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं माननीय श्री निर्वेन्द्र कुमार की नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को निरस्त करता हूं क्योंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर कार्यवाही कराने का आश्वासन दे दिया है । श्री इम्तियाज अहमद, श्री लालजी वर्मा, श्री ऊदल, श्री दीना नाथ, श्री भारत सिंह रावत, श्री अकबर हुसैन, श्री मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री मोहम्मद हसन, श्री इसहाक महमूद, श्री बाबूराम यादव, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री श्रीराम; श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, इन माननीय सदस्यों ने भी अलग-अलग विषय पर नियम–311 के अन्तर्गत अपनी सूचनाएं दी हैं परन्तु अपनी सूचनाओं के समर्थन में वे उपस्थित नहीं हैं । अतः इन सभी सूचनाओं को मैं निरस्त कर रहा हूं । नियम–300 के अन्तर्गत कुंवर रेवती रमण सिंह की एक सूचना प्राप्त हुई है परन्तु वह उपस्थित नहीं हैं और उनकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः उसे अस्वीकार कर रहा हूं । श्री प्रमोद तिवारी की सूचना अस्पष्ट है और वह अनुपस्थित भी हैं इसलिये उनकी सूचना अस्वीकार की जाती है । श्री नरेश अग्रवाल श्री विजय सिंह राणा उपस्थित नहीं हैं । उनकी सूचना भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अस्वीकार की जाती है । श्री स्वामी नाथ यादव की सूचना का अवलोकन किया वह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये अस्वीकार की जाती है । माननीय श्याम नारायण तिवारी और माननीय रिजवानुलहक की सूचनाओं का मैंने अवलोकन किया वह अनुपस्थित हैं । नियम–300 के अन्तर्गत उनकी सूचनायें नहीं आती हैं । श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद इनकी सूचनायें नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं । यह अस्वीकृत की जाती हैं । श्री राम लखन वर्मा और श्री बरखूराम वर्मा की सूचना नियम–300 की परिधि में नहीं आती हैं । माननीय हृदय नारायण, माननीय अरविन्द प्रताप सिंह, माननीय रामेश्वर दयाल बाल्मीकि ने उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स ऐक्ट के संबंध में सूचना दी है । इसको मैं स्थगित कर रहा हूं । इसमें निवेदन हुआ है कि इसको स्थगित कर दिया जाए ।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है इसमें शासन का पक्ष रख दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसको मैंने स्थगित कर दिया है । श्री लालजी वर्मा अनुपस्थित हैं उनकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती उसे अस्वीकार कर रहा हूं । श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की सूचना नियम–300 में नहीं आती है, यह अस्वीकार हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 9 मार्च, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 10 मार्च, 1992 से 5 मई, 1992 तक के तिथिवार अनुमोदित कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मार्च, 1992</u>

10 मंगलवार	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–
	(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992. जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ .... आधा घंटा ।
	(2) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992 ..... आधा घंटा ।
	(3) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (कराधान) (संशोधन) विधेयक, 1992 .....आधा घंटा ।
11 बुधवार	असरकारी दिवस (संकल्प)
12 गुरुवार	1–विधायी कार्य ।
	2–5-00 बजे अपराह्न
	(1) वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 1992-93 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

13 शुक्रवार से 22 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
26 गुरुवार	(शीतला अष्टमी का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
27 शुक्रवार 28 शनिवार 29 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
30 सोमवार 31 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
<u>अप्रैल, 1992</u>	
1 बुधवार 2 गुरुवार 3 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
4 शनिवार 5 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
6 सोमवार 7 मंगलवार 8 बुधवार 9 गुरुवार 10 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

विधान सभा सचिवालय

11 शनिवार	
12 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
13 सोमवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
14 मंगलवार	(डा० अम्बेदकर का जन्म दिवस का अवकाश)
15 बुधवार	
16 गुरुवार	(महावीर जयन्ती का अवकाश)
17 शुक्रवार	(गुड फ्राइडे का अवकाश)
18 शनिवार	
19 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
20 सोमवार	
21 मंगलवार	
22 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 गुरुवार	
24 शुक्रवार	
25 शनिवार	
26 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
27 सोमवार	
28 मंगलवार	
29 बुधवार	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
30 गुरुवार	

<u>मई, 1992</u>

1 शुक्रवार	1_ वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2_4-00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2 शनिवार
3 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

4 सोमवार
5 मंगलवार — असरकारी दिवस ।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष के द्वारा दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6 में कुछ नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10-3-1992 को नियम–56 के अंतर्गत कुल 15 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से निदेश संख्या–15 के अनुसार निम्नलिखित 9 सूचनाएं चयनित की गयी हैं :–

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री बी० आर० वर्मा, श्री अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री विजय सिंह राणा, श्री राम ललित चौधरी, श्री हृदय नारायण, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री अरविंद प्रताप सिंह, श्री श्याम लाल रावत की प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायालयों में कार्य बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । माननीय सदस्यगण अनुपस्थित हैं । मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं । यदि वह चाहें तो इस विषय पर दोबारा सूचना दे सकते हैं ।

अन्य सूचनायें श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री लीलाराम शर्मा, श्री गिरधारी लाल, श्री गामाराम शास्त्री, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री विजय सिंह राणा, श्री विजय पाल सिंह, श्री राम औतार शाक्य, श्री दुलारे लाल व श्री महेन्द्र सिंह भाटी की है । यह माननीय सदस्य अपनी-अपनी सूचनाओं पर बल देने के लिये उपस्थित नहीं हैं । मैं इनकी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूं । निम्नलिखित माननीय सदस्यों श्री विक्रमादित्य मौर्य, श्री मो० रिजवानुल हक, श्री राम लखन वर्मा, श्री हृदय नारायण की सूचनायें नियम–56 के अन्तर्गत चयनित नहीं की गयी अतः अस्वीकार की गयीं हैं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री श्याम नारायण तिवारी उपस्थित नहीं हैं ।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इसके समर्थन में कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह लोक सेवा अधिकरण जो अब तक कार्य कर रहे थे, उनसे जो अपेक्षायें थीं वह पूरी नहीं हो रहीं थीं । लोक सेवकों के अनेक विवाद, दिनों दिन अधिक संख्या में लम्बित होते जा रहे थे । जिस त्वरित गति से इनके निस्तारण की अपेक्षा थी वह नहीं हो रही थी । कुछ कमियां इसमें महसूस की गयीं जिनको दूर करने के लिये यह लोक सेवा अधिकरण, संशोधन विधेयक लाया गया है । इस अधिकरण को प्रभावी बनाने के लिये, इसकी कार्य पद्धति को प्रभावी बनाने के लिये यह विधेयक लाया गया है । लोक सेवक अपने विवादों के संबंध में जो कठिनायी महसूस करते थे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने, कम वेतन भोगी होने के कारण वे लखनऊ नहीं आ सकते थे इसलिये इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि अध्यक्ष जहां भी आवश्यक समझें, अधिकरण की पीठ की बैठक कर सकते हैं । उसके लिये कोई निश्चित स्थान, मंडल स्तर, जिला स्तर की बाध्यता नहीं है, अगर वह आवश्यक समझें तो लोक सेवकों के हित में बैठक तहसील स्तर तक करने का निर्णय ले सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है । इसके साथ ही साथ शासन को भी यह अधिकार है कि वह निश्चित स्थान पर बैठक करने के लिये आग्रह कर सकता है ।

दूसरी तरफ मान्यवर, अधिकरण में जो अधिकारी थे, उनमें सेवाओं के कारण कुछ असंतोष था जिसके कारण कार्यों का निष्पादन तेज गति से नहीं होता था । इसलिये व्यवस्था की गयी है कि इसके चेयर मैन तथा वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर हाई कोर्ट के जज या भारत सरकार के सचिव स्तर का व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता है । सदस्य के रूप में डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का या प्रदेश के सचिव स्तर का व्यक्ति या मंडलायुक्त स्तर का व्यक्ति ही सदस्य हो सकता है । उनकी सेवायें अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु तक जारी रह सकती हैं । यह अपने निर्णय को स्वयं एक्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने अवमानना के केसेज को स्वयं देख सकते हैं । तो मान्यवर, तमाम ऐसी व्यवस्थायें की गयीं हैं जिनसे लोक सेवकों को सुविधा होगी और जो इसके सदस्य हैं उनमें आत्म-विश्वास होगा ।

त्वरित गति से पूरे अधिकार के साथ वे अपने मामलों को निस्तारित कर सकेंगे । इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लागू करने के लिये और लोक सेवकों का विवाद त्वरित गति से निस्तारित करने के उद्देश्य से हम यह विधेयक लाए हैं मुझे विश्वास है कि यह सदन इस पर अपना अभिमत देकर इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री स्वामी नाथ यादव तथा श्री सुरेश प्रताप गांधी अपने संशोधन पर बल देने के लिये उपस्थित नहीं हैं । यदि अन्य कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें तो कर सकते हैं ।

(किसी भी माननीय सदस्य के खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 13 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :– — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में, शब्द ''अधिकरणों का संगठन'' के स्थान पर शब्द ''एक अधिकरण का गठन'' रख दिये जायेंगे । — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में कोष्ठक और शब्द ''(अधिकरण)'' के स्थान पर शब्द ''अधिकरण'' रख दिया जायेगा । — धारा 1 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 2 में, –– — धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्––

''(क-1) ''न्यायपीठ'' का तात्पर्य अधिकरण की न्यायपीठ से है,

(क-2) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है,

(क-3) ''जिला न्यायाधीश'' का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थ में जिला न्यायाधीश से है ;

(क-4) "सदस्य" का तात्पर्य अधिकरण के न्यायिक या प्रशासकीय सदस्य से और इसके अन्तर्गत अधिकरण का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं ;"

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्;

(ग) "अधिकरण" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित अधिकरण से है;

(घ) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य अधिकरण के उपाद्दयक्ष है ।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

अधिकरण का अधिनियम गठन

"3–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, एक अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे राज्य लोक सेवा अधिकरण कहा जायेगा ।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और न्यायिक और प्रशासकीय श्रेणी के कम से कम पांच-पांच अन्य सदस्य उतनी संख्या में होंगे, जितनी राज्य सरकार अवधारित करे ।

(3) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि––

(क) वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक उपाध्यक्ष का पद धारण न किया हो, या

(ग) वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक ऐसा सदस्य न रहा हो जिसने भारत सरकार के सचिव या उसके समकक्ष केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण किया हो और जिसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो ।

(4) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि ––

(क) उसने कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो, या

(ख) उसने कम से कम दो वर्ष तक न्यायिक या प्रशासकीय सदस्य का पद धारण न किया हो, या

(ग) वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न रहा हो जिसने भारत सरकार के अपर सचिव या उसके समकक्ष केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण किया हो और जिसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो ।

(5) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण न किया हो ।

(6)कोई व्यक्ति प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसने किसी मण्डल के आयुक्त या भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद धारण न किया हो या धारण करने के लिये अर्ह न हो और उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो ।

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे :

परन्तु कोई व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण नहीं करेगा जब तक कि उसने यथास्थिति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से, या भारतीय प्रशासनिक सेवा से या उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप मे सेवा से भिन्न किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्यागपत्र न दे दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो ।

(8) अध्यक्ष; उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह पांच वर्ष की एक और अवधि के लिये पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु--

(क) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष और

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य इस रूप में पदधारण नहीं करेगा ।

(9) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित स्व-हस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकता है ;

परन्तु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य जब तक उन्हें राज्यपाल द्वारा पहले ही पद छोड़ने की अनुज्ञा नहीं दी जाती, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद संभालने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, इनमें जो भी सबसे पहले हो, अपना पद धारण करता रहेगा ।

(10) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, विहित रीति से की गई ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा दिये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाया नहीं जायेगा ।

(11) पद पर न रह जाने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार के या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीयता अन्य प्राधिकारी के या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिये पात्र नहीं होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा और कोई सदस्य उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

(12) पद पर न रह जाने पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा और न अभिवचन करेगा ।

(13) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें ।

(14) जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति या अस्वस्थ्यता या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, या जहां अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा रिक्त हो जाय वहां उपाध्यक्ष, और जहां उपाध्यक्ष उसी तरह अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो वहां ऐसा अन्य सदस्य जैसा राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों को पुनः संभालने, या यथास्थिति इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त अध्यक्ष के अपने पद का भार संभालने तक, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा ।

अधिकरण के कर्मचारी

3 क–(1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में, सहायता करने के लिये, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण के लिये ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जैसा वह उचित समझे ।

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे ।

(3) अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियो और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और उनकी सेवा की शर्तें ऐसी होगी जैसी विहित की जाये ।''

धारा 4 का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 4 में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्––

"परन्तु यह भी कि जहां दावेदार द्वारा प्रस्तुत की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन के संबंध में सक्षम

प्राधिकारी, अर्थात् राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम अन्य व्यक्ति, द्वारा अपील प्रस्तुत करने या अभ्यावेदन देने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर कोई अन्तिम आदेश न दिया गया हो, वहां दावेदार लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि सूचना की तामील के एक मास के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायेगा कि दावेदार अपने सभी विभागीय उपचारों का आश्रय ले चुका है।"

धारा 4-क का प्रतिस्थापन

7-मूल अधिनियम की धारा 4-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

"4-क-(1)अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों के, जैसे उसके द्वारा विनिर्दिष्ट निर्देश किये जायें, निस्तारण के लिये समय-समय पर न्यायपीठों का गठन कर सकता है जिसमें एक सदस्य या दो सदस्य होंगे ।

(2) अध्यक्ष के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी एक न्यायपीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम-निर्दिष्ट करे।

(3) दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासकीय सदस्य होगा।

स्पष्टीकरण:-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये कोई अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश रह चुका हो या कोई उपाध्यक्ष जो जिला न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायिक सदस्य समझा जायेगा और कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रह चुका हो, प्रशासकीय सदस्य समझा जायेगा।

(4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग ऐसी किसी न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है और ऐसी किसी न्यायपीठ द्वारा ऐसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार का प्रयोग करके किये गये किसी कार्य को अधिकरण द्वारा कृत कार्य समझा जायेगा ।

(5) (क) दावे के किसी निर्देश की जिसमें सेवा से पदच्युत या हटाये जाने या पंक्तिच्युत किये जाने के किसी आदेश की (जो अस्थाई सेवा की समाप्ति के लिये आदेश न हो) विधि मान्यता अन्तर्ग्रस्त हो, सुनवाई और उसका अन्तिम विनिश्चय दो सदस्यों से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जायेगा:

परन्तु एक सदस्य द्वारा गुणावगुण के आधार पर किसी मामले में अन्तिम रूप से निस्तारण के आदेश से भिन्न कोई आदेश पारित किया जा सकता है, साक्ष्य लिया जा सकता है और कार्यवाही को (मामले के अन्तिम निस्तारण के लिये मौखिक तर्क की सुनवाई को छोड़कर) संचालित किया जा सकता है।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दावे के निर्देश से भिन्न दावे के निर्देश की सुनवाई और उसका अन्तिम रूप से विनिश्चय एक सदस्य से गठित न्यायपीठ द्वारा किया जा सकता है ।

(ग) अध्यक्ष, यदि वह ऐसा करना उचित समझे, किसी मामले का अन्तरण एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को कर सकता है ।

(६) जहां दो सदस्यों से गठित किसी न्यायपीठ के सदस्य किसी मामले में सहमत न हों तो मामला अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी अन्य सदस्य को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे अन्य सदस्य का विनिश्चय अन्तिम और प्रभावी होगा ।

(७) इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन के लिये अधिकरण, उसकी न्यायपीठ और सदस्यों की बैठक लखनऊ में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, होगी ।''

धारा ५ का संशोधन

८–मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(७) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले, अधिकरण के आदेश का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से निर्देश से संगत, दावेदार के सेवायोजन के किसी मामले में उसके द्वारा प्रस्तुत किसी अपील या अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से संबंधित सुसंगत सेवा नियमों के अधीन ऐसा आदेश देने के लिए अक्षम, राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति के ऐसे अन्तिम आदेश का निष्पादन किया जाता ।''

नई धारा 5–क को बढ़ाया जाना

9–मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''5–क न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971के अधीन उच्च न्यायालय की,उसके अवमान के लिये अधिकारिता, शास्ति की शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के संबंध में, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिकरण को अपने अवमान के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जो कि उच्च न्यायालय को अपने अवमान के संबंध में हैं और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है, और इस प्रयोजन के लिये न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन लागू होंगे, अर्थात्:–

(क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश समझा जायेगा ;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को ऐसे विधि अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रति निर्देश समझा जायेगा ;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 19 में,--

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख जी जायेगी ; अर्थात्:-

'(1) अवमान के लिये शास्ति देने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या विनिश्चिय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में साधिकार अपील होगी ।';

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

'(4) उपधारा (1) के अधीन अपील उस आदेश के दिनांक से जिसके विरुद्ध अपील की जाय, साठ दिन के भीतर की जायगी ।'

धारा 6 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, शब्द "ऐसे अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे, जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें" के स्थान पर "अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे", रख दिये जायेंगे और उपधारा (3) में शब्द "ऐसे अधिकरण को सम्बोधित होगा जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें" के स्थान पर शब्द "अधिकरण को सम्बोधित होगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों मे निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया ;

(ख) न्यायापीठों का गठन और उनके बीच कार्य का वितरण ;

(ग) अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के संबंध में दी जाने वाली फीस और उसका भुगतान करने की रीति ;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासकीय शक्तियां ;

(च) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम में अपर्याप्त उपबन्ध हैं और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध बनाना आवश्यक या समाचीन समझे ।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे नियम या उनमें से कोई नियम ऐसे दिनांक से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1992के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, बनाने की शक्ति भी है, किन्तु कोई ऐसा भूतलक्षी प्रभाव किसी ऐसे नियम को नहीं दिया जायेगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिस पर ऐसे नियम प्रयोज्य हो, हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

12--(1) मूल अधिनियम की धारा 3 के, जैसी वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन गठित किसी अधिकरण के (जिसे आगे पुराना अधिकरण कहा गया है) समक्ष विचाराधीन दावों के निर्देश, आवेदन-पत्र या अन्य आनुषंगिक या सहायक कार्यवाहियां, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा-3 के अधीन अधिकरण के गठन पर ऐसे नव गठित अधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे जो तत्पश्चात् ऐसे मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चिय उसी रीति से करेगा मानो वे, यथास्थिति, मूल अधिनियम की धारा 4 के अधीन उसे निर्दिष्ट किये गये हों, या वे ऐसे दावो से उत्पन्न मामले हों ।

स्पष्टीकरण--ऐसे नवगठित अधिकरण के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ करे जिस प्रक्रम पर मामला इस प्रकार अन्तरित किया गया था और ऐसे अन्तरण के पूर्व प्रस्तुत किसी अभिवचन या पेश किये गये साक्ष्य पर कार्यवाही करे मानो वे उसके समक्ष प्रस्तुत या पेश किये गये हों ।

(2) नवगठित अधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे दावों के निर्देशों, आवेदन-पत्रों या दस्तावेजों का जो किन्हीं पुराने अधिकरणों को सम्बोधित हो, नवगठित अधिकरण द्वारा उसी प्रकार ग्रहण और निस्तारण किया जायेगा मानो वह उसी को सम्बोधित हों ।

(3) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (7) के, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन प्रमाण-पत्र के लिये समस्त आवेदन-पत्र जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो उपशमित हो जायेंगे ।

(4) किन्हीं पुराने अधिकरणों द्वारा मूल अधिनियम की, धारा 5 की उपधारा (7) के, जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, अधीन जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र इस बात के होते हुए भी कि ऐसा पुराना अधिकरण अब अस्तित्व में नहीं है, विधिमान्य और प्रवर्तनीय बना रहेगा ।

(5) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पुराने अधिकरणों के समस्त आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे मानो ऐसे आदेश नवगठित अधिकरण द्वारा पारित किये गये हों ।

निरसन और अपवाद

13--(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 42 सन् 1991

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध के सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 13 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1992, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम नारायन तिवारी, श्री खालिद गौरी, श्री राम औतार शाक्य तथा श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित नहीं हैं ।

* वित्त, संस्थागत वित्त नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, अपने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते समय मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातों की ओर इस आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । जैसा कि इस आदरणीय सदन को जानकारी है, हमारी नीति है बिक्रीकर के बारे में कि सरकार को राजस्व मिले और व्यवसायी, व्यापारियों को राहत भी मिले । राजस्व और राहत इन दोनों चीजों की पूर्ति के लिये हम अनेको ऐसी व्यवस्थायें कर रहे हैं जिससे कि लोगों को सुविधायें मिलती चली जायं । एक बिन्दु यह भी है कि सुविधाओं का लाभ उठाकर कर-अपवंचन होता है तो कार्यवाही की जाय । हमने समय-समय पर घोषणा की है कि बिक्री-कर पर बहुत सहूलियत देने पर विचार कर रहे हैं । आगे उसमें घोषणा करेंगे, लेकिन इस समय, पिछले समय में इस आदरणीय सदन की बैठकें नहीं हुई तो अध्यादेश द्वारा कुछ विनियमन किया गया था । उस अध्यादेश को विधेयक के रूप में इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं ।

मैं अपेक्षा करता हूं कि जो व्यवस्थायें प्रदान करने के बारे में, आदरणीय सदन उनको सर्वसम्मति से पारित करेगा । आपको जानकारी है कि इस समय बिक्री-कर में व्यवसाइयों के पंजीकरण की व्यवस्था है, लेकिन उसमें जो मैट्रिक सीमा है, अनेक वर्ष पहले तय की गयी थी । इसमें पहले 50 हजार और एक लाख दिया था । यह सीमा कम है । इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । हमने 50 हजार को बढ़ाकर एक लाख कर दिया और एक लाख को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार कर दिया । इससे मोटा अनुमान है कि करीब-करीब 17 फीसदी व्यापारियों को अब रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । छोटे दुकानदारों, व्यापारियों को राहत देने के लिये सरकार की ओर से यह सुविधा प्रदान की गयी है । एक दूसरा मामला है । उसमें एक कठिनाई सामने आती थी कि बिक्रीकर सेल प्वाइंट, प्रथम बिन्दु पर पड़ता है । अगले किसी रजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेचते है तो वह कहेगा कि फर्म "क" देना है जिससे कि आगे किसी व्यापारी को बेच देंगे ।तो उससे बिक्रीकर देय नही होगा, किसी को बेच देगा, तो उसको भी विक्री-कर देय नहीं होगा, आगे किसी को बेच देगा, तो उसको भी बिक्री कर देय नहीं होगा, आगे अगर बेचता है, तो उसे बिक्री-कर देना होगा । अगर किसी व्यापारी ने माल लिया, उसने ट्रान्सफर कर दिया, उसको इक्सपोर्ट कर दिया या कन्ज्यूम कर लिया, ऐसी स्थिति में हमें किसी स्तर पर

* वक्ता ने भाषण का पुनवर्वीक्षण नहीं किया ।

टैक्स नहीं मिला । आखिर हमें कहीं पर तो टैक्स मिलना चाहिये । यहां पर हमें यह देखना है कि आखिर हमें टैक्स तो मिलना चाहिये । इसलिये हम उनसे इस व्यवस्था से टैक्स वसूल सकते हैं । एक सुझाव है कि सरकारी विभागों से जब यह खरीद होती है, तो फार्म 3–डी से उनको सुविधा दी गयी है । इसके साथ-साथ वर्क कंट्रैक्ट भी होता है । इसको हमने छूट की परिधि में लिया है ।

एक सुविधा और दिया है, जब नई फैक्ट्री लगी, उसको 6 वर्ष के लिये टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन 3-4 वर्ष के बाद यह समस्या आई कि कोई आगे फैक्ट्री नहीं चला पाता है और वह फैक्ट्री बेंच देता है, तो वह टैक्स दाता का क्या होगा । इसके संबंध में हमने 25 अप्रैल, 1990 तक आवेदनपत्र की मांग की थी । निर्धारित तिथि पर कुछ लोगों ने कहा कि हम अपना आवेदनपत्र नहीं दे पाये हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाय, तो इसको 25 अप्रैल, 1990 की तिथि बढ़ा कर 31 दिसम्बर, 1991 कर दिया है, जिससे वह अपना आवेदनपत्र लायें । अभी तक यह व्यवस्था तीन लाख से छोटी इकाइयों के लिए हैं, जो यू०पी०एफ०सी० से या कामर्शियल बैंक जो रिजर्व बैंक की सूची में अंकित हैं, उनसे जिन्होंने लोन लेकर अपनी फैक्ट्री लगाई, तो उनको तो वित्त पोषण की व्यवस्था थी, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय या दूसरी राजकीय निगम जैसे पिक-अप से लोन लेंगे, तो हम यह व्यवस्था प्रदान करेंगे ।

अभी तक यह सुविधा थी कि नई इकाई हम उसको मानते हैं, चूंकि नई मशीनें लगाई गयीं । एक दिक्कत हमारे सामने आई, जैसे पिक-अप, यू०पी०एफ०सी० के द्वारा जो लोन दिया जाता है, लेकिन उसमें परिस्थिति ऐसी पैदा हो गयी कि धारा 29 की उनके खिलाफ कार्यवाही कर दी गयी । अब वह मशीनें पुरानी हो गयीं, तो उनको बिकने में दिक्कत आती थीं, तो इसमें उनको हमने सुविधा दिया है, इससे हमारे व्यापार में उन्नति मिलेगी कि इन संस्थाओं के द्वारा मशीनें खरीदी जायगी, तो उनको भी हम छूट की सुविधा प्रदान करेंगे ।

जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, साल में फिर दुबारा रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ता है वकीलों के पास जाना पड़ता है, कार्यालय में जाना पड़ता है, तो व्यापारियों की मांग थी कि अगर एक बार पंजीकरण हो गया, तो वह पंजीकरण सदा सर्वदा के लिए, जब तक उसका व्यापार है, उसके रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं होना चाहिए । अगर एक साल के पहले 500 रु० जमा कर देगा, तो उसका पंजीकरण सदा सर्वदा के लिए हो जाएगा । अगर वह व्यापार के काबिल न रह जाय, तो पंजीकरण अपने-आप नष्ट हो जाता है, या उसका एक पार्टनर का देहान्त हो जाता है या अलग हो जाता है, तो एक पार्टनर के अलग हो जाने से दुबारा पार्टनर बनाता है, तो पंजीकरण फिर कराना पड़ेगा, तो इस असुविधा को समाप्त कर दिया है । अगर कोई प्रार्थनापत्र दे देगा, तो उस नई फर्म को हम पंजीकृत मान लेंगे और दुबारा उसको रजिस्ट्रेशन नही कराना पड़ेगा । अगर किसी ने उद्योग अभी लगाया नहीं और उद्योग लगाने के इच्छुक है, प्रक्रिया में जुटा हुआ है, तो नियमानुसार उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता । तो हमने यह व्यवस्था कर दी है कि सामान्य नियमों में पंजीकरण नहीं भी होगा, लेकिन छोटे निर्माताओं के मामले में हम उसको मान लेंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से धारा 11 का संशोधन किया गया है । पहले असेसमेंट होता है और उस असेसमेंट के खिलाफ अगर कोई व्यापारी अपील करता है, तो अपील का समय 90 दिन का होता था, लेकिन जहां पर जमानत का कोई मामला होता था, तो उस स्थिति मे समय 30 दिन का ही होता था, हमने उस को संशोधित करके 90 दिन कर दिया है, पहले में 90 दिन था और दूसरे में 30 दिन था, तो हमने दूसरे वाले को भी एकरुपता लाने के लिये 90 दिन कर दिया है, जिससे छोटे उद्योग वालों को

सहूलियत मिलेगी । हमने बहुत कुछ सरलीकरण किया है । अभी तक जो माल चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता था, उसको कोई छुड़ाने नहीं आता था और वह चेक पोस्ट पर ही पड़ा रहता था, तो इसके लिये हमने यह व्यवस्था की है कि उसकी नीलामी करा दी जायेगी । इस संबंध में नीलामी की मात्र सूचना ही नहीं होगी, बल्कि जिस समय नीलामी होगी उस समय व्यापार मंडल का प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेगा, तो हम इस प्रकार का संशोधन कर रहे हैं । इससे व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा और सरकार को आमदनी भी प्राप्त होगी ।

इसी प्रकार से बहुत से पुराने मामले चले आ रहे थे और वह 31-3-1992 को टाइम बार हो रहे थे, तो इससे असुविधा होती और इसको ध्यान में रखकर इस अवधि को 31-3-1993 तक कर दिया गया है । यह भी व्यवस्था कर दी गयी है । मान्यवर, जहां तक मामलों को रि-ओपेन करने का सवाल है, अगर कोई यूनिट सिक हो गयी और उसके खिलाफ एक्स-पार्टी फैसला हो गया । तो हम उसको रि-ओपेन करने की सहूलियत दे रहे हैं । जो यूनिट सिक हो गयी, उसको भी सुविधा मिल जायेगी । इसी तरह से कुछ संशोधन किये गये हैं । वह संशोधन इस प्रकार के नहीं हैं जिससे किसी को कोई आपत्ति हो या असुविधा हो । मैं कहना चाहता हूं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और हमें राजस्व की भी प्राप्ति होगी । मेरा निवेदन है कि इसको सर्व सम्मति से पास करें ।

डा० दिनेश जौहरी–

मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई फैक्टरी नयी लगी है और वह 2-3 साल तक चलती है और उसके बाद सिक हो जाती है, वह बेच दी जाती है, तो क्या यह सुविधा उन नये लोगो को भी मिलेगी ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने अपने भाषण में यह बात स्पष्ट की थी कि अगर 6 वर्ष की सुविधा की व्यवस्था है और 4 वर्ष बाद उसको बेच दिया जाता है तो अगले को 6 साल की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि दो साल की ही सुविधा मिलेगी ।

श्री किशोरी श्याम–

जो चेक पोस्ट की बात कही है, कि जो नीलामी होगी परन्तु चेक पोस्ट पर एक लाख का माल आयेगा तो 75 हजार का पहले ही गायब हो जायेगा और केवल 25 हजार के माल की नीलामी होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह कहा था कि जब माल पकड़ा जायेगा तो अगर उसको कोई नहीं लेने आता है, ऐसी स्थिति

(समय 3 बजे)

में उसकी नीलामी की जायेगी । क्योंकि उस माल को हम कब तक रखे रहेंगे ? ऐसे दृष्टान्त आये है, हमें ऐसी सूचना मिली है कि माल निकल गया, हमने जांच कराई है, कभी-कभी आरोप निराधार पाये गये है और कभी आरोप सही पाये गये हैं । तो अगर कोई आरोप सही पाया जायेगा तो गड़बड़ी करने वाले अधिकारियो कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार कोई कुटीर उद्योग चलाता है और उसमे उसके परिवार के लोग कार्य करते है जैसे जूता कुटीर उद्योग है और अन्य कुटीर उद्योग है । वह हजार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पांच सौ का सामान लेकर आता है और सामान बनाता है और उनकी बिक्री के लिये गया तो बीच में पकड़ा जाता है । जैसे जूता कुटीर उद्योग में सप्ताह भर मेहनत मजदूरी पूरा परिवार करता है और जूता बनाता है और 50-60 जूता जब तैयार करेगा तो बाजार लेकर जायेगा और बीच में पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे लोगों को कुछ राहत दी जायेगी जिससे वह व्यक्ति अपने बालबच्चों का पालन पोषण कर सके । मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी उनको कुछ राहत दिलवायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक निश्चित सीमा तक पंजीकरण की जरुरत नहीं है । अगर कोई सामान लिये जा रहा है और नियमों के अधीन कोई पकड़ा गया है तो कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, व्यापारी दो तरह के हैं एक पंजीकृत और दूसरे गैर पंजीकृत । हमने नियम बनाया है और उसमें व्यवस्था की है कि अगर कोई पंजीकृत व्यापारी पकड़ा जाय या जो मानक दिया है उसके अन्तर्गत उसे पकड़ा जाना आवश्यक है तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी आती है तो उसका दो गुना या तीन गुना जमा कराके आगे जांच होगी और अपंजीकृत में माल का 40 प्रतिशत जमा करना पड़ेगा । अब माननीय सदस्य के मन में एक चिन्ता है कि एक छोटा व्यापारी जा रहा है कायदे से वह परिधि में आता नहीं है और पंजीकरण कराया नहीं तो गैर पंजीकृत समझकर पकड़ा जायेगा । तो मैं बता दूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है अगर कोई ऐसी सूचना माननीय सदस्य देंगे तो इसमें कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आगरा में ऐसी घटनायें दिन प्रतिदिन हो रहीं हैं । गैर पंजीकृत लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इसी को बता चुके हैं ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी की बात को सुन चुका हूं जब पूरा परिवार उसका लगकर मजदूरी करता है तो अपने पेट भर रोटी खाने के लिये अपने माल को दूसरी जगह बेचने के लिये ले जाता है और बीच में पकड़ लिया जाता है तो जो गैर पंजीकृत लोग हैं उनको विशेष सुविधा दिलायें और उनका माल न पकड़ने का आदेश करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को कोई विशेष घटना होगी तो उसको बता दीजियेगा तो उस पर कार्यवाही करेंगे ।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव आया है कि छोटे-छोटे व्यापारियों को सुविधा दी जाय । यह जो संशोधन विधेयक में सुविधा दी जा रही है इससे जहां छोटे-छोटे व्यापारियों को सुविधा होगी, लाभ होगा वहीं अल्टीमेटली उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा । मान्यवर, जितना कष्ट आता है, परेशानी होती है उसका बोझ व्यापारियों पर कम उपभोक्ताओं पर ज्यादा पड़ता है । मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे मैं सहमत हूं और मैं चाहूंगा कि सदन उसको सर्वसम्मत से पास करे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 19 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 धारा 14 का खण्ड (ग) और (घ) धारा 15 और धारा 16 दिनांक 1 जनवरी, 1992 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2–– उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द ''पचास हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख'' और शब्द ''एक लाख'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख पचास हजार'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 3–क क क क का प्रतिस्थापन

3––मूल अधिनियम की धारा 3–क क क क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और 1 अप्रैल, 1974 को रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्–

''धारा 3–क क क क कतिपय संव्यवहारों पर क्रय कर देने का दायित्व

(1) उपधारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय और धारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यापारी जो उपभोक्ता को बिक्री के स्थल पर कर देय कोई माल,––

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से ऐसी परिस्थितियों में जिनमें कोई कर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय न हो, क्रय करता है, ऐसे माल के क्रय मूल्य पर उसी दर से जिस पर, ऐसी परिस्थितियों के सिवाय, ऐसे माल की बिक्री पर कर देय होता कर का देनदार होगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय करता है, चाहे ऐसे व्यक्ति द्वारा कर देय हो या नहीं, ऐसे माल के क्रय मूल्य पर उसी दर से जिस पर ऐसे माल की बिक्री पर कर देय हो, कर का देनदार होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय कर में छूट कर की धनराशि की उस सीमा तक दी जायेगी जहां तक —

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से क्रय किये गये माल को इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्रय कर अधिनियम, 1956 के किन्हीं उपबन्धों के अधीन, पहले ही करारोपित किया गया हो, या किया जा सकता हो ;

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किये गये माल के संबंध मे पहले ही कर का भुगतान कर दिया गया हो ;

(ग) धारा 4–क के अधीन माल की बिक्री पर छूट दी जा सकती हो ;

(घ) इस प्रकार क्रय की गई कच्ची चमड़ी और खाल से प्राप्त परिष्कृत चमड़ा और खाल (या शोधित चमड़ा) और कच्चे कपास से प्राप्त ओटी हुई कपास या 2 सितम्बर, 1976 को प्रारम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस प्रकार क्रय किये गये धान से प्राप्त चावल, की बिक्री पर इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के किन्हीं उपबन्धों के अधीन कर की धनराशि देय हो । ''

धारा 3-च का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 3-च में, शब्द ''अन्तर्ग्रस्त माल'' के पश्चात् शब्द ''चाहे माल के रूप मे हो या किसी अन्य रूप में'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 3–छ का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 3–छ में, उपधारा (1) में, शब्द ''धारा 3–घ'' के पश्चात् शब्द ''या धारा 3-च'' बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 4–क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 4–क में,—

(क) उपधारा (2-ख) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक ''25 सितम्बर, 1990'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 1991'' रख दिये जायेंगे ।

(ख) स्पष्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (1) में, उपखण्ड (ख) में, मद संख्या (तीन) में, शब्द ''जो उत्तर प्रदेश वित्त निगम या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक'' के स्थान पर शब्द ''जो किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्त निगम या कम्पनी'' रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (2) में, उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्—

''(क) कोई ऐसा कारखाना या कर्मशाला जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में पहले से प्रयुक्त या उपयोग के लिये अर्जित ऐसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटकों का उपयोग करता हो जो ब्वायलरों और जनरेटरों से भिन्न हो और किसी सरकारी कम्पनी या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम द्वारा उसको बेची गई किसी मशीनरी, संयंत्र, उपस्कर, साधित्र या संघटक से भिन्न हो ; या''

7—मूल अधिनियम की धारा 5 में, वर्तमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्—"कतिपय विक्रयों पर कर की छूट" धारा 6 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 8—क में — धारा 8-क का संशोधन

(क) उपधारा (1-क) में, खण्ड (ख) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी को स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण तब तक, प्रवृत्त रहेगा जब तक व्यापारी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बना रहे, यदि व्यापारी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के नियत दिनांक के पूर्व विहित रीति से नवीकरण फीस के रूप मे पांच सौ रुपये की एकमुश्त धनराशि जमा करता है और पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे एकमुश्त जमा पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे वार्षिक नवीकरण के लिये जमा पर लागू होते हैं।"

(ख) उपधारा (1-ख) में, स्पष्टीकरण में, शब्द "या पुनः संघटन" निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) उपधारा (1-ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(1-ग) किसी व्यापारी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के लिये अधिकृत कर निर्धारक अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत की गई या अन्यथा प्राप्त किसी सूचना पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, समय-समय पर रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाण-पत्र का संशोधन कर सकता है और रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का ऐसा संशोधन—

(क) व्यापार के नाम, स्वामित्व या स्थान में किसी परिवर्तन, या व्यापार का नया स्थान खोलने के मामले में, उस घटना के दिनांक से जिसके कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी, प्रभावी होगा चाहे धारा 8-ख ख के अधीन उस निमित्त सूचना विहित समय के भीतर प्रस्तुत की गई हो या न की गई हो ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में किसी माल या माल के वर्ग के विवरण में किसी परिवर्धन या उपान्तर के मामले में, उस घटना के जिसके कारण संशोधन की आवश्यकता पड़ी, दिनांक से यदि उस निमित्त सूचना धारा ८-ख ख के अधीन विहित समय के भीतर प्रस्तुत की जाय और किसी अन्य मामले में, कर निर्धारक अधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्धन या उपान्तर के लिये अनुरोध की प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा ;

(ग) किसी माल या माल के वर्ग के निकाल दिये जाने के मामले में, निकाले जाने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि व्यापार के स्वामित्व में परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप किसी व्यापारी का कर का भुगतान करने का दायित्व समाप्त हो जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का संशोधन उस दिनांक से प्रभावी होगा जब धारा 8-ख ख के अधीन ऐसे परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रस्तुत की जाय ।

स्पष्टीकरण–एक–इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के किसी संशोधन से इस अधिनियम के अधीन आरोपणीय कर या शास्ति या किसी अपराध के लिये किसी अभियोजन के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

दो–सन्देहों को दूर करने के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी––

(क) अपने व्यापार के नाम में कोई परिवर्तन करता है ; या

(ख) कोई फर्म है और उसका विघटन किये बिना फर्म के गठन में कोई परिवर्तन होता है ; या

(ग) किसी न्यास का न्यासी है और उसके न्यासियों में कोई परिवर्तन होता है ; या

(घ) किसी प्रतिपाल्य (वार्ड) का संरक्षक है और संरक्षक में कोई परिवर्तन होता है ; या

(ङ) कोई संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब है और ऐसे कुटुम्ब का व्यापार किसी भागीदारी व्यापार में, उसके भागीदारों के रूप में समस्त या किन्हीं सहदायिकों के साथ, संपरिवर्तित होता है, तब केवल उपयुक्त परिस्थितियों के कारण ही उस व्यापारी या फर्म जिसके गठन में परिवर्तन हो गया है या नये न्यासी या नये संरक्षक या यथास्थिति, ऐसे भागीदारी व्यापार के भागीदारों के लिये रजिस्ट्रीकरण के नये प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक नहीं होगा, और धारा 8-ख ख द्वारा अपेक्षित रीति से सूचना प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का संशोधन किया जायेगा ।

(1–घ) रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाण-पत्र को रद्द या उसका संशोधन उपधाराओं (1-ख) और (1-ग) में उल्लिखित प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।''

(घ) उपधारा (4) में, खण्ड (क) में, जहां-जहां भी शब्द ''पचास हजार'' आए हों, उनके स्थान पर शब्द ''एक लाख'' और जहां-जहां भी शब्द ''एक लाख'' आए हों उनके स्थान पर शब्द ''एक लाख पचास हजार'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 8-ख का संशोधन

9––मूल अधिनियम की धारा 8-ख में, उपधारा (1) में, शब्द ''पचास हजार'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख'' रख दिये जायेंगे ।

10—धारा 8-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्— नई धारा 8- खख का बढ़ाया जाना

व्यापार के परिवर्तन के संबंध मे प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

"8- ख-ख—यदि कोई व्यापारी जिस पर धारा 8—क या धारा 8-ख के उपबन्ध लागू होते है :—

(क) अपने व्यापार या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा, त्यागन, लाइसेंस, भाड़ा या किसी भी अन्य रीति से अन्तरित करता है या अपने व्यापार या उसके किसी भाग का अन्यथा व्ययन करता है, या

(ख) किसी व्यापार का, चाहे क्रय द्वारा या अन्यथा, अर्जन करता है, या

(ग) अपने व्यापार के स्वामित्व या गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है या ऐसा परिवर्तन उसकी जानकारी में आता है, या

(घ) अपना व्यापार बन्द करता है या अपने व्यापार या भाण्डागार के स्थान में परिवर्तन करता है या व्यापार या भाण्डागार का कोई नया स्थान खोलता है, या

(ङ) अपने व्यापार के नाम, अभिनाम या स्वरूप में परिवर्तन करता है या उस माल के, जिसमें वह अपना व्यापार करता है, वर्ग या विवरण में, जैसा रजिस्ट्रीकरण के उसके प्रमाण-पत्र मे विनिर्दिष्ट है, कोई परिवर्तन करता है, या

(च) अपने व्यापार के संबंध मे भागीदारी या अन्य सहयोजन में प्रवेश करता है, या

(छ) कोई नया व्यापार प्रारम्भ करता है या किसी अन्य व्यापार में या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से सम्मिलित होता है, या

(ज) किसी परिनियम के अधीन नियमित किसी कम्पनी के मामले में निदेशकों के बोर्ड के गठन में कोई परिवर्तन करता है, या

(झ) धारा 4-क या धारा 4-ख या धारा 8-क या धारा 8-ख के अधीन किसी प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत की गयी विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करता है,

तो वह उपर्युक्त किसी भी घटना के होने के तीस दिन के भीतर कर निर्धारक अधिकारी को तद्नुसार सूचना देगा।"

11—मूल अधिनियम की धारा 8-ग में, उपधारा (10) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "नब्बे दिन" रख दिये जायेंगे। धारा 8-ग का संशोधन

धारा 13-क का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् —

"(8) जहां माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (2) में अभिदिष्ट सूची और अन्य लेख-पत्र भेजने के पूर्व या तत्पश्चात् कर निर्धारक अधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहां, यथास्थिति, निर्धारित कर या आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहां यथास्थिति, माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी या कर निर्धारक अधिकारी, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है । ऐसे माल के बिक्री आगम का समायोजन ऐसी बिक्री के व्यय, निर्धारित बिक्री-कर, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा । शेष धनराशि, यदि कोई हो, व्यापारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी ।"

धारा 18 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "पचास हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" और शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार " रख दिये जायेंगे और उसके स्पष्टीकरण में शब्द "अथवा पुनः संघटन" निकाल दिये जायेंगें ।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "पचास हजार" के स्थान पर शब्द "एक लाख" और शब्द "एक लाख" के स्थान पर शब्द "एक लाख पचास हजार " रख दिये जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (2) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण वर्ष 1987-88 के लिये कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण 31 मार्च, 1993 तक किया जा सकता है ।"

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(4-क) यदि कर निर्धारण का कोई आदेश कर निर्धारक अधिकारी की अधिकारिता के अभाव के आधार पर या किसी अन्य तत्समान आधार पर किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा अभिखण्डित कर दिया जाये, तो जिस कर निर्धारक अधिकारी का आदेश इस प्रकार अभिखण्डित किया गया है उसे ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर या 31 मार्च, 1993 तक, जो भी पश्चातवर्ती हो, अधिकारितायुक्त कर निर्धारक अधिकारी द्वारा कर निर्धारण का नया आदेश दिया जा सकता है।"

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्—

"(5-क) यदि किसी बीमार इकाई के विरुद्ध परित कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या शास्ति का कोई एक पक्षीय आदेश राज्य सरकार द्वारा धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश द्वारा अपास्त कर दिया जाय तो उस वर्ष के लिये, यथास्थिति, कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या शास्ति का नया आदेश राज्य सरकार के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर संबंधित कर निर्धारक अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।";

(घ) उपधारा (6-क) में, शब्द "किसी अन्य कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण" के पश्चात् शब्द "या किसी अन्य विषय" बढ़ा दिये जायेंगे और 19 फरवरी, 1991 को बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, जहां-कहीं भी शब्द "पन्द्रह दिन" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "तीस दिन" रख दिये जायेंगे।

धारा 38 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 38 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) धारा 30 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी बीमार इकाई के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कर निर्धारण या शास्ति के किसी आदेश को अपास्त कर सकती है और विधि के अनुसार मामले का फिर से निस्तारण करने का निदेश दे सकती है।"

वैधीकरण

17—(1) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व जारी की गई कोई विज्ञप्ति या कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल

अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध भी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(२) जहां इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकारी या न्यायालय ने किसी कार्यवाही में मूल अधिनियम के अधीन किसी कर का निर्धारण, उदग्रहण, या संग्रह किया हो या अर्थदण्ड लगाने या किसी अन्य मांग का कोई आदेश दिया हो या ऐसे कर निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रह, अर्थदण्ड या मांग को (पूर्णतः या अंशतः) परिष्कृत, अपास्त या अभिखण्डित करने का कोई आदेश दिया हो और ऐसा कर निर्धारण या अन्य आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो जाये, वहां उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कार्यवाही का कोई पक्ष या बिक्रीकर कमिश्नर, 30 सितम्बर, 1992 तक ऐसे प्राधिकारी या न्यायालय को कर निर्धारण या आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या न्यायालय कार्यवाही का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या उसका पुनरीक्षण करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जैसा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हो ।

(३) यथास्थिति, कर निर्धारक, अपील सुनने वाला या पुनरीक्षण प्राधिकारी अपने द्वारा दिये गये किसी आदेश में इस धारा के प्रारम्भ मे एक वर्ष की अवधि के भीतर मूल अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो भी बाद में समाप्त हों, कोई सुधार कर सकता है, जहां ऐसा सुधार इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप आवश्यक हो गया हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई सुधार जिसका प्रभाव निर्धारित कर अर्थदण्ड या अन्य देयों को बढ़ाना होगा, तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने अभिप्राय की सूचना सम्बद्ध व्यापारी या व्यक्ति को न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

18—जहां इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4-क से संबंधित किसी वर्तमान नियम में संशोधन किया जाय या उस धारा के संशोधन के परिणामस्वरूप उस धारा के संबंध में कोई नया नियम बनाया जाय, वहां ऐसा नियम या संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी किया जा सकता है, किन्तु जिस धारा के संशोधन के परिणामस्वरूप नियम में संशोधन किया जाय या बनाया जाय, उस धारा के संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व से प्रभावी नहीं किया जा सकता है ।

निरसन और अपवाद

19–(1) उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 45 सन् 1991

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 19 तक, खण्ड 1,, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष–

सर्वश्री श्याम नारायण तिवारी, खालिद गौरी, हृदय नारायण, राम औतार शाक्य, सुरेन्द्र सिंह, स्वामी नाथ यादव तथा श्री बी० आर० वर्मा । माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गये और कोई भी माननीय सदस्य अपने संकल्प पर बल देने के लिये उपस्थित नहीं हैं, अतः यह संकल्प निरस्त हो रहा है ।

आबकारी एवं परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, माननीय सदन के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत करते हुए मैं इसकी कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। परिवहन गाड़ियों से भिन्न जो गाड़ियां हैं– जैसे मोटरकार स्कूटर, मोटर साइकिल मोपेड आदि, मान्यवर, उनके रोड टैक्स की जो दरें थीं, मोपेड पर और स्कूटर पर सन् 1974 में हमारे प्रदेश में लगाई गयीं थी और कारों की दरें सन् 78 में लागू की गई थीं। उसके बाद से उनका कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ। सन् 1974 को देखे तो 18 साल हो गये और सन् 78 को देखें तो 14 साल हो गये, इतने लम्बे समय से इनकी दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जबकि कार, मोटर साइकिल और मोपेड की मूल्य दरों में दुगने से लेकर तीन-चार गुने तक की वृद्धि हो गई है। साथ ही इन पर अन्य प्रकार के जो टैक्स आदि थे, कर लगते थे उनमें भी उसी अनुपात में वृद्धि होती चली गई।

इन सबको देखते हुए सन् 84 में डा० टी० एस० पपोला साहब की अध्यक्षता में एक टंक्सेशन रिव्यु कमेटी की स्थापना की गई थी। उस कमेटी ने एक वर्ष तक इस कार्य में बड़ा परिश्रम किया था और उस कमेटी ने राज्य के अनेक विभागों के संबंध में, जो टैक्स देते हैं, अपनी संस्तुति प्रस्तुत की थी और वह संस्तुति उपस्थित की गई 31 अगस्त, सन् 85 को तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी को। उसमे जो रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया था कि यह बहुत विचित्र स्थिति पाई गई है कि 70, 71 या 72 से लेकर 84-85 तक जहां राज्य के समस्त टैक्सों में 647 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वेहिकिल टैक्स में, पैसेन्जर टैक्स में और मोटर गुड्स टैक्स में केवल 567 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है और यह भी कि यात्रीकर और गुड्स टैक्स में उसमें 770 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि मोटर वेहिकिल ऐक्ट में केवल 356 प्रतिशत की वृद्धि हुई–यानि केवल आधी हो पायी। इस अन्तर को दूर करने के लिये डाक्टर पपोला की कमेटी ने संस्तुति की कि इनकी दरों को बढ़ाया जाय और जो दरें उस समय प्रस्तावित की गई उस समय मोपेड की दरें 1974 में 35 रुपया वार्षिक थीं और स्कूटर की दरें 55 रुपया और कारों की 4 किस्मों के अनुसार अलग-अलग दरें थीं। मान्यवर, जो संस्तुति की गयी थी, उस संस्तुति में यह कहा गया था कि अच्छा हो कि एक बारीय अर्थात् वन टाईम टैक्स लगा दिया जाय और यह टैक्स दस गुने से अधिक नहीं होना चाहिये। सन् 1985 में यह संस्तुति की गयी थी परन्तु तत्कालीन सरकार ने 5 फरवरी, 1988 को इसे लागू किया। परन्तु, जो एक बारीय कर लगाया गया, उसमे जो वार्षिक कर की दरें थीं, उनको पुनरीक्षित नहीं किया न परिवर्तित किया। मान्यवर, जहां 55 रूपये वार्षिक दरें थीं स्कूटर/मोटर साइकिल की वहां इस पर एक बारीय कर 750 रुपये कर दिया गया, यानि लगभग 14 गुना कर दिया गया। संस्तुति जबकि यह की गयी थी कि 10 गुने से अधिक नहीं होना चाहिये। हमने इसे देखा, यह जो विसंगतियां हो गयीं यह एक चीज में न होकर जितने श्रेणी पर कर थे उनमें अधिकांशतः में हो गयी। कारों में जो 138 रुपये, 228 रुपये, 275 रुपये वार्षिक था, वहां उसको एक बारीय में 2500 कर दिया गया यानि 16 गुना तक हो गया। इसी तरह से अन्य गाड़ियों में जहां 344 रुपये वार्षिक कर था, एक बारीय मे 4800 रुपये किया गया, 14 गुने तक कर दिया गया, जहां 454 रुपये वार्षिक कर था, उसमें एक बारीय 6800 रुपये कर दिया गया, 15 गुने तक कर दिया गया, इस विसंगति को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है ताकि हम इस विसंगति को दूर करें।

वार्षिक दरों के पुनरीक्षण के संबंध में जैसी की संस्तुति की गयी थी टी० एस० पपोला जी की रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट पर विचार किया गया। यह रिपोर्ट दी गयी थी 1985 में आज 1992 चल रहा है और इस बीच कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, उस हिसाब से आप देखें तो प्रस्तावित दरों में 10 गुने से कहीं अन्तर नहीं है, हर श्रेणी को पुनरीक्षित किया गया है, कार पर जो 300 रु० वार्षिक किया गया तो

उसका एक बारीय कर जो है वह तीन हजार रुपये है अर्थात 10 गुना है । इसी तरह से जो हमारा स्कूटर है वह वार्षिक 90 है तो एक बारीय 850 है उसको दस गुना से कम किया गया । इसी तरह से जो छोटी गाड़ियां है जिन पर वार्षिक कर 90 रुपये है, हमने एक बारीय 10 गुना अर्थात् 900 रुपये न करके 850 रुपये किया है । इसी तरह से जो मोपेड है जिसमें 60 रुपये वार्षिक कर है अर्थात एक बारीय 600 रुपये बनता है उसको 450 रुपये रखा गया । मान्यवर, आप देखें जो सामान्य हैसियत के लोग हैं जो छोटी गाड़ियां खरीदते है आप देखें उसमें अक बारीय में 10 गुना न करके उससे कम किया है मोपेड पर तो साढे सात गुना ही है । जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको 10 गुना रखा है । आप देखें जो दरें प्रस्तावित हैं उसमे कोई भी दर ऐसी नहीं है जिसमें जो एक बारीय कर है उसमें 10 गुना से अधिक अन्तर नहीं है । मान्यवर, जो विसंगति थी, जो असंतुलन था, दरें जो पुनरीक्षित नहीं की गयी थीं, उनको पुनरीक्षित करके आपके समक्ष विधेयक लाये हैं । मैं आशा करता हूं कि यह जो विधेयक है जो स्वतः स्पष्ट है, माननीय सदस्य सर्वसम्मति से इसको पारित करने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

श्री ऊदल, श्री सुरेश प्रताप गांधी संशोधनों पर बल देने के लिये उपस्थित नहीं हैं । अन्य कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहें तो वह रखें ।

श्री गन्धर्व सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय परिवहन मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि भारी वाहन जो हैं जैसे बस ट्रक आदि इन पर कोई कर बढ़ाने का विचार चल रहा है या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह जो विधेयक है यह परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों के लिये है । लेकिन जो परिवहन गाड़ियां हैं बसें, ट्रकें हैं उन पर तीन प्रकार के कर लगते हैं । यह संस्तुति की गयी थी कि इन तीनों करों को मिलाकर एक समेकित कर लगाया जाय और उसकी दरों को पुनरीक्षित किया जाय यह मामला अभी विचाराधीन है और जब इस पर विचार पूरा हो जायेगा तब हम इसे माननीय सदन के समक्ष रख देंगे ।

* श्री नन्द राम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो संशोधन विधेयक रखे हैं मैं इसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद बरेली में तहसील फरीकपुर से बीस किलोमीटर की दूरी पर दो सौ प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं । पहले सन् 80 में मैं जब विधायक था तो उस वक्त 4 गाड़ियां चला करतीं थीं वह सब ठप्प कर दी गयी और कई बार मैंने इस संबंध में लिखा पढ़ी भी करी वह चार गाड़ियां चलायी जायें लेकिन उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि बीस किलोमीटर की दूरी पर मुद्रिका बसें होती हैं । वहां पर जो दो सौ गाड़ियां चल रही हैं वह वहां के अधिकारियों की सांठ-गांठ से चल रही हैं, सिटी बसें ठप्प कर रखी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि वहां पर मुद्रिका बसें चलायी जायें और संशोधन के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आचार्य जगदीश मुनि--

मान्यवर, यह जो गाड़ियों के संबंध में संशोधन विधेयक आया है हम उसका स्वागत करते हैं और एक बात कहना चाहेंगे कि जितना भी टैक्स बढ़ा है वह तो हमें देना ही देना है लेकिन जो एक साथ दस साल या 15 साल का टैक्स लिया जाता है तो यहां पर दो श्रेणी होती हैं। एक श्रेणी वह है जिसमें पैसे वाले लोग हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है और अपनी सुविधा के लिये बैंक से कर्जा लेकर गाड़ियां लेते हैं तो उनको एक साथ दस साल या 15 साल का टैक्स देना पड़ता है तो वह भारी पड़ जाता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस विषय में यदि उचित समझा जाय तो दस साल के स्थान पर प्रति वर्ष टैक्स ले लिया जाये जिससे गरीब आदमी को भी सुविधा हो जाये।

श्री निर्वेन्द्र कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है रोड टैक्स बढ़ाने का यह बहुत ही अच्छा है और मैं इसका समर्थन करता हूं। इससे इस विभाग की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन श्रीमन्, इस संबंध में मैं आपका ध्यान आपके माध्यम से शासन को दिलाना चाहूंगा कि इसी प्रकार का एक मिनी विभाग खुला हुआ है जो तमाम खड़खड़ा टाइप की बसें है जो बिना परमिट की बसे हैं और जो पुलिस थाने खुल गये हैं वह बुरी तरह से टैक्स वसूल रहे हैं तो वह टैक्स भी इसी विभाग के पास जमा हो तो मैं समझता हूं कि इससे इस विभाग की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो जो मान्यवर, यह पुलिस विभाग टैक्स वसूल रहा है इससे इस विभाग की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जनता भी दुखी होती है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि वे इसमें सुधार करेंगे।

डा० दिनेश जौहरी-

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने संशोधन विधेयक रखा है वह स्वागत योग्य हैं। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस इसकी फीस बढ़ाने जा रहे हैं। यदि इसकी फीस बढ़ायेंगे तो इससे इसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जायेगी।

श्री किशोरी श्याम-

मान्यवर, मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने टैक्स तो बढ़ाया है लेकिन मेरे यहां कोसीकलां में नेशनल हाइवे के किनारे तथा दो तीन अन्य जगह हैं वहां पर बसें चलाने की अनुमति देंगे जिससे वहां के यात्रियों को परिक्रमा की सुविधा मिल सके।

* श्री किशन गोपाल-

मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा रखे गये संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार गाड़ियों के लाइसेंस नं० से दिये जाते है, उसी प्रकार गाड़ी मालिक के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाय। एक गाड़ी को कई-कई बार विभिन्न लोगों को बेचा जाता है, इसलिये जब अलग-अलग मालिकों के नाम से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा, तो इससे विभाग की लाखों रुपये की आमदनी बढ़ेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मानयवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका हम समर्थन करते हैं। समय को देखते हुए जो टैक्स वृद्धि की गयी है, वह उचित है। मैं अपने देवरिया जनपद की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, वहां परिवहन विभाग की स्थिति बहुत खराब है, कुल 94-95 बसें चल रही हैं। मिनी बसेज, टैक्सियों की भरमार है। पिछले कुछ समय से नाजायज 7 हजार रुपये खर्च करके यह बसें चला करती थीं, इधर उनको पुनः लाइसेंस देने की बात चली है। जो लाइसेंस निर्गत किये जाते हैं, उनमें नियमों का पालन नहीं किया जाता है, धक-धक करती हुई टैक्सियां और 5 हार्स पावर का इंजन लगाकर यह गाड़ियां चलती हैं, उनकी भी स्थिति बहुत खराब है। आप जो प्रमाण-पत्र देते हैं, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये।

यह देखा जाना चाहिये कि जो जीप, कार, मिनी बसेज हैं, यात्रा के लिये उपयोगी हैं या नहीं। अवैध संचालन से रोडवेज को 50 लाख रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है और आप के अधिकारी न जाने कैसे जुर्माना करते हैं कि 100-50 रुपये देकर वह छूट जाते हैं, इसकी भी कोई अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे क्षेत्र में छोटे लोग थे मैंने कहा कि 3150 रुपया देकर टैक्सी चलाओ, उन्होंने हमसे कहा कि हम छोटे, गरीब लोग हैं, एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते, साल भर का सस्ते दामों पर पैसा लिया जाय, तो हम लोग ऐसा करेंगे। इस प्रकार मान्यवर, देवरिया, गोरखपुर में परिवहन की स्थिति बहुत खराब चल रही है, उसमें सुचार लाया जाय और प्रमाण-पत्र देने में नियमो का पालन किया जाय। वहां 15-15 आदमी पावदानों पर लटक कर यात्रा करते हैं, इस प्रकार परिवहन विभाग के अधिकारी लापरवाही बरतते हैं, जिससे घाटा होता है, अवैध संचालन को रोकने के लिये सरकार की तरफ से प्रयास होना चाहिये, इसके लिये जनता हम लोगों को कोस रही है। इन सब पर विचार करके परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने की मंत्री जी कृपा करेंगे, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। रजिस्ट्रेशन आफिसेज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, रजिस्ट्रेशन विभाग के जो कर्मचारी, बाबू हैं, वह लोगों को जबरदस्ती परेशान करते हैं और परेशान करने के बाद उनसे पैसा वसूलते हैं, यह एक रिवाज बन गया है। मान्यवर, बीच रास्ते में गाड़ियों को रोक कर के जबरन पैसा वसूल करने का इन लोगों ने अभियान चलाया हुआ है, उससे हमारे प्रदेश में परिवहन विभाग की आय घटती है। मेरा आग्रह है कि टैक्स जो बढ़ाया गया है, वह अच्छी बात है, लेकिन व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये माननीय मंत्री जी कुछ ठोस कदम अवश्य उठायेंगे।

* श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। एक चीज मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब अन्य गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया गया है, इससे विभाग की आय बढ़ेगी, लेकिन छोटी-छोटी गाड़ियां जैसे मोपेड आदि जो चपरासी, छोटे-छोटे बाबू आदि खरीदते हैं, को कर मुक्त करने, टैक्स माफ करने का कोई प्राविधान करने जा रहे हैं।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नये जनपद बने हैं, उनमे नये डिपो खोलने की व्यवस्था आपने इसमें रखी है। दूसरा, यह जो आपने टैक्स लगाया है, क्या नये जनपदों के लिये टैक्सों के माध्यम से अलग व्यवस्था होगी ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने आजमगढ़ जनपद में यह निर्देश भेज दिये हैं कि वहां के अधिकारी जब चाहे बस चलायें और जब न चाहे बन्द करा दें ?

* श्री राम चन्द्र चौधरी–

मान्यवर, आपने जो यह टैक्स बढ़ाया है, इसका स्वागत है । लेकिन हमारे जिले सुल्तानपुर में आपके लिखने के बावजूद भी वहां पर बसें नहीं चल रही है और जो प्राइवेट बसें हैं या डग्गा मार बसें हैं, वह चल रही हैं जिससे वहां के लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही हैं । जो रोडवेज की बसे हैं, वे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं । रोडवेज की बसें १० किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में खड़ी हो जाती हैं, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है । यही कारण है कि रोडवेज की हालत बदत्तर हो चुकी है । मैंने आपको लिख कर भी दिया कि आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर की बसें जो कादीपुर मुख्यालय व सूरापुर में रुकती थी, आज आपके लिखने के बावजूद भी वहां बसें नहीं रुकती हैं । इस पूरे प्रकरण पर माननीय मंत्री जी कोई सुनिश्चित व्यवस्था करें ताकि वहां पर यात्रियों को परेशानी न हो ।

आचार्य जगदीश मुनी–

मान्यवर, यहां पर कुछ बिना परमिट बसों की चर्चा आई । मैं हरिद्वार जिले से आता हूं । दूसरा, यह कि हरिद्वार एक अन्तराष्ट्रीय तीर्थस्थल भी है । यहां पर सैकड़ों विक्रम चलते हैं । 80 परसेन्ट विक्रमों के पास लाइसेन्स नहीं हैं । पुलिस वाले नाजायज तरीके से उनसे पैसा वसूलते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर सैकड़ों यात्री आते हैं और वहां पर जितनी संख्या में विक्रम चल रहे हैं, उनकी आवश्यकता भी हैं । तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी जिन विक्रमों के पास लाइसेन्स नहीं हैं, उन्हें लाइसेन्स देने की कृपा करेंगे ।

गृह राज्य मंत्री (सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, पुलिस द्वारा नाजायज तरीके से पैसा वसूलने की बात यहां पर कही गई है । माननीय सदस्य मुझे शिकायत लिखकर दें । ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्रीनिवास–

मान्यवर, हमारे जिले में जो बस स्टेशन्स हैं, वहां पर बसें न जाकर सीधे सड़क से निकल जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ये सब प्रश्न विधेयक की बातों से परे हैं । चूंकि समय है, इसलिए मैं प्रश्न पुछवा ले रहा हूं ।

श्री श्रीनिवास–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो बस स्टेशन्स बने हुए हैं, वहां पर बसें न जाकर सीधी सड़क से बसें निकल जाती हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बस स्टेशन्स बने हुए हैं, वहां पर गाड़ियां अवश्य जायं । बसें स्टेशन पर जाती ही नहीं हैं मैंने अपने यहां के हेड मैनेजर से भी यह कहा उनका कहना था कि जानी चाहिये लेकिन इससे बसों में देरी हो जाती है इसलिये नहीं जाती हैं । मैं अनुरोध करूंगा बस हर हालत में स्टेशन जानी चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं मैंने पहले भी निवेदन किया आज आपने पुनः अवसर दिया इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर नगर और लखनऊ जैसे महानगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र कैंट कानपुर का काफी विस्तार हो रहा है, इस विधान सभा का कुछ भाग कानपुर नगर के लगभग 15 या 20 कि०मी० दूर है और काफी जनसंख्या वहां बढ़ गयी है । वहां से कानपुर नगर में जो लोग प्रातः नौकरी के लिये या छात्र छात्रायें विद्यालयों के लिये जाते हैं उनको परिवहन की सुविधा न होने से बड़ी कठिनाई होती है । इसलिए कानपुर नगर में नगरीय बस सेवा का और ज्यादा संख्या में बसें चलाई जायं, पूरे कानपुर नगर में बसें चलाने की व्यवस्था की जाय । इस संदर्भ में कानपुर में 300 बसें चलाने हेतु मैं एक प्रतिवेदन मा० मंत्री जी को दे चुका हूं । मैं समझता हूं कि इस विधेयक से परे हैं लेकिन सभी लोगों ने प्रार्थना की है मेरी भी प्रार्थना इसमें सम्मिलित कर ली जाय और निवेदन है कि इसमें अतिशीघ्र कार्यवाही करने के आदेश पारित करने की कृपा करें ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिला मुरादाबाद की तहसील चन्दौसी की ओर दिलाना चाहती हूं । वहां पर बसों की स्थिति बहुत खराब है, थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाती हैं । आये दिन कोई न कोई वारदात होती रहती है, उनकी स्थिति में सुधार लाया जाय । चन्दौसी को डिपो बनाया जाय ।

दूसरी बात विधायकों को जो गाड़ी खरीदने के लिये लोन दिया जाता है वह इतना कम है कि उसमें कोई गाड़ी नहीं आती है एक लाख रुपये मे कोई गाड़ी नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष–

यह वित्त मंत्री जी का विषय है ।

श्रीमती गुलाब देवी–

मैं समझती हूं कि यह विषय अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी भी परेशानी है, वित्त मंत्री जी से हमारी प्रार्थना है कि जो एक लाख रुपया गाड़ी के लिये विधायकों को दिया जाता है इसको दो लाख कर दिया जाय जिससे विधायक गाड़ी ले सकें और पब्लिक के कार्य भी अच्छी तरह से कर सकें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, परिवहन के संबंध मे माननीय मंत्री जी विधेयक लाये हैं उसी के तारतम्य में कहने की गुस्ताखी कर रहा हूं दुबारा मेरे दिमाग में बात आई इसलिये खड़ा हुआ भले ही यह विषय इसका न हो लेकिन एक अच्छी बात है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपने माननीय विधायकों की बात सुनी मैं भी कहना चाहता हूं कि यह जो डग्गामार बसें, डीजल इंजन से पम्पसेट के इंजन से चलने वाले खड़खड़ा की बात माननीय सदस्य ने कही यह केवल देवरिया में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गाड़ियां चल रहीं हैं । परिवहन विभाग परमिट नहीं दे रहा है जिससे टैक्स में कमी आ रही है उससे रोडवेज की बसों को हानि हो रही है । जो रोडवेज से संबंधित अधिकारी हैं या मौजूदा मंत्री जी के दिमाग में कही बात नहीं आ रही है इससे रोडवेज की हानि हो रही है ।

आखिर इस प्रकार की डग्गामार बसों के चलने से इस विभाग को कितनी आर्थिक हानि हो रही है ? यह कौन करवा रहा है श्रीमन् इसमें पुलिस विभाग करवा रहा है । जब पुलिस के खिलाफ बात करते हैं तो मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूं कि आप वह पुलिस वाले नहीं हैं जो खड़े हो जाते हैं, आप तो हमारे भाई हैं जनंप्रतिनिधि हैं, पुलिस वालों की बात सुन कर आप अपने को पुलिस न समझने लगें । पुलिस वालों का अपना जो काम उनका होता है उसे नहीं करते हैं बल्कि परिवहन विभाग में दखलंदाजी करते हैं जिससे दूसरे विभागों को आर्थिक हानि होती है मंत्री जी से गुजारिश है कि परिवहन विभाग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये प्रस्ताव लायें कि पुलिस विभाग की दखलंदाजी नहीं होगी जिससे डग्गामार बसें रोकी जा सकें और परिवहन विभाग की आर्थिक स्थिति में सुधार हो ।

*श्री श्याम बिहारी सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी का ध्यान मैं बरेली जनपद की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में काफी बसें डग्गामार चल रही हैं जिससे न सरकार को और न जनता को लाभ हो रहा है । इसलिये परिवहन मंत्री जी से मेरी मांग है कि बरेली से आंवला, आंवला से चंदौसी और अलीगढ़ तथा आंवला से बदायूं के लिये रोडवेज की बसें चलाई जायें, जिसके संबंध में मंत्री जी को लिखकर दिया है. इससे सरकार को और जनता को लाभ होगा । मान्यवर, मेरे यहां एक नई रोड भी बनी है । इसलिये बरेली से रमपुरा होते हुए सरौनी और सरौनी से मुरादाबाद रोड पर कोई रोडवेज की बस नहीं चल रही है, इसलिये यहां रोडवेज की बस चलाई जाए जिससे जनता और सरकार दोनों को लाभ होगा । यह सड़क १५०-२०० किलोमीटर की पड़ेगी । रोडवेज की बस चल जाने से डग्गामार बसें नहीं चलेगी । यदि रोडवेज की बस न चलायें तो डग्गामार बसों को परमिट दिया जाये या फिर उन्हें बन्द किया जाये ।

*श्री राम सेवक (बदायूं)–

मान्यवर, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश रोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बदायूं जिले में रोडवेज़ बसों के अभाव में प्राइवेट बसें जो यू० पी० एस० आर० टी० सी० के कन्ट्रोल में चल रहीं हैं जिनके संबंध में यह संशोधन विधेयक लाया गया है उससे उनकी स्थिति में सुधार आयेगा ।

मान्यवर, हमारे जिले से बहुत दिनों से जनता की यह मांग थी कि बदायूं से रामपुर और आंवला होते हुए श्री श्याम बिहारी सिंह और हमारे क्षेत्र से जो सड़क जा रही थी उसको पूरा कराकर इन मार्गो पर रोडवेज की बसें चलाई जाएं ।

* श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि ड्राईविंग लाइसेंस जो दिये जाते हैं उसमें शर्त होती है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का सर्टिफिकेट दें लेकिन यह प्रमाण-पत्र व्यर्थ में मिलता है । इस स्कूल में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है और स्कूल वाले केवल एक तरह से फीस लेते हैं सर्टिफिकेट की । इसलिये यह व्यर्थ का सर्टिफिकेट है । इसलिये निवेदन है कि आप सर्टिफिकेट की आवश्यकता को नकारें और इसके स्थान पर कोई ऐसी व्यवस्था करें कि मौके पर जांच हो कि व्यक्ति सारे नियमों को जानता हैं कि नहीं ? ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता का लगा रहना जनहित में आवश्यक नहीं है और इसके बने रहने से जनता का शोषण होता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि लखनऊ से महमूदाबाद को जाने वाली रोडवेज की जो बसें पहले चलती थीं, अब वह नहीं चलती हैं । लखनऊ सीतापुर, सीतापुर-तम्बौर, सीतापुर-सरैया, सीतापुर-रामपुर, सीतापुर-पुखराक्ता इन मार्गो पर विगत 6 महीनों से कोई भी बस नहीं चल रही है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र की एक समस्या और है । लखनऊ से महमूदाबाद की दूरी 52 किलोमीटर है । 28 किलोमीटर पर टिकैतगंज है । इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिया जाय । रोडवेज की बसें तो नहीं चलती हैं और न ही प्राइवेट बसों को परमिट ही जारी किये जाते हैं । उस रूट पर व्यक्तियों को ही परमिट दिये गये थे । परिवहन की बसें उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा होती है इसलिये आधा मार्ग जो राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया है उसी के साथ शेष 28 किलोमीटर के भी राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाय अन्यथा उसे भी समाप्त कर दिया जाय । प्राइवेट बसों को भी परमिट जारी किये ज़ायं । जो बसें वहां पर चलती हैं परिवहन की उसमें निर्धारित मात्रा से ज्यादा 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 व्यक्तियों को बैठाया जाता है । बसों के अन्दर, बसों की छतों पर सवारियों को ज्यादा संख्या में बैठा लिया जाता है जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है । मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या कोई स्पष्ट नीति बनायेंगे कि बसों की सवारियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए ?

*श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी द्वारा लाये संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं चूंकि इसके द्वारा टैक्सों से काफी आमदनी होने की सम्भावना है । मैं उत्तराखण्ड से, कुछ समस्याओं के बारे में, जो परिवहन से संबंधित हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप इन समस्याओं के बारे में बोल लेगें । अभी विधेयक के बारे में बोलें । बजट में इस पर बोलियेगा ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल में हमारे न तो रोडवेज की बसें चलती हैं, न डग्गामार बसें हैं, न रेल यातायात है, न ही वहां पर वायुयान का अड्डा बना है । न ही वहां पर सड़कें इतनी अच्छी हैं । वहां पर मात्र रोडवेज की ही चार-छः बसें मुश्किल से चलती हैं । कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की बसें चलती हैं । वहां पर सड़कें भी 10-10 साल में बड़ी मुश्किल से बनी है जो कि वन संरक्षण अधिनियम की वजह से बन पाई हैं । वहां पर अच्छी बसें चलाने की आवश्यकता है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उत्तरांचल में बसों की सुविधाजनक स्थिति के बारे में कुछ कार्यवाही करें जिससे यात्रियों को आने-जाने में सुविधा हो सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री निवेंन्द्र कुमार–

मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें उन प्राइवेट बस मालिकों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही का प्राविधान है जो अधिकारियों से मिलकर कागज पर तो गाड़ी खड़ी रखते हैं परन्तु लगातार रूट पर चलाते रहते हैं और यात्री कर, रोड टैक्स आदि का उपयोग बस खड़ी रखने का परमिट दिखाकर करते रहते हैं और यह सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। क्या इस चोरी को रोकने के लिये माननीय परिवहन मंत्री जी ने कोई कदम इसमें उठाया है या कोई इस तरह का संशोधन भी इस विधेयक में लिया है। यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को इससे राजस्व की बहुत अधिक हानि होती है।

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक नई तहसील खुली है। बार-बार अनुरोध करने पर मीरगंज तहसील, (बरेली जिले) में भी बसें नहीं रुकती हैं वहां पर एक बुकिंग क्लर्क भी बैठा दिया गया है जो बसें नहीं रोक सकता है। वहां पर एक ए०टी० आई० नियुक्त किया जाय।

*श्री रामदेव आचार्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बाराबंकी जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सड़कों पर नान रजिस्टर्ड बसें चल रही हैं। बाराबंकी राष्ट्रीय राज मार्ग है वहां पर बसें रुकती नहीं हैं। राजकीय बस बाराबंकी से उमापुर तक चलायी जाएं। जिससे आवागमन की सुविधा तो हो सके। रुदौली में बहुत से टैम्पो खड़े होते हैं इसलिये रुदौली को टैम्पो सेन्टर बनाया जाना चाहिये इससे बहुत फायदा होगा।

* श्री विजेन्द्र कुमार–

इस सरकार ने जैसे बिक्रीकर का सरलीकरण किया है इसी तरह से परिवहन विभाग का भी सरलीकरण किया जाए। आर० टी० ओ० आफिस में लिखा रहता है "दलालों से सावधान" लेकिन सब कार्य वहां दलालों के द्वारा ही होते हैं, तो इसमें माननीय मंत्री जी का ध्यान देने व सुधार करने का कष्ट करें।

श्री शिव कान्त–

मेरा क्षेत्र मान्यवर, पट्टी है। प्रतापगढ़ से पट्टी चांदा के लिये जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनमें जगह-जगह थानों पर वसूली होती है। प्राइवेट बसों का रोडवेज की बसों से ज्यादा किराया जाता है। प्राइवेट बसों के किराये के लिये कामन फार्मूला बनाया जाना चाहिये कि प्राइवेट बसों को कितनी छूट देंगे, कितनी वसूली करेंगे, जो थानों से जबर्दस्ती वसूली होती है वह नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में परिवहन की समस्या ऐसी है जिससे मैं और मेरा क्षेत्र दोनों ही पीड़ित हैं। मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र, जो फर्रुखाबाद जनपद के सभी विधान सभाई क्षेत्रों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी। मेरा कमालगंज चुनाव क्षेत्र है। मैं स्वंय वहां निवास करती हूं मैंने मंत्री जी को छः सात महीने में लगभग पांच-छः पत्र लिखे, लेकिन वहां बस स्टाप के लिये कुछ नहीं किया गया। मुझे लखनऊ आना पड़ता है और दूसरी जगह भी आना जाना पड़ता है वहां बसों का रुकना निश्चित नहीं हुआ है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, जो ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां गंगा की कटरी का पूरा क्षेत्र पड़ता है। हम लोग चर्चा करते हैं कि बसों की सुविधा, यातायात की सुविधा, शहरों से लगे क्षेत्रों को मिले, लेकिन गांव के लोगों को भी परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिये। गांव के लोगों को कचहरी जाना पड़ता है, शहरों के बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़े बाजारों और शहर भी पहुंचना पड़ता है, इसलिये बसों की सुविधा गांव के स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये । फर्रुखाबाद से श्रृंगी-रामपुर तक एक बस चलती थी एक बस फर्रुखाबाद से भवानीपुर तक चलती थी, एक बस फर्रुखाबाद से रुद्रपुर चलती थी वह सभी बन्द कर दी गई हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये । इन मार्गो पर बस सुविधा उपलब्ध करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये ।

* डा० अरविन्द कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में देवगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसके मुकाबले हिन्दुस्तान में कोई क्षेत्र नहीं है । वहां से खजुराहो तक बस चलनी चाहिये । खजुराहो एम० पी० में पड़ता है मेरी मांग है कि देवगढ़, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वहां बस चलायी जाय इससे राजस्व का फायदा होगा । मैं कई बार लिख चुका हूं । माननीय मुलायम सिंह के समय में लिखा था, वह भूल गये । आज अपने टाइम में निवेदन कर रहा हूं कि यह काम होना चाहिये ।

श्री लल्लन प्रसाद त्रिपाठी–

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में बहुत से मार्ग राष्ट्रीयकृत कर दिये गये हैं । जिन मार्गों पर रोडवेज की बसों के परमिट ईशू हो चुके है वहां पर भी बसें नहीं चल रही है । बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वहां के रीजनल मैनेजर इस आग्रह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं । गोरखपुर से ब्रहमपुर, 30 किलोमीटर दूरी पर है । वहां से गोरखपुर आने जाने में भारी कठिनाई होती है । इसी तरह से हमारे क्षेत्र में गोरखपुर-भटहट जो 25-30 किलोमीटर दूरी पर है वहां पर बसें न चलने से बड़ी कठिनाई हो रही है । साथ ही साथ जो प्राइवेट बसें चल रही है, आर० टी० ए० एस० टी० ए० के द्वारा जो टरमिनेटिंग और स्टार्टिंग प्वाइंट फिक्स हैं, इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा टरमिनेटिंग और स्टार्टिंग प्वाइंट फिक्स कर उनसे हटकर इधर-उधर बसें खड़ी की जाती हैं । रोड साइट पट्टी पर स्टैन्ड नहीं बनाया जा सकता, नियमों के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है । मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और टरमिनेटिंग तथा स्टार्टिंग प्वाइंट के मनमाने ढंग से प्रयोग किये जाने पर रोक लगायी जाय । इसके अतिरिक्त जिन रोड्स पर बसों के परमिट ले लिये गये हैं उनके आधार पर वहां बसें चलायीं जायें ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैंने सभी माननीय विधायकों की बात को सुना । मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं । चाहे विक्रम हो चाहे ट्रक हो या प्राइवेट बस हो, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसने जो पहले की सरकार से व्यवस्था स्थापित कर रखी है वही व्यवस्था आज भी चल रही है । चाहे कोई विक्रम का मालिक हो, ट्रक का मालिक हो चाहे प्राइवेट बस का मालिक हो, उनसे पैसा लिया जाता है, 10 रुपये के हिसाब से । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विक्रम के मालिकों, बस ड्राइवरों और अन्य वाहनों के मालिकों का जो यह शोषण हो रहा है उसको रोका जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अब आप अपना उत्तर भाषण दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का कि उन्होंने बहुत ही मूल्यवान सुझाव इस समय प्रस्तुत किये हैं । यद्यपि यह विधेयक जिस विषय पर है उस पर न कहकर ज्यादा चर्चा उन विषयों पर हुयी जिसका इस विधेयक से कोई संबंध नहीं है । परन्तु मैं बड़ा आभारी हूं, मैं सभी सम्मानित माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने विधेयक से हटकर दूसरे विषय रखे कि मेरे विभाग का जब बजट आयेगा उस समय वह फिर से बोलने की कृपा न करें । मैंने उनकी सब बातें नोट की है और मैं यह समझता हूं कि जो सुझाव दिये गये हैं उसकी हर बात में बहुत वजन है, बड़े प्रभावी हैं मान्यवर, आज सामने की इन खाली बेंचों को देख कर लग रहा है कि इन पर बैठे हुए लोग होते तो उनको अनुभव हुआ होता कि आज जो कुछ भी सुनना पड़ रहा है, उसे सुनने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी जो आज वहां हैं, कल यहां बैठते थे । आज जो हालत है बसों की, बस बेड़े की, यह सब मैं विस्तार से नहीं कहूंगा, चूंकि वह विषय माननीय सदन में आयेगा, तब विस्तार से प्रकाश डालूंगा । आज तो केवल इतना ही कहूंगा कि जो कुछ टूटी-फूटी, जर्जर, सड़ी गली व्यवस्था ४० साल से लगातार चली आ रही है, वह पिछली सरकारों से विरासत में मिली है । इसको ठीक करने के लिये हम पूरी ताकत से प्रयत्न में लगे हैं ।

हमारा बजट प्रस्तुत होगा और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आने वाले महीनों और वर्षों में यह सरकार, आप और हम मिल कर इस प्रदेश की जनता को परिवहन की दृष्टि से बहुत बेहतर सुविधायें प्रदान करने मे सफल होंगे । मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, उसके बारे में बहुत काम की बातें हमारे सम्मानित मित्रों ने कहीं । खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है प्रदेश में अवैध डग्गामार बसें या ऐसी बसें तो परमिट किसी शर्त पर लेती हैं और उनको तोड़ कर चलती हैं, संचालित हो रही हैं और उसका काफी प्रभाव हमारी आय पर पड़ रहा है । मैं इतना ही कहूंगा कि इस विषय में हम लोग काफी चिंता के साथ, काफी सक्रियता के साथ कदम उठाने के लिये निर्णय ले रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो अवैध बसें चल रही हैं, जो डग्गामार बसें चल रही हैं, चाहे किसी के भी संरक्षण में चल रही हैं, किसी के सहयोग से चल रही हैं, उनके लिये जल्द से जल्द हम ऐसी कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे कि अवैध डग्गामार बसों से इस प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके । इसके लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

एक विषय रखा गया कि 10 वर्ष के लिये जो व्यवस्था की है, उसे 10 वर्ष की न करके वार्षिक ही रखें । मान्यवर, यह व्यवस्था इसलिये की गयी कि चूंकि जो कमेटी बनी, उसने परीक्षण किया, बहुत विचार किया और आज के समय जो लोग मोपेड से लेकर गाड़ी तक खरीदते हैं, उनसे जैसे कि पहले निवेदन किया, मोपेड की पूरी दर 10 गुनी न करके केवल साढ़े सात गुनी की है । हमारा सोचना है, हमारी सरकार और विभाग का सोचना है कि जो गरीब निर्धन लोग किसी प्रकार से मोपेड खरीद लेते हैं, उन पर किसी प्रकार अधिक बोझ न डाला जाय । इसका दूसरा पहलू यह है कि जो प्रति वर्ष टैक्स जमा करने के लिये जाना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, उससे अच्छा है कि नया वाहन खरीदने वाले लोग एक बार जमा कर देना चाहते हैं और एक बार टैक्स जमा करके समझते हैं कि जब तक यह वाहन है 10 वर्ष तक उस विभाग में जाने की दिक्कत उठाने से मुक्त होंगे । इसलिये यह सोचा गया और एक बारीय कर की दर 5-2-88 से यह व्यवस्था लागू की और उसके बाद जो वाहन खरीदे जायं उनसे एक बारीय कर लिया जाय । 5-2-88 से पहले के वाहनों पर भी एक बारीय दर हो सकती है,

लेकिन ऐसे लोग जो प्रदेश के बाहर से खरीदते हैं और यहां आकर पंजीकरण कराते हैं उनको वार्षिक की सुविधा है, चूकि हमारे प्रदेश में यह व्यवस्था हमने लागू की है। (समय 4 बजे) मान्यवर, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कुछ बात कही गयी। मान्यवर, ड्राइविंग लाइसेंस केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के द्वारा निर्धारित होता है। इसको पुनरीक्षित करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। मान्यवर, इसी प्रकार की बहुत सी बातें प्राइवेट बसों में बताई गयीं और यह कहा गया कि उनमें ज्यादा सवारियां चलती हैं, मान्यवर, मैंने शुरू में ही कहा कि जिन लोगों ने इस विषय पर विचार रखे, मैं उनकी समस्या, उनकी व्यथा और पीड़ा से अपने को सम्बद्ध करता हूं, मान्यवर, परिवहन विभाग के मंत्री होने के नाते जितनी सुविधा उनको मिलनी चाहिए, मैं अनुभव करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आज उनको उतनी सुविधा नहीं मिल रही है। मान्यवर, अवैध बसों के बारे में कहा गया कि वे पुलिस के संरक्षण में चलती हैं, मैं नहीं जानता और कहना भी नहीं चाहता, मैंने शुरू में कहा कि किसी के संरक्षण में चलती हों, परन्तु मैं माननीय विधायकों से इस बात का निवेदन करूंगा कि वे इस मामले में सहयोग करें और जो अवैध डग्गामार बसें उनके क्षेत्र में चलती हैं, वे उसकी सूचना देने की कृपा करें, हम कोशिश करेंगे कि उनके सहयोग का लाभ उठायें और निगम को जो हानि होती है, उससे बचाने के लिए कदम उठायें।

जो विषय हमारे माननीय सदस्यों ने रखा, एक प्रश्न यह भी किया गया, ट्रकों और बसों के लिये कहा गया, परन्तु यह व्यवस्था परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों के लिये है, इसलिये मैंने कहा कि उनके बारे में मामला विचाराधीन है और जब उस पर विचार हो जायेगा, तो उसको लेकर हम माननीय सदन में आपके समक्ष आयेंगे कि उनके बारे में हम किस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जो भ्रष्टाचार की बात कही गयी है परिवहन विभाग के बारे में कि वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है, लोगों को तकलीफ होती है। मैं यह नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन यह अनेक वर्षों की देन है। यह सारी सामाजिक व्यवस्था में घुन की तरह लगा हुआ है। हमारी कोशिश है, हमारी सरकार की कोशिश है कि हमारी सरकार के शासन काल में धीरे-धीरे हम वह व्यवस्था लायें, जब यह प्रदेश भ्रष्टाचार की बिमारी से मुक्त हो जाय।

परिवहन विभाग से अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, तो उसे दूर करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये शिकायतें दूर हों और लोगों को इस प्रकार की शिकायतें करने का मौका न मिले। एक बात और यहां पर कही गयी और यह कहा गया, हमारी बहन उर्मिला राजपूत ने कहा और अन्य सदस्यों ने भी कहा मैं बताना चाहता हूं कि निर्देश दे दिये गये हैं कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं, जिन स्थानों पर निवास करते हैं, अगर वहां से परिवहन निगम की बसें निकलती हैं, अगर उस स्थान पर बसें पहले न भी रुकती हों, तो वहां पर अवश्य रोकी जायगी। अगर इसके बारे में शिकायत है, तो मैं स्वागत करूंगा, वह हमें बतायें, मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं जो मूल्यवान माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसको सर्वसम्मति के साथ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 6 खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा ।

(2) धारा 2 से 5 दिनांक 24 जनवरी, 1992 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-5 सन् 1935 की धारा-4 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,–

(क) उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि परिवहन गाड़ी से भिन्न किसी मोटर गाड़ी का स्वामी, इस उपधारा के अधीन देय कर के बदले में, ऐसी मोटर गाड़ी के सम्बन्ध में लागू ऐसी दर पर जैसी कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथासंशोधित तृतीय अनुसूची के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट है, एक बार देय कर का, यदि ऐसी मोटर गाड़ी, 24 जनवरी, 1992 के पश्चात् उत्तर प्रदेश में मोटरयान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों के अधीन प्रथम बार रजिस्ट्रीकृत की जाय, भुगतान करेगा, और किसी अन्य स्थिति में, वे ऐसे एक बार देय कर का भुगतान कर सकेगा और ऐसे एक बार देय कर का भुगतान करने पर उसके पश्चात् की किसी अवधि के लिये इस उपधारा के अधीन ऐसी गाड़ी के संबंध में किसी कर का भुगतान नहीं करना होगा ।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (एफ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(जी) 24 जनवरी, 1992 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली किसी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथासंशोधित प्रथम अनुसूची से है।"

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में,– धारा 7 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्डों के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि एक बार देय कर का भुगतान धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट दर पर किया गया है तो ऐसे कर की वापसी की दर वही होगी जैसी उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथा संशोधित तृतीय अनुसूची के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट है।"

(ख) उपधारा (4) में, अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"प्रतिबन्ध यह है कि एक बार देय कर का भुगतान 24 जनवरी, 1992 के पश्चात् कर दिया गया है तो ऐसे कर की वापसी की दर वही होगी जैसी उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा यथासंशोधित तृतीय अनुसूची के भाग 'घ' में विनिर्दिष्ट है।"

(ग) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(6) जहां किसी परिवहन गाड़ी से भिन्न किसी ऐसी मोटर गाड़ी का, जिसे 24 जनवरी, 1992 के पूर्व मोटरयान अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, स्वामी एक बार देय कर का भुगतान करने का विकल्प करे तो वह एक बार देय कर का भुगतान करते समय, किसी ऐसे अग्रिम कर के, जिसका उसने ऐसी गाड़ी के संबंध में वर्ष 1992 या किसी अनुवर्ती वर्ष के लिये भुगतान किया हो समायोजन का हकदार होगा, बशर्ते कि वह ऐसे एक बार देय कर का भुगतान 24 जनवरी, 1992 से दो मास के भीतर कर दे।"

4–मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, भाग "क" के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिया जायगा, अर्थात्– प्रथम अनुसूची का संशोधन

भाग 'क'

परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां

एक—मोटर साइकिलें (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपेड भी है)–

	रु० पै०
(1) भार विहीन 80 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली ..	60.00
(2) भार विहीन 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाली, किन्तु भार विहीन 500 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली ..	90.00
दो–(1) केवल व्यक्तियों और हल्के वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये निर्मित और प्रयुक्त गाड़ियां (जो मोटर साइकिलें न हों) जिनमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो	300.00

(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाले गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर 55.00

तीन--ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये निर्मित या रूपान्तरित भार विहीन 500 किलो ग्राम से अधिक वजन वाली गाड़ियां जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं--

(1) (क) भार विहीन, 2000 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली 528.00

(ख) भार विहीन, 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली 748.00

(ग) भार विहीन, 3000 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली 1034.00

(घ) भार विहीन, 4000 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक वजन वाली 1210.00

(ङ) भार विहीन, 5000 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये १२१०.०० के अतिरिक्त 484.00

(2) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर 110.00

प्रतिबन्ध यह है कि पेट्रोल से चलने वाली समस्त मोटर गाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय, कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन में विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात्--

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि डीजल से चलने वाली समस्त मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन में विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी।

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति ;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय ;

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था ;

(ङ) कोई लोक पूर्त न्यास ;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति।''

तृतीय अनुसूची का संशोधन

(5) मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में, भाग ''ख'' ''ग'' और ''घ'' के स्थान पर निम्नलिखित भाग रख दिये जायेंगे,अर्थात्-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भाग "ख"

[धारा 4 (1) देखिए]

परिवहन गाड़ियों से भिन्न गाड़ियों पर कर की दरें

		कर की दर रुपये में											
क्रम संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	24 जनवरी, 1992 को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में और 1-1-88 को या उसके बाद 4-2-88 तक रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1986 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1985 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1984 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1983 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1982 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1981 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1980 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1979 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1978 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1977 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	एक (1)	450.00	360.00	270.00	180.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
2	एक (2)	850.00	765.00	680.00	595.00	510.00	425.00	340.00	255.00	170.00	95.00	95.00	95.00
3	दो (1)	3000.00	2754.00	2508.00	2262.00	2016.00	1770.00	1524.00	1278.00	1032.00	786.00	540.00	294.00
4	दो (2)	550.00	506.00	462.00	418.00	374.00	330.00	286.00	242.00	198.00	154.00	110.00	66.00
5	तीन (1) (क)	5280.00	4840.00	4400.00	3960.00	3520.00	3080.00	2640.00	2200.00	1760.00	1320.00	880.00	440.00
6	तीन (1) (ख)	7480.00	6864.00	6248.00	5632.00	5016.00	4400.00	3784.00	3168.00	2552.00	1936.00	1320.00	704.00
7	तीन (1) (ग)	10340.00	9482.00	8624.00	7766.00	6908.00	6050.00	5192.00	4334.00	3476.00	2618.00	1760.00	902.00
8	तीन (1) (घ)	12100.00	11099.00	10098.00	9097.00	8096.00	7095.00	6094.00	5093.00	4092.00	3091.00	2090.00	1089.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	तीन (1) (ङ)	12100.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	11099.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	10098.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	9097.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	8096.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	7095.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	6094.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	5093.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	4092.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	3091.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	2090.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	1089.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए
		4840.00	4444.00	4048.00	3652.00	3256.00	2860.00	2464.00	2068.00	1672.00	1276.00	880.00	484.00
10	तीन (2)	1100.00	1012.00	924.00	836.00	748.00	660.00	572.00	484.00	396.00	308.00	220.00	132.00

प्रतिबन्ध यह है कि पेट्रोल से चलने वाली समस्त गाड़ियों के संबंध में निम्नलिखि[illegible] के स्वामियों के सिवाय कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी, अर्थात् :—

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि डीजल से चलने वाली समस्त मोटर गाड़ियों के संबध में कर की दर इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होगी ।

(क) एकल व्यक्ति

(ख) नगरपालिका बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति,

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था,

(ङ) कोई लोक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

प्रधान सभा

भाग "ग"

[धारा 7 (2) देखिए]

जहां गाड़ी प्रयोग में न हो, वहां कर की वापसी की दरें

क्रम संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	मोटर गाड़ी के प्रयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1	एक (1)	2.00
2	एक (2)	3.00
3	दो (1)	12.00
4	दो (2)	2.00
5	तीन (1) (क)	22.00
6	तीन (1) (ख)	31.00
7	तीन (1) (ग)	43.00
8	तीन (1) (घ)	50.00
9	तीन (1) (ङ)	50.00 और 5000किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 20.00
10	तीन (2)	4.00

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समस्त गाड़ियों जिनके संबंध में भाग "ख" के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन दुगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया है, के संबंध में वापसी की दरें ऊपर विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश गजट

भाग "घ"

[धारा 7 (4) देखिये]

वापसी की दरें

वापस की जाने वाली धनराशि (रुपयों में), यदि गाड़ी के मूल रजिस्ट्रीकरण के मास से गाड़ी की आयु इस प्रकार हो :—

क्रम-संख्या	भाग "क" के अनुच्छेद के अनुसार गाड़ियां	एक वर्ष से अनधिक	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अनधिक	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अनधिक	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अनधिक	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अनधिक	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अनधिक	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनधिक	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अनधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक (1)	270.00	180.00	90.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक (2)	680.00	595.00	510.00	425.00	340.00	255.00	170.00	85.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो (1)	2508.00	2262.00	2016.00	1770.00	1524.00	1278.00	1032.00	786.00	540.00	294.00	शून्य
4	दो (2)	462.00	418.00	374.00	330.00	286.00	242.00	198.00	154.00	110.00	66.00	शून्य
5	तीन (1) (क)	4400.00	3960.00	3520.00	3080.00	2640.00	2200.00	1760.00	1320.00	380.00	440.00	शून्य
6	तीन (1) (ख)	6248.00	5632.00	5016.00	4400.00	3784.00	3168.00	2552.00	1936.00	1320.00	704.00	शून्य
7	तीन (1) (ग)	8624.00	7766.00	6908.00	6050.00	5192.00	4334.00	3476.00	2618.00	1760.00	902.00	शून्य
8	तीन (1) (घ)	10098.00	9097.00	8096.00	7095.00	6094.00	5093.00	4092.00	3091.00	2090.00	1089.00	शून्य

9	तीन (1) (ङ)	10098.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	9097.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	8096.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	7095.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	6094.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	5093.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	4092.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	3091.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	2090.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	1089.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए	शून्य
		4048.00	3652.00	3256.00	2860.00	2464.00	2068.00	1672.00	1276.00	880.00	484.00	
10	तीन (2)	924.00	836.00	748.00	660.00	572.00	484.00	396.00	308.00	220.00	132.00	शून्य

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी समस्त गाड़ियों, जिनके संबंध में भाग "ख" के प्रतिबन्धात्मक खण्डों के अधीन दुगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया है, के संबंध में वापसी की दरें ऊपर विनिर्दिष्ट धनराशि की दुगुनी होंगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निरसन और अपवाद

6–(1) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1992 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1992

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 10 मार्च, 1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल की ढिंढोलाखाल, हिंसदियाखाल ग्रामीण पेयजल योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित कराकर जलापूर्ति कराये जाने के संबंध में हैं, इस पर मैं शासन को वक्तव्य देने के लिये कह रहा हूं । दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर की पुलिस चौकी असावर (दुबिहा) की पुलिस द्वारा श्रीमती जानकी देवी के साथ कथित रूप से बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है । शेष सर्वश्री बलराम यादव, रमेश पोखरियाल, विक्रमाजीत मौर्य, बी० आर० वर्मा, स्वामीनाथ यादव, हरिवंश सहाय, अमरेश चन्द्र पाण्डेय, किशोरी लाल यादव, दिवाकर विक्रम सिंह और रवीन्द्र प्रताप की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

प्रदेश में मिट्टी के तेल एवं डीजल की कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय जी ने इसको स्थगित करने के लिये निवेदन किया है, लेकिन चूंकि वक्तव्य बंट गया है, इसलिये इसको पढ़ा हुआ मान लिया गया है ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल (सम्भरण बनाये रखना और वितरण) आदेश, 1981 के अन्तर्गत हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल के विक्रेताओं को लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। वर्तमान में डीजल की आपूर्ति के संबंध में कोई समस्या नहीं है। तेल कम्पनियों द्वारा प्रदेश भर में स्थित डीजल पम्पों के माध्यम से मांग के अनुसार आपूर्ति करायी जा रही है। सिंचाई कार्यों हेतु डीजल आयल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के आदेश हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल की कुल खपत का लगभग 55 प्रतिशत भाग कृषि कार्यों के लिए जाता है।

2–प्रदेश के समस्त जनपदों में डीजल की आपूर्ति तेल कम्पनियों द्वारा अपने "डीजल रिटेल आउटलेट" को की जा रही है। जब किसी एक डिपो में डीजल की कमी होती है तो दूसरे "डिपोज" से "ब्रिजिंग" द्वारा डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से डीजल में मिलावट तथा कालाबाजारी को रोकने के लिये कठोर निर्देश भी जारी किये गये हैं। प्रायः सभी जनपदों से कृषि कार्य एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु कृषकों को डीजल प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने की सूचना प्राप्त हुई है।

3. भारत सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (प्रिवेंशन आफ माल प्रैक्टिसेज इन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1990 जारी किया गया है। इसके अनुसरण में समस्त जिलाधिकारियों को इसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गये हैं। इसके लागू होने से डीजल का घनत्व मौके पर ही माप कर सैम्पुल लेने से पूर्व अपमिश्रण का अन्दाज लगाया जा सकता है। इसी नियंत्रण आदेश में भारत सरकार द्वारा डीजल के अपमिश्रण की जांच करने के लिये 74 प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया है। इनमें से 2 विधि विज्ञान प्रयोगशालायें-आगरा एवं लखनऊ को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में कुल 8 प्रयोगशालायें हैं। इनके अतिरिक्त पांच मोबाइल प्रयोगशालायें भी हैं।

मिट्टी का तेल–

उत्तर प्रदेश मिट्टी के तेल नियंत्रण आज्ञा, 1962 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा है। तेल कम्पनियों द्वारा नियुक्त एजेण्ट संबंधित आयल डिपो से अपनी आपूर्ति प्राप्त करके वितरकों के माध्यम से फुटकर विक्रेताओं को निर्धारित कोटे के अनुसार मिट्टी तेल की आपूर्ति करते हैं। फुटकर विक्रेता सम्बद्ध उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा व मूल्य के अनुसार मिट्टी तेल का वितरण करते हैं।

2–प्रदेश सरकार को मिट्टी का तेल भारत सरकार से प्राप्त होता है। चूंकि यह आवंटन आवश्यकता के विपरीत अत्यधिक कम रहता है। अतः समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आवंटित तेल की मात्रा में वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। प्रदेश को आवंटन ऐतिहासिक आधार पर किया जाता है।

[मेज] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया है।

3–भारत सरकार से प्राप्त मिट्टी के तेल की मात्रा को प्रदेश के समस्त जिलों में उनकी ग्रामीण व शहरी जनसंख्या के अनुपात में बांटकर किया जाता है। स्टैन्डर्ड आवंटन का आधार प्रदेश में मिट्टी तेल की उपलब्धता तथा जिलों की जनसंख्या है।

4–जिलेवार मासिक आवंटन में राशन कार्ड पर/विशेष परमिट/कोटा कार्डों पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों में वितरण हेतु छात्रों, छात्रावासों, शिक्षण संस्थाओं, विवाह, उत्सव, अन्त्येष्टि व सरकारी विभागों तथा 10 कि० ली० से कम आवश्यकता की औद्योगिक इकाइयों को प्रयोग हेतु स्पेशल कोटा, तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों के उपयोगार्थ विशेष परमिटों पर आवंटन किया जाता है। मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा उसकी निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

5–मिट्टी के तेल की डीजल में मिलावट रोकने तथा कृत्रिम अभाव को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मोटर स्प्रिट हाई स्पीड एण्ड डीजल आयल (प्रिवेंशन आफ माल प्रैक्टिसेज इन सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश, 1990 पारित किया था जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य विभाग की आपूर्ति तथा हाट शाखा के अधिकारियों के अतिरिक्त पूर्ति निरीक्षकों, तहसीलदार, परगनाधिकारी, अपर कलेक्टर को भी इस नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जांच का अधिकार प्रदान किया गया है।

6–मिट्टी के तेल का वितरण स्केल निम्न प्रकार निर्धारित है :–

शहरी क्षेत्र : 10 लीटर प्रति राशन कार्ड सामान्य श्रेणी एवं 5 लीटर प्रति राशन कार्ड जिनके पास एल० पी० जी० कनेक्शन हैं।

ग्रामीण क्षेत्र : 5 लीटर प्रति राशन कार्ड।

7–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम लागत मूल्य पर मिट्टी का तेल वितरित किया जाता है जबकि औद्योगिक प्रयोजन हेतु मिट्टी के तेल की आपूर्ति के लिये भारत सरकार द्वारा अलग से मूल्य निर्धारित किये जाते हैं।

8–इस प्रकार कृषि कार्य के लिये सिंचाई हेतु डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने तथा इसकी निरन्तरता बनाये रखने व चोरबाजारी को रोकने के लिये कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार छात्रों को मिट्टी के तेल की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के उद्देश्य से मिट्टी के तेल के जिलेवार मासिक आवंटन में स्पेशल कोटे के अन्तर्गत छात्रों के उपयोगार्थ अलग से व्यवस्था की गयी है। सूच्य है कि हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिये प्रतिवर्ष विद्युत रहित परीक्षा केन्द्रों को भी मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है।]

जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में गतिरोध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री को केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

इस पर वक्तव्य नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिये इसको स्थगित कर रहा हूं।

जनपद गाजीपुर में नन्दगंज सिरोडी शुगर कारपोरेशन चीनी मिल लिमिटेड, नन्दगंज में गन्ना कृषकों के साथ की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत गन्ना विकास राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह जी नहीं हैं।

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री शिव बहादुर सक्सेना)–

मान्यवर, गाजीपुर जनपद की नन्दगंज चीनी मिल .....

श्री अध्यक्ष–

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

[उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की एक सहायक कम्पनी नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि० की एक इकाई है । इसकी पेराई क्षमता 1250 टन गन्ना प्रतिदिन है ।

2–वर्तमान पेराई सत्र में इस चीनी मिल में गन्ने की पेराई का शुभारम्भ दिनांक 5-12-1991 को किया गया था, किन्तु यांत्रिक खराबियों के कारण मिल में गन्ना पेराई का नियमित कार्य दिनांक 8-12-1991 से प्रारम्भ हुआ । दिनांक 4-3-1992 तक इस मिल द्वारा 8.37 लाख कुन्टल गन्ने की खरीद की गई । आशा है कि इस मिल को आवंटित सम्पूर्ण गन्ने की खरीद अप्रैल माह के अन्तिम या मई माह के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण हो जायेगी ।

3–चीनी मिल द्वारा राज्य परामर्शित दर के अनुसार ही सामान्य जातियों के लिये मिल गेट पर 45 रुपया प्रति कुन्टल तथा वाह्य क्रय केन्द्रों पर 42 रुपया प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य भुगतान किया जा रहा है । दिनांक 29-2-1992 तक इस मिल द्वारा 252.60 लाख रुपया गन्ना मूल्य देय हुआ, जिसमें से मिल द्वारा 102.70 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा अवशेष 249.90 लाख रुपया है । चीनी मिल की गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम को जांच करके अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

4–शासन गन्ना किसानों के हितों की रक्षा के प्रति पूर्णतया कृत संकल्प है तथा इसके लिये हर सम्भव प्रयास किया जायेगा ।]

आटो ट्रैक्टर लि०, प्रतापगढ़ की अवैधानिक बिक्री तथा कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसको स्थगित किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
10 मार्च, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

[नोट] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया है ।

नत्थी 'क'

(दिखिये नत्थी 'ख' के ता० प्र० सं० ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

व्यय का विवरण

मंत्रि-परिषद् के सदस्यों पर व्यय	रु०
(1) वेतन/भत्ते (वेतन, क्षेत्रीय भत्ता/चिकित्सा भत्ता दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है) ।	9,47,924.90
(2) यात्रा भत्ता रेल पर व्यय एच० ओ० आर०	2,61,159.00
(3) यात्रा भत्ता, वायुयान किराया, जेब खर्च,टैक्सी भाड़ा/ पेट्रोल व्यय भी सम्मिलित है ।	12,44,735.70
(4) राजकीय वायुयान/हेलीकाप्टर में की गई उड़ानों पर ईंधन व्यय	3,29.538.10
(5) ड्राइवरों का वेतन भत्ता	2,65,877.70
(6) वाहनों पर पेट्रोल आदि पर व्यय	24,99,688.94
कुल योग ..	55,48,924.34

मंत्रि-परिषद के सदस्यों के साथ सम्बद्ध निजी स्टाफ पर व्यय

(1) वेतन/महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते	31,21,262.60
(2) यात्रा भत्ता व्यय	7,43,387.65
कुल व्यय ..	38,64,650.25
बैठकों में जलपान आदि पर व्यय	6,12,898.55

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

भत्ता 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

माह जुलाई 91 से अक्टूबर 91 तक के
व्यय का विवरण

क्रम सं०	मा० मंत्री का नाम	आवास सं०	नवीनीकरण	साज सज्जा	सुधार
1	2	3	4	5	6
1	श्री कल्याण सिंह	4-ए कालिदास मार्ग	–	60,500	–
		9, माल एवेन्यू	36,375	–	54,212
2	डा० दिनेश जौहरी	बी, 105, ओ० सी० आर०	–	28,985	–
		11, माल एवेन्यू	5,345	1,31,700	22.480
3	श्री सुधीर कुमार बलियान	2, माल एवेन्यू	–	1,32,000	23,092
4	श्री गंगा भक्त सिंह	10, माल एवेन्यू	–	1,15,000	13,040
5	श्री लालजी टंडन	12, माल एवेन्यू	18,000	1,40,790	12,007
6	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त	13, माल एवेन्यू	–	1,74,646	14,841
		111, वि० नि०–2	–	21,180	–
7	श्रीमती प्रेमलता कटियार	6–लाल बहादुर शास्त्री मार्ग	–	1,34,182	25,622
			–		
8	श्री ओम प्रकाश सिंह	बी–106, ओ० सी० आर०	–	38,106	
			–		
9	श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी	3, 11, 29-ए			
		30, वि० नि०–5	–	1,09,750	15,000
		29, वि० नि०–5	–	21,173	–
10	डा० सरजीत सिंह डंग	1, कालिदास मार्ग	2,21,200	1,41,857	53,638
		112, वि० नि०–2	–	14,890	–
11	श्री रमापति शास्त्री	2, कालिदास मार्ग	84,400	1,09,754	30,286
		4, सी०, वि० नि०		6,250	

1	2	3	4	5	6
12	श्री एजाज रिजवी	4, कालिदास मार्ग	–	98,045	–
		स्टेट गेस्ट हाउस	–	5,000	2,000
13	श्री केदार सिंह	14, कालिदास मार्ग	10,000	1,12,930	–
	फोनिया	23, वि० नि० 5	-	2,500	2,000
14	श्री सत्य प्रकाश	6, कालिदास मार्ग	8,500	98,555	-
	विकल	3, वि० नि०–2	-	14,890	-
15	श्री हनुमन्त सिंह	504–बहुखण्डी	-		
		मंत्री आवास	–	82,720	–
16	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह	701, बहुखण्डी			
	गौर	मंत्री आवास	–	39,800	–
17	श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य	1, टाइप–5, राज्य			
		राज भवन कालोनी	5,000	1,15,000	60,059
		151, वि० नि०–1	–	7,850	–
18	श्री चन्द्र शेखर सिंह	बी, 104,			
		ओ० सी० आर०	–	58,010	–
19	श्री शिव प्रताप शुक्ल	3, कैसल्स रोड	–	1,04,027	6,750
20	श्री उमानाथ सिंह	301, बहुखण्डी			
		मंत्री आवास	–	44,340	–
21	श्रीमती शारदा चौहान	ए-104, ओ० सी० आर०		44,326	–
22	श्री रविकान्त गर्ग	बी, 206,			
		ओ० सी० आर०	–	28,465	–
23	श्री शिव बहादुर सक्सेना	5 व 7, वि० नि० 2	–	39,296	–
24	श्री मयंकर सिंह	13, वि० नि०–2	–	23,000	–
25	श्री पृथ्वी सिंह	18 व 23,			
		वि० नि०–2	–	42,220	–
26	श्री बालेश्वर त्यागी	19, वि० नि०–2	–	25,596	–
27	श्री हरद्वार दुबे	21, वि० नि०–2	–	21,580	-
28	श्री हरख सिंह रावत	127, वि० नि०–2	–	12,930	-
29	श्री हरबंश कपूर	37, वि० नि०–2	–	28,580	-
30	श्री अमर नाथ यादव	25, वि० नि०–2	–	33,882	-

1	2	3	4	5	6
31	श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	63-ए, वि० नि०–1	–	18,500	—
32	श्री सूरज सिंह शाक्य	91, 198-ए, वि० नि०–1	–	76,290	—
33	श्री अनिल कुमार तिवारी	10-सी, वि० नि०-1	–	32,056	—
34	श्री बृजेश कुमार शर्मा	75-ए, 79-ए- वि० नि०–1	–	59,256	—
35	श्री सुरेश कुमार खन्ना	20-ए, वि० नि०1	–	20,912	—
36	डा० अमर सिंह	141-ए, वि० नि०-1	–	62,256	—
37	श्री महावीर सिंह	179-ए, वि० नि०–1	–	39,406	—
38	श्री धनराज यादव	26, वि० नि०–5	–	3,500	2,000
		168, 51-ए, वि० नि०–1	–	32,950	—
39	श्री बाबू राम	30, 69, वि० नि०–1	–	35,000	5,000
40	श्री सूर्य प्रताप शाही	3, कालीदास मार्ग	60,000	1,16,520	38,400
41	श्री मस्त राम	2, कैसल्स रोड	–	1,01,720	5,560
		2, वि० नि०–2	–	13,660	—
42	श्री बाल चन्द्र मिश्र	101, बहुखण्डी मंत्री आवास	7,600	66,554	—
43	श्री राम कुमार वर्मा	704, बहुखण्डी मंत्री आवास	–	87,390	—
		डी–7, बटलर पैलेस	–	–	5,200
44	श्री मन्नू लाल कुरील	124, वि० नि०–2	–	12,600	
45	श्री पतिराज	32व33, वि० नि०–2	–	32,000	
46	श्री राम सरन वर्मा	38, 197-ए, वि० नि०–1	-	64,050	
		योग ..	4,56,420	33,38,925	3,91,225

अपर पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

1जून, 1991 से अक्टूबर 1991 के मध्य थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस के विरुद्ध जनता तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायती पत्रों के संबंध में

प्राप्ति का स्रोत	पत्रों की संख्या	थानाध्यक्ष का नाम तथा शिकायतों की संख्या	थाना का नाम	उप निरीक्षक का नाम तथा शिकायतों की संख्या	थाने का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, लखनऊ ।	1	हरपाल सिंह	मैंगलगंज	मुन्नीलाल चौधरी	मैंगलगंज	संयुक्त शिकायती पत्र
पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र, लखनऊ ।	22	जितेन्द्र नाथ पाण्डेय–2	पालियां	रामेश्वर वक्श सिंह–1	पलियां	-
		गंगा सिंह राठौर–1	मितौली	के० एन० भट्ट–1	थाना कोतवाली	-
		गौरी शंकर शर्मा–3	नीमगांव	सुरेन्द्र राय –1	गोला	-
		राजा लाल तिवारी –2	मैलानी	इन्द्रजीत सिंह –1	फलबेहड़	-
		योगेन्द्र प्रताप सिंह–2	भोरा	महेन्द्र सिंह–1	फलबेहड़	-
		पुरषोत्तम शरण–1	ईसानगर	आर० पी० गंगवार–1	मोहम्मदी	-

		उदय प्रताप सिंह–1 सेंगर	निघासन	सत्य प्रकाश सचान–1 श्याम राज यादव–1	चौकी खमरिया धौरहारा	थाना ईसानगर
		तेज बहादुर सिंह–1	फलबेहड़			
		मनी सिंह भारती–1	फरधान			
पुलिस अधीक्षक	7	तेज बहादुर सिंह–1	फलबेहड़	शेष मणि पाठक–1	खीरी	-
		पुरुषोत्तम शरण–1	ईसानगर	राम राज नाविक–1	कोतवाली	-
				जगवीर सिंह तेवड़िया–1	हैदराबाद	-
				आर० बी० सिंह –1	सम्पूर्णानगर	
				तथा		
				पी० के० अग्निहोत्री–1		
जिलाधिकारी खीरी	8	योगेन्द्र प्रताप सिंह–1	भीरा	डी० एन० मिश्रा–1	फलबेहड़	-
		गौरी शंकर शर्मा–1	नीमगांव	योगेन्द्र प्रताप सिंह–1	चौकी मिश्राना	-
		राज लाल तिवारी–2	मैलानी	(वर्तमान समय में थानाध्यक्ष, भीरा)		
		श्याम लाल वर्मा–1	सिगांही	एस० पी० शर्मा–1	नीम गांव	-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 131 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

जनपद बलिया के उद्योग क्षेत्र बिल्थरा रोड में सरकार द्वारा ऋण प्राप्त चालू/बन्द इकाइयों की सूची

क्रम सं०	इकाई का नाम व पता			उत्पादन	प्राप्त धन
1	2			3	4
चालू इकाइयां :					
1	मेसर्स	खान मोहर वर्क्स,	बेल्थरा रोड, बलिया	रबर स्टैम्प	20,000.00
2	,,	मोती चन्द्र उडेन वर्क्स,	,, ,,	उडेन फर्नीचर	4,000.00
3	,,	जनता चलनी उद्योग,	,, ,,	चलनी	5,000.00
4	,,	ईशाद सीट कवर इण्ड०,	,, ,,	सीटकवर	18,000.00
5	,,	बी० आर० के० इण्ड०,	,, ,,	सूटकेश अटैची	14,000.00
6	,,	कमला औद्योगिक प्रतिष्ठान,	,, ,,	दाल	46,600.00
7	,,	अनिल कन्फेक्शनरी वर्क्स,	,, ,,	बिस्कुट टाफी	17,000.00
8	,,	माडने फर्नीचर हाउस,	,, ,,	उडेन फर्नीचर	25,000.00
9	,,	साहू फोटो स्टेट कापीज,	,, ,,	फोटो स्टेट कापी	25,000.00
10	,,	मैनुद्दीन उडेन वर्क्स,	,, ,,	उडेन फर्नीचर	25,000.00
11	,,	स्टूडेन्ट फोटो स्टेट,	,, ,,	फोटो स्टेट	25,000.00
12	,,	भारत स्टूडियो ,	,, ,,	फोटो ग्राफी	25,000.00
13	,,	गुप्ता आयल उद्योग,	,, ,,	खाद्य तेल	25,000.00
14	,,	गुप्ता नुरा उद्योग,	,, ,,	चूना	35,000.00
15	,,	लालचन्द्र शर्मा फर्नीचर उद्योग,	,, ,,	उडेन फर्नीचर	9,000.00
16	,,	साहिद फर्नीचर उद्योग,	,, ,,	फर्नीचर	5,000.00
17	,,	हाफिला इंजी० सोनाडीह रोड,	,, ,,	इंजी० वर्क्स	25,000.00
18	,,	मनी आर्ट स्टूडियो ,	,, ,,	फोटो ग्राफी	20,000.00
19	,,	राजेश इंजी० वर्क्स,	,, ,,	स्टील फर्नीचर	5,000.00
20	,,	हनुमान आयल फ्लावर मिल,	,, ,,	खाद्य तेल	20,000.00

क्रम सं०	इकाई का नाम व पता			उत्पादन	प्राप्त धन
1	2			3	4
21	मेसर्स महेन्द्र प्रसाद जायसवाल, राइसमिल, बहोरवाखुर्द,	बेल्थरा रोड, बलिया		राइस मिल	10.00 लाख
22	,, साह केमिकल एण्ड जनरल इ०	,,	,,	कैन्डील	25,000.00
23	,, निरमा वासिंग सोप	,,	,,	वासिंग सोप	20,000.00
24	,, पापुलर इले० एण्ड इले० वर्क्स,	,,	,,	रेडियो मरम्मत	12,000.00
25	,, वर्मा रेडियो रिपेयरिंग वर्क्स,	,,	,,	,, ,,	25,000.00
26	,, चंचल आभूषण उद्योग,	,,	,,	चांदी आभूषण	25,000.00
27	,, नेशन कास्मेटिक एण्ड केमिकल, मिश्रौली,	,,	,,	दन्तमंजन	25,000.00
28	,, बंशीधर शर्मा फर्नीचर उद्योग,	,,	,,	लकड़ी फर्नीचर	10,000.00
29	,, गुप्ता रुई धुनाई केन्द्र,	,,	,,	रुई धुनाई	25,000.00
30	,, अवध खराद उद्योग,	,,	,,	लकड़ी खराद	9,000.00
31	,, दर्पन स्टेडेन्ट बस स्टेशन,	,,	,,	फोटी ग्राफी	25,000.00
32	,, कल्पना स्टूडेन्ट,	,,	,,	,,	25,000.00
33	,, ए–वन बेकरी,	,,	,,	ब्रेड एण्ड बिस्कुट	20,000.00
34	,, राजपूत फर्नीचर उद्योग,	,,	,,	फर्नीचर	20,000.00
35	,, तरंग इलेक्ट्रानिक्स,	,,	,,	रेडियो,टी०बी०मर०	25,000.00
36	,, बजरंग आयलमिल,	,,	,,	खाद्य तेल	25,000.00
37	,, फाइन आर्ट स्टूडियो,	,,	,,	आर्ट्स	9,000.00
38	,, यादव फर्नीचर उद्योग,	,,	,,	लकड़ी फर्नीचर	25,000.00
39	,, संजय संगीत महल,	,,	,,	म्युजिं० इन्स्टूमेन्ट्स	9,000.00
40	,, साधना स्टूडियो,	,,	,,	फोटो ग्राफी	25,000.00
41	,, सुरेश कालीन उद्योग, विठुवा,	,,	,,	ऊनी कारपेट	9,000.00
42	,, राज इंजी० वर्क्स,	,,	,,	चैनल शटर ग्रिल	25,000.00
43	,, शर्मा फर्नीचर,	,,	,,	फर्नीचर	35,000.00
44	,, समसुद्दीन फोटो कापियर्स,	,,	,,	फोटो स्टेट	10,000.00
45	,, शंकर पार्वती ज्वेलर्स,	,,	,,	चांदी आभूषण	35,000.00

उत्तर प्रदेश गजट

क्रम सं०	इकाई का नाम व पता			उत्पादन	प्राप्त धन
1	2			3	4
46	मेसर्स अजय स्टीट इण्डस्ट्रीज,	बेल्थरा रोड, बलिया		स्टील वार्क्स	35,000.00
47	,, नागेन्द्र आयल मिल, नरला,	,,	,,	खाद्य तेल	25,000.00
48	,, शिव सरन आयल मिल, नरला	,,	,,	,,	20,000.00
49	,, प्रदीप आयल मिल,	,,	,,	,,	25,000.00
50	,, ब्राइट स्टूडियो,	,,	,,	फोटो ग्राफी	25,000.00
51	,, त्रिपाठी मिनी राइस मिल, नरला,	,,	,,	मिनी राइस मिल	29,600.00
52	,, शेखर हैण्ड पेपर इण्ड, चौकिया,	,,	,,	कार्ड बोर्ड	3.00 लाख
53	,, गणेश इण्डस्ट्रीज, अखोप,	,,	,,	मिनी राइस मिल	85,000.00
54	,, मिरुसणद्दीन पावर लूम उद्योग, अखोम,		,,	पावर लूम	25,000.00
55	,, राम उग्रह पावर लूम उद्योग अवाये,	,,	,,	,,	25,000.00
56	,, कमला पावर लूम उद्योग, अवाये	,,	,,	,,	25,000.00
57	,, मानिक चन्द्र पावर लूम उद्योग,	,,	,,	,,	25,000.00

<u>बन्द इकाईयां</u>

1	मेसर्स जे० पी० सीमेंट जाली इण्ड०,	,,	,,	सीमेंट जाली	15,000.00
2	,, हिन्दुस्तान बोन फर्टिलाइजर,	,,	,,	खाद्य तेल	3,00,000.00
3	,, वर्मा निटिंग एण्ड रेडीमेड सेन्टर,	,,	,,	अलेन गारमेंट	25,000.00
4	,, चन्द्रमा आर्ठ, मेन रोड लोहापट्टी,		,,	साइन बोर्ड फोटो-ग्राफी	25.000.00
5	,, राजपूत थर्मो इण्स्ट्रीज,	,,	,,	थर्मा कपला कम्पनसेटिंग	3.60 लाख
6	,, जयसवाल रेडीमेड गार०	,,	,,	रेडीमेड उद्योग	25,000.00

पी० एस० यू० पी०–एल० 189 विधान सभा–(297)–1993–572 । (डी० टी० पी०)